खण्ड-186, अंक-4
शुक्रवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(23 अगस्त, 1957 ई0)

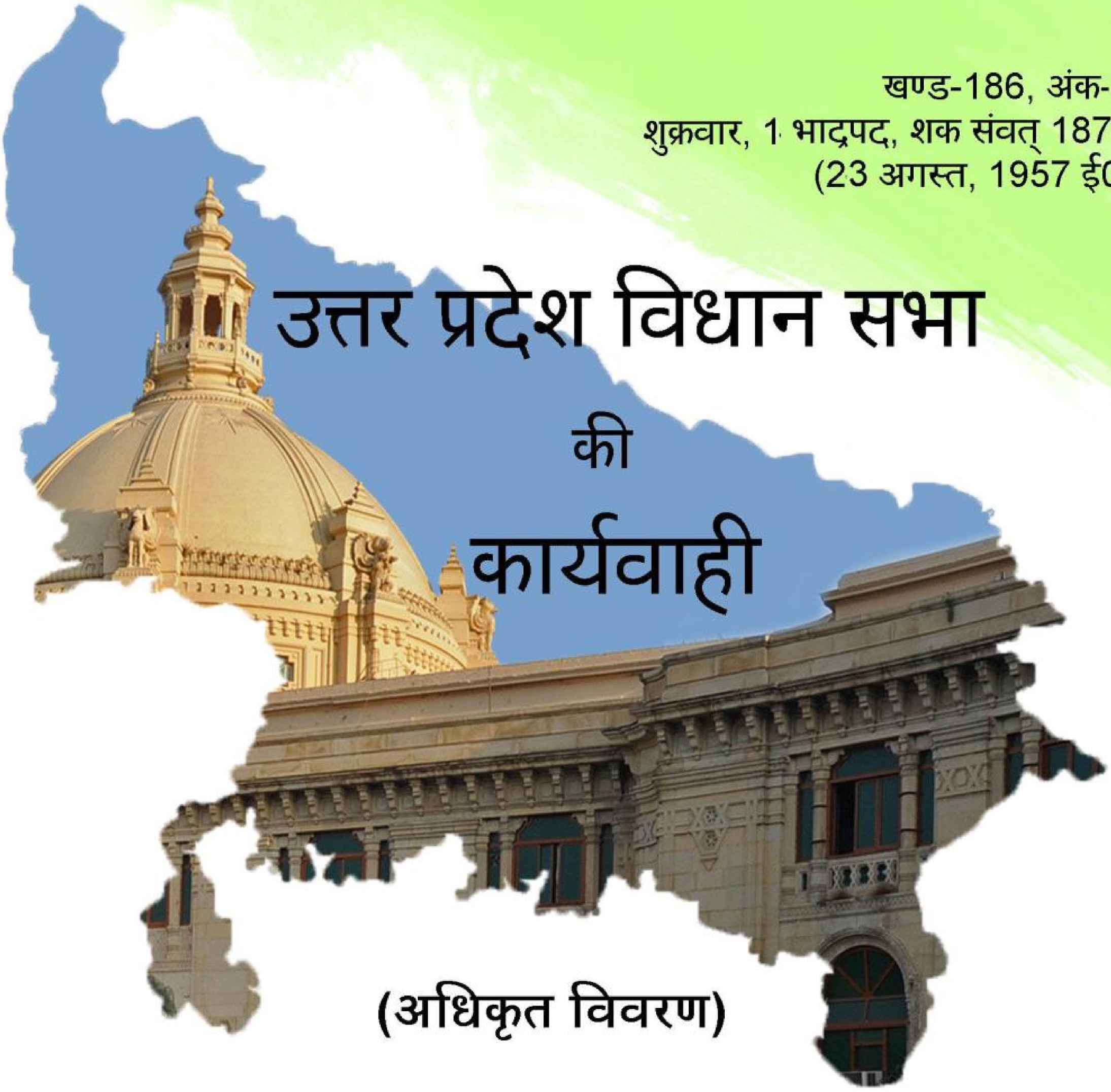

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य (३३३)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंबी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनरामगुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस", श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री

रामर्मूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह,चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुनन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहरमिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्दसिंह भी उपस्थित थे।

# प्रश्नोत्तर

## शुक्रवार, २३ अगस्त, १९५७ ई०

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### प्रदेश में महिला जिलाधीश व डिप्टी कलेक्टर

**१—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिलायें जिलों में जिलाधीश के पद पर नियुक्त हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—एक।

**२—श्रीमती चन्द्रवती—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी महिलायें डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्य कर रही हैं और किन-किन जिलों में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रदेश में दो महिलायें डिप्टी कलेक्टर हैं। उनमें से एक इस समय समाज कल्याण विभाग में सहायक संचालक का कार्य कर रही हैं और दूसरी वाराणसी जिले में तैनात हैं, पर इस समय छुट्टी पर हैं।

श्रीमती चन्द्रावती—इनका नाम क्या है और कौन से जिले में कार्य कर रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुमारी कुसुम लता मित्तल उनका नाम है और जिला नैनीताल में जिलाधीश हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो जिलाधीश मुकर्रर हुये हैं उनकी नियुक्ति कब हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

### प्रदेश में महिला आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां

**३—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कितनी महिलायें आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रही हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—कुल चार महिलायें आनरेरी मैजिस्ट्रेट का काम कर रही हैं।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इनकी योग्यता क्या है और किन-किन जिलों में वे कार्य कर रही हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इनमें से ३ तो कानपुर में हैं और १ पीलीभीत में है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इनकी योग्यता क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—अलग-अलग इनकी योग्यतायें हैं। इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। अगर आप नोटिस देंगी तो बतला दूंगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि झांसी में पहले जो दो महिलायें आनरेरी मैजिस्ट्रेट थीं उनकी जगह दूसरी महिलायें क्यों नहीं रक्खी गईं ?

श्री सैयद अली जहीर—महिलाओं की नामजदगी अगर जिले से आयेगी तो उस पर ठकीनन सरकार गौर करेगी।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट पीलीभीत में नियुक्त हैं उनकी नियुक्ति कब हुई थी ?

श्री सैयद अली जहीर---इनकी नियुक्ति हुई २० सितम्बर, ४७ को ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्त्री संबंधी मुकदमे हर जिले में ज्यादा बढ़ जाने के कारण सूबे के हर जिले में कम से कम एक स्त्री आनरेरी मैजिस्ट्रेट रखने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त तो शक्ल यह है कि एक नान आफिशियल कमेटी हर जिले में मुकर्रर है और उसके जरिये से जिलाधीश वहां से नाम भेजदेते हैं। अगर कमेटी मुनासिब समझेगी और वैसी योग्य स्त्रियां उन्हें मिलेंगी तो यकीनन उस पर गौर किया जायगा।

## रुद्रपुर में ग्राम विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना पर विचार

**४---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---जी हां रुद्रपुर में, पर अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस ग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक होगी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर में जो ग्राम विश्वविद्यालय खोलने की योजना है उसके लिये कमेटी बन चुकी है या नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---सोच रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार कब तक निश्चित होगा कि यह ग्राम विश्वविद्यालय खोला जाय ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---जब गवर्नमेंट आफ इंडिया से मामला तय हो जायगा तब निश्चय करेंगे।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो प्रपोजल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिये भेजा है, इस सिलसिले में कितनी प्रगति हुई है ? वहां से कोई जवाब आया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---आया भी है। नामुकम्मिल होता है, क्लैरिफिकेशन कराया जाता है। लिखा-पढ़ी हो रही है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को ग्राम विश्वविद्यालय बनाने की योजना पर वह विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---वह एजूकेशन से संबंधित है, ऐग्रिकल्चर से नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विश्वविद्यालय रुद्रपुर, जिसे खोलने का सरकार का विचार है, उसमें शिक्षा का माध्यम क्या होगा ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन---अभी तो उसकी रूपरेखा तय करनी है।

## विधान परिषद् की सदस्य संख्या में वृद्धि से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के पत्र की रूप-रेखा

**५—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार विधान परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाने के संबंध में हाल ही में केंद्रीय सरकार से आये हुये पत्र की रूपरेखा सदन में बताने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—भारत सरकार ने कुछ राज्यों में विधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाने के संबंध में अपने पत्र के साथ जो कि यहां हाल ही में प्राप्त हुआ है, लोक सभा में २५ जुलाई, १९५७ को पुरःस्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल्स बिल, १९५७ की एक प्रति भेजी है। उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध केवल विधेयक के खंड १० तथा चौथी अनुसूची से है। यह खंड, जैसा कि इस सदन द्वारा दिनांक २० दिसम्बर, १९५६ तथा विधान परिषद् द्वारा दिनांक २८ दिसम्बर, १९५६ को पारित संकल्प द्वारा सिफारिश की गयी थी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्य संख्या ७२ से बढ़ाकर १०८ करने की व्यवस्था करता है। नामांकित सदस्यों की संख्या आजकल की भांति १२ ही बनी रहेगी तथापि ग्रेजुएट्स और शिक्षकों द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या ६ से बढ़ाकर ९ कर दी जायेगी जो कि कुल सदस्य संख्या का बारहवां हिस्सा है। बाकी ७८ जगहें स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities) तथा विधान सभा के सदस्यों के बीच समान रूप से बांट दी जायेंगी।

सदस्यों को विधेयक के सुसंगत हिस्सों की प्रतियां देने का प्रस्ताव है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की सदस्य संख्या बढ़ाने की कार्यवाही कब तक कार्यान्वित हो जायगी?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो जैसा मैंने अपने जवाब में कहा, जब लोक सभा उस बिल को पास कर देगी, उसके बाद वह लागू होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि ये जो एम०एल०सी० बढ़ाये गये हैं, असेम्बली के सदस्यों द्वारा कितने उसमें से चुने जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है, आपने सुना नहीं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—पंचवर्षीय योजना में धन की कमी बेहद हो गयी है, उसको देखते हुये क्या सरकार यहां से इस बात की सिफारिश करेगी केंद्रीय सरकार को कि यह संख्या न बढ़ाई जाय?

श्री अध्यक्ष—यह सदन का काम है। सदन में आप प्रस्ताव ले आइये।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार धन की कमी को देखते हुये सदन से प्रार्थना करेगी कि जो उसने फैसला किया है उसको बदलकर वही पुरानी संख्या रख दी जाय विधान परिषद् की?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एम०एल० सीज० के बारे में केंद्रीय सरकार से जो पत्र-व्यवहार हुआ है उस संबंध में लोक सभा कब तक निर्णय ले लेगी?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत अंदाज की बात है, लोक सभा के संबंध में सवाल नहीं पूछ सकते हैं।

## अवक्रमित (Superseded) टाउन एरियाज में चुनाव कराना

**६---श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Superseded Town Areas के चुनाव वह अक्तूबर, १९५७ में ही करा रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---इस समय प्रदेश में ४ टाउन एरिया अवक्रमित (Superseded) हैं। इनमें से टाउन एरिया कोपागंज, जिला आजमगढ़ तथा मुरसान, जिला अलीगढ़ में आगामी सामान्य चुनावों के साथ ही चुनाव कराने का सरकार का विचार है। शेष दो superseded town areas मछलीशहर तथा शेरकोट में सामान्य निर्वाचनों के साथ चुनाव न हो सकेंगे।

श्री जगवीरसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों टाउन एरियाज मछली शहर और शेरकोट में किन कारणों से चुनाव नहीं हो सकेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---ये दोनों टाउन एरियाज १९५७ में सुपरसीड हुई थीं। एक की मियाद अप्रैल, ५८ से और दूसरी की जून ५८ है, इसलिये चुनाव कराना ठीक नहीं होगा।

श्री जगवीरसिंह---क्या मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे कि इन दोनों में भी साथ ही साथ चुनाव करा दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैं समझता हूं कि पुनर्विचार के लिये अब समय नहीं है, १९५८ के बाद चुनाव होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार इस स्थिति में आ गई है या निर्णय पर पहुंच गई है और इसके चुनाव की घोषणा कब तक होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---चुनाव की तारीख की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है।

## बस्ती सदर अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मृत्यु व डाक्टरों की मुअत्तली

**७---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती सदर अस्पताल में जो एक बच्चे की मृत्यु २६-७-५७ को वहां के डाक्टरों की लापरवाही से हो गई उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस घटना की जांच के लिए संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग को नियुक्त किया गया था। उन्होंने जुलाई ३१ को जांच की। जांच की रिपोर्ट पर तीन डाक्टर मुअत्तल कर दिये गये हैं। अस्पताल की बड़ी नर्स और सभी कम्पाउन्डरों का भी स्थानान्तरण कर दिया गया है। डाक्टरों के विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही की जा रही है।

## आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ९ कालेजों का गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण

**८---श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना से आगरा विश्वविद्यालय के कितने कालेज हस्तान्तरित हो गये हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---कुल ९ कालेज हस्तान्तरित हुये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६३ पर)

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी को विदित है कि राजस्थान, मध्यभारत और पूर्वी यू० पी० के कालेजेज के आगरा यूनिवर्सिटी से अलग हो जाने के कारण उसकी स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, कालेजेज अलग हुये हैं तो आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा ही होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव---तो क्या माननीय मंत्री जी अब आगरा यूनिवर्सिटी को रेजीडेंशियल कम ऐफीलियेटेड यूनीवर्सिटी करने पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---अभी कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से मांग आई है कि कुछ जिले और इसमें लगा दिये जायं जिससे कालेजेज की संख्या बढ़ जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी कि कोई मांग आई है या नहीं। अगर मांग आयेगी तो भी अभी कोई विचार नहीं किया जा सकता है।

## चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बुलन्दशहर की मुअत्तली तथा बहाली

**९---श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस तारीख में बुलन्दशहर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन मुअत्तल किये गये थे तथा उन पर कौन-कौन से आरोप लगाये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बुलन्दशहर के वर्तमान चेयरमैन श्री शम्भूनाथ गर्ग को मुअत्तल करने के आदेश सरकार ने २० जुलाई, १९५७ को जारी किये थे। आरोप यह था कि उन पर लगाये गये कुछ अभियोग अदालत में विचाराधीन थे।

**१०---श्री छत्तर सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्हें पुनः उनकी जगह पर क्यों बहाल कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्री गर्ग,ने अपने मुअत्तली के आदेश पर पुनः विचार करने के लिये सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजा था। विचार करने पर इस मामले में और जांच करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और ऐसी स्थिति में उनको मुअत्तल रखना उचित नहीं समझा गया।

श्री छत्तरसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बुलन्दशहर के चेयरमैन के विरुद्ध जो आरोप सरकार के विचाराधीन थे क्या वे अब नहीं हैं ? और यदि हैं तो परिस्थिति में क्या परिवर्तन हो गया है जिससे सरकार ने अपने आदेश को बदला ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई आरोप सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उनके खिलाफ इस्तगासे अदालतों में दायर किये थे जिसके आधार पर उन्होंने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि उनको मुअत्तल कर दिया जाय।

श्री जगवीरसिंह---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी सिफारिश की थी कि इनको पब्लिक इंटरेस्ट में अलाहिदा कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी सूचना तो सरकार के पास नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अदालतों में उन पर जो आरोप लगाये गये थे वे क्या थे और अदालतों के निर्णय क्या हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव---अदालतों में ये मुकदमें चल रहे हैं। पहले ए० डी० एम० के यहां खारिज हो गये थे, लेकिन दोबारा रेवीजन में सेशन जज ने यह कह कर वापस कर दिया कि उन पर विचार किया जाय। कुछ कोयले सम्बन्धी आरोप थे जिनका पूरा विवरण इस वक्त मेरे पास नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोयले सम्बन्धी क्या आरोप उन पर थे जो कोर्ट में चल रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---उन व्यक्तियों ने कुछ ऐसे आरोप लगाये थे कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोयला दूसरे सज्जनों को इस्तेमाल करने के लिये दे दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोयला किसी दूसरे को दे दिया, ऐसा गम्भीर मिसएप्रोप्रिएशन का आरोप जिसके खिलाफ लगा हो तो किस परिस्थिति में सरकार ने उनकी मुअत्तली को कैन्सिल कर दिया?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब वे दे चुके हैं।

श्री जगवीरसिंह---क्या यह सत्य है कि इन महाशय पर कोयले का ही नहीं बल्कि सीमेंट के दुरुपयोग का भी चार्ज है?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता है।

## नहटौर, जिला बिजनौर में पुलिस चौकी निर्माण के समय प्राचीन ऐतिहासिक भग्नावशेष तथा मूर्तियों का मिलना

**११---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुहल्ला ऊंचा, मुकाम नहटौर, जिला बिजनौर में इस वर्ष एक पुलिस चौकी के निर्माण के लिये खुदाई करते समय वहां प्राचीन ऐतिहासिक भग्नावशेष व मूर्तियां मिलीं व पीपल के पेड़ गिराने पर वहां नीचे एक पुराना चबूतरा मिला?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति मिली है, किन्तु उसकी प्राचीनता के विषय में अभी तक कोई राय कायम नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में और कथित पुराने चबूतरे के सम्बन्ध में भी जांच हो रही है।

**१२---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार उक्त पुलिस चौकी बनवाना बन्द कर इस स्थान की ऐतिहासिक महत्ता देखते हुये वहां पुरातत्व विभाग से खुदाई करवायेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मामले की पूरी तौर से जांच हो जाने के बाद इस सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जांच कब तक खत्म हो जायगी और जांच खत्म होने तक क्या पुलिस चौकी का बनवाना बन्द करने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह सारा मामला सन्देहात्मक मालूम होता है। यों तो जांच जल्दी कराई जा रही है, परन्तु पुलिस चौकी का बनवाना रोका नहीं जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---जैसा कि मंत्री जी के जवाब में कहा गया है कि यहां मूर्तियां निकली हैं जो पुरानी कलापूर्ण वस्तुयें हैं, तो क्या पुलिस चौकी बन जाने के बाद उसे फिर से उखाड़ कर खुदाई होगी?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली है। एक सिलिन्ड्रिकल फार्म की पुरानी टूटी हुई मूर्ति मिली और वह भी ९ तारीख को मिली, लेकिन उसकी रिपोर्ट १२ तारीख को होती है। न इंजीनियर को पता, न असिस्टेंट इंजीनियर जो काम करा रहे थे उनको पता, न ओवरसियर को पता। वह तो एक जन संघ के आदमी हैं वहां श्री मुरलीधर उन्होंने तार कर दिया है। इसी से पता चलता है कि इसमें बहुत घपला है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या सरकार वहां से जो तार आया है तथा जो नागरिकों का आवेदन पत्र आया है, उस पर विचार करने को तैयार है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--मैं इसको स्पष्ट कर चुका हूं कि वहां पर मैजिस्ट्रेट भी थे। ९ और ११ तारीख को मूर्ति मिल गई और ११ तक किसी को कुछ नहीं कहा गया। १२ तारीख को एक व्यक्ति ने टेलीग्राम कर दिया, बस इतनी ही बात है।

**श्री प्रतापसिंह**--जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि मामला ससपिशन में है तो किन कारणों से वहां चौकी को बनाने का विचार है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--यह असल में पुलिस की जमीन थी। पहले भी उसमें पुलिस की चौकियां थीं और अभी भी १२६५ फसली तक यह जमीन उसके ही नाम में रेकार्डेड है। गत वर्ष रामलीला और उर्स पढ़ने के मामले में हिन्दू-मुसलमानों में वहां झगड़ा हुआ और इसलिये वहां उन्होंने यह तय किया कि पहले की तरह यहां पुलिस अपनी चौकी तैयार कर दे और उसका कंट्रैक्ट भी हो चुका है और वह बनेगी।

**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में उन्होंने क्या पुरातत्व विभाग से सहायता मांगी है ? यदि नहीं, तो क्या उस मूर्ति की जांच वह वहां से कराने की कृपा करेंगे ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--जहां तक मूर्ति का संबंध है उसकी जांच जरूर कराई जायगी कि यह किस की है, किस जमाने की है, मगर जमीन का कोई सवाल नहीं है। सारी जमीन खोदी गई है वहां पर।

## तहसील फतहाबाद (आगरा) के दक्षिण-पूर्वी भाग में तूफान से हानि

****१३--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५७ के प्रथम सप्ताह में तहसील फतहाबाद (आगरा) के दक्षिण-पूर्वी भाग में जो तूफान आया था उससे कितनी जानें गईं और कितना नुकसान हुआ ?

**मालमंत्री (श्री चरणसिंह)**--जून १९५७ के प्रथम सप्ताह में तहसील फतहाबाद (आगरा) में तूफान आने से २ स्त्रियों की मृत्यु हो गई तथा ४ पशुओं की भी जानें गईं। पेड़ों, मकानों के छप्परों व छतों को नुक्सान पहुंचा है।

****१४--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तूफान ग्रस्त क्षेत्र में सरकार ने क्या सहायता देने का प्रबन्ध किया है ?

**श्री चरणसिंह**--तकावी के लिए पीड़ितों से प्रार्थना-पत्र देने को कहा गया परन्तु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सहायता देना आवश्यक नहीं समझा गया।

## हरदोई जिले में बालामऊ-औहदपुर (सांडी) रेलवे लाइन को पुनः बनाने में कठिनाई

**१५—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य सरकार ने केन्द्र का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि हरदोई जिले की बालामऊ औहेदपुर (सांडी) की पुरानी रेलवे लाईन फिर बनाई जाय ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—चूंकि केन्द्रीय सरकार बालामऊ से माधोगंज तक रेलवे लाइन पहिले ही बना चुकी थी, अतः राज्य सरकार ने माधोगंज से औहदपुर तक की लाइन के लिये ही सिफारिश की थी ।

**१६—श्री चन्द्रहास मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी की केन्द्र ने इस विषय में राज्य सरकार को जवाब दिया है ?

श्री गिरधारीलाल—केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक तथा सामान (material resources) की कठिनाइयों के कारण द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में इस लाइन को फिर से बनाने में असमर्थता प्रकट की है ।

श्री चन्द्रहास मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह इस लाइन को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्राथमिकता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इसका तो सवाल ही नहीं उठता । केन्द्रीय सरकार ने तो इस लाइन को लेने से ही मना कर दिया है ।

## कोरी और खटिक जातियों को परिगणित जाति की सूची में लेने के कारण म्युनिसिपल चुनावों में सुरक्षित सीटों में वृद्धि का प्रश्न

**१७—श्री मोहनलाल (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोरी और खटिक जातियों को परिगणित जाति की सूची में सम्मिलित कर लेने के फलस्वरूप जो परिगणित जाति की संख्या में वृद्धि हुई है उसी अनुपात से आगामी म्युनिसिपल चुनाव में सुरक्षित सीटों की तादाद बढ़ा दी गई है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी नहीं ।

**१८—श्री मोहनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हमीरपुर जिले की राठ, महोबा, चरखारी, मौदहा और हमीरपुर म्युनिसिपैलिटियों में क्रमशः कितनी-कितनी सुरक्षित सीटें उक्त आधार पर बढ़ी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता ।

## तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[३० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

## जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति द्वारा अल्मोड़ा जिले की पट्टी मल्ला रीठागढ़ में चिकित्सालय खोलने का विरोध

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या चिकित्सा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लगभग एक वर्ष पूर्व अल्मोड़ा जिले के तीस-चालीस ग्रामों ने कठपुड छना स्थान पर जो पट्टी मल्ला रीठागढ़ में स्थित है एक चिकित्सालय खुलवाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था और उस प्रार्थना-पत्र में मकान की व्यवस्था भी कर दी गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

*५---श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या चिकित्सा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उस प्रार्थना-पत्र पर तब से क्या निर्णय किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति यह चिकित्सालय स्थापित किये जाने के पक्ष में नहीं है। इसलिये सरकार ने इस प्रश्न को समाप्त कर दिया है।

*६---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---[इस प्रश्न का उत्तर ६ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या १०२ के अन्तर्गत दिया गया।]

*७-८---श्री गज्जू राम---[इन प्रश्नों का उत्तर ६ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या ९८-९९ के अन्तर्गत दिया गया।]

## गाजीपुर सदर चिकित्सालय में टी० बी० के इलाज की व्यवस्था

*९---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर सदर चिकित्सालय में टी० बी० के मरीजों के लिये कोई कमरा बना है ? यदि हां, तो इसके बनवाने में सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---गाजीपुर सदर अस्पताल में उत्तर प्रदेश क्षय निवारण समिति ने लगभग १०,००० रु० की लागत से एक टी० बी० क्लीनिक के भवन का निर्माण किया है।

*१०---श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कमरे में रोगियों के लिये कितनी चारपाइयां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी यह क्लीनिक चालू नहीं हुई है परन्तु चालू होने पर इसमें केवल बाहरी इलाज का ही प्रबन्ध होगा।

## "कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन" के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की समाप्ति

*११---श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि "कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन" के कर्मचारियों ने पिछली १४-१५ जुलाई, १९५७ से हड़ताल कर दी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---जी हां।

प्रादेशिक संराधन अधिकारी, बरेली ने श्रमिकों तथा सेवायोजकों को शान्तिपूर्वक मामला तय करने की सलाह दी। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और हड़ताल समाप्त हो गई है।

## सहकारी गन्ना विकास समितियों के पास जमा धन का उपयोग

*१२---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जिले में कितनी Co-operative Cane Development Societie हैं और उनमें से प्रत्येक सोसाइटी का कितना-कितना रुपया सरकार के पास जमा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६४-३६५ पर)

*१३---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन Societies का जितना रुपया जमा है वह उनके सदस्यों को मुनाफा के हिसाब में बांटा नहीं जाता ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सदस्यों को उनके हिस्से पर प्रति वर्ष विभिन्न सोसाइटियों द्वारा सालाना हिसाब बनने के समय Dividend के रूप में बचत का कुछ भाग नियमानुसार दिया जाता है।

*१४---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार इस धनराशि का क्या उपयोग करना चाहती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनेकों विकास कार्य को सम्पन्न करने में।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब प्रतिवर्ष डिवीडेंड बांटा जाता है तो फिर बचत कैसे रह जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---४, ५ प्रतिशत बांटा जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय---जब कि बचत की रकम में अब १३,००,००,००० से ऊपर रुपया जमा हो गया है तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इतना अधिक रुपया बढ़ जाने पर वह इसका क्या उपयोग करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह रिजर्व फंड का रुपया है। डेवलपमेंट कौंसिल इसको विकास के काम में खर्च करती है नियमानुकूल।

## मत्स्य निरीक्षक के कार्यालय का बलरामपुर से गोंडा में स्थानान्तरण

*१५---श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि बलरामपुर से मत्स्य विभाग हटा कर गोंडा लाया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बलरामपुर से केवल विभागीय मत्स्य निरीक्षक का कार्यालय हटा कर गोंडा ले जाया गया है।

*१६---श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कार्य की सुगमता के लिये, ताकि गोंडा से मत्स्य निरीक्षक पूरे जिले का कार्य भलीभांति निरीक्षण कर सकें।

*१७---श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---सरकार का इसके हटाने में कितना धन खर्च होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---केवल कार्यालय भवन के किराये का ६२ रु० ५० नया पैसा का मासिक व्यय हो रहा है।

## प्रदेश में बिना आय की विधवाओं के लिये योजना

*१८---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की बिना आय की विधवाओं के लिये वह कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। बिना आय की विधवाओं के लिये एक योजना बनाई गई है जो कि कुछ अंश तक कार्यान्वित भी हो चुकी है।

*१९--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो क्या ?

आचार्य जुगलकिशोर--मथुरा में निराश्रित महिलाओं तथा बच्चों के लिये एक आदर्श भवन की स्थापना की गई है जहां १५० विधवाओं के रहने का प्रबन्ध रहेगा। उक्त भवन में विधवाओं को प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायगा जिससे कि वे स्वावलम्बी बन सकें। इसके सिवाय सरकार इन ऐक्षिक संस्थाओं को, जो कि विधवाओं के पालन पोषण का कार्य कर रही हैं, समुचित धनराशि अनुदान स्वरूप देती है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो विधवायें अपने घरों पर रह रही हैं और उनके कोई लड़का भी नहीं है और पीसने पीस कर अपनी गुजर करती हैं, ऐसी विधवाओं के लिये कोई पेन्शन देने पर सरकार विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--विधवाओं के लिये आश्रम खोले गये हैं। जहां तक इस सवाल का संबंध है उनको पेन्शन देने का कोई विचार नहीं है।

श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में बिना आय की विधवाओं की कोई संख्या उनके पास है ?

आचार्य जुगलकिशोर--बिना आय की विधवाओं के बारे में मथुरा में एक सेन्टर खोला गया है जहां पर उनको शिक्षा दी जाती है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिना आय की कितनी विधवायें हैं, क्या इसके कोई आंकड़े उनके पास हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं, उनके कोई आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री उग्रसेन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिन बिना आय की विधवाओं का सरकार पालन पोषण करती है और जिनको सरकार अनुदान देती है, उनकी संख्या कितनी है ?

आचार्य जुगल किशोर--इस समय मथुरा आश्रम में ३३ स्त्रियां विधवायें हैं जो इस तरह का आश्रय प्राप्त कर रही हैं। बहुत सी अन्य संस्थायें भी हैं जहां पर इस तरह की विधवाओं के लिये कुछ अनुदान दिया जाता है। मैं इस वक्त उनकी संख्या नहीं बतला सकता।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सरकार की ओर से शिक्षण केन्द्र खोला गया है, इसमें किन व्यवसायों का शिक्षण दिया जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर--सिलाई, कटाई, बुनाई आदि व्यवसाय के काम को सिखाया जाता है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार अगले कुछ दिनों में बिना आय की विधवाओं की संख्या जानने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--हमारी कोशिश यह है कि हम इस बात की जानकारी हासिल करें और हमने अपने अफसरों को यह हिदायत दी है कि जगह-जगह से इस तरह की जो सूचना प्राप्त हो, वह इकट्ठी करके हमारे पास भेज दें।

श्री गेंदासिंह--क्या गांव पंचायतों के द्वारा और म्युनिसिपैलिटी के द्वारा अगले ३, ४ महीनों में ऐसी संख्या सरकार के लिये सुलभ नहीं हो सकती है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इकट्ठी तो हो सकती है, लेकिन इसके इकट्ठी करने में दिक्कत होगी। बहुत कुछ इसके लिये काम करना पड़ेगा और काफी समय खर्च होगा। उसका कोई नतीजा हमें मालूम नहीं पड़ता कि अच्छा निकलेगा, क्योंकि हम उनको पूरी सहायता नहीं दे सकेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मन्त्री जी उन विधवाओं के पढ़ने का भी प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं समझता हूं कि प्रशिक्षण में पढ़ने का कार्य भी है, उनको साधारण शिक्षा भी दी जाती है।

## महोबा अस्पताल, जिला हमीरपुर के डाक्टर के विरुद्ध अयोग्य एवं भ्रष्ट होने की शिकायत

*२०---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महोबा अस्पताल, जिला हमीरपुर के डाक्टर के खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, एक शिकायत आई है उसमें चिकित्सक पर अयोग्य एवं भ्रष्ट होने का आरोप है।

*२१---श्री रामगोपाल गुप्त (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल में अभी हाल में ही एक गर्भवती स्त्री का आपरेशन आधा करने के पश्चात् छोड़ दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

## द्वितीय पंच वर्षीय योजनान्तर्गत झांसी कमिश्नरी के हरिजनों के उत्थान के लिये अनुदान

*२२---श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--- क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी कमिश्नरी के हरिजनों के गृह उत्थान व घरेलू उद्योग धंधों के विकास के सम्बन्ध में वह क्या विचार कर रही है ?

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी कमिश्नरी के हरिजनों के लिये २०२ गृह निर्माण या सुधार के लिये २.०२ लाख रुपये के तथा ५४८ व्यक्तियों को गृह उद्योग के हेतु १.९६ लाख रुपये का अनुदान देने की योजना है ।

## कंचौसी, जिला इटावा में अस्पताल खोलने की कथित स्वीकृति

*२३---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के कस्बा कंचौसी में एक सिविल अस्पताल खोला जाना मंजूर हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी मंजूर नहीं हुआ है।

*२४---श्री भूवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)---यदि हां, तो वह अभी तक क्यों नहीं खोला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह प्रश्न नहीं उठता।

## पशु-रक्षकों को सुपरवाइजरी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का सुझाव

*२५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार इस बात की उपयोगिता पर विचार करने की कृपा करेगी कि पशु-चिकित्सा अधिकारी पुराने पशु-रक्षकों को समय-समय पर विशेष बातों की शिक्षा देते रहें और तीन साल की शिक्षा के बाद इन पशु-रक्षकों को सुपरवाइजरी इम्तिहान में बैठने की सुविधा दे दी जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह सम्भव नहीं है कि Livestock Supervisors के स्तर की योग्यता जो दो वर्ष निरन्तर अध्ययन करने पर प्राप्त होती है वह पशु-रक्षकों (Stockmen) को उनके केन्द्र पर पशु चिकत्सा अधिकारी द्वारा दी जा सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इन पशु-रक्षकों को इम्तिहान में बैठकर उस स्तर की योग्यता साबित करने का अवसर देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह पहले ही से मालूम है कि उसमें ये ठीक नहीं उतरेंगे।

## कृषि विद्यालय गोरखपुर तथा बुलन्दशहर के डिप्लोमा होल्डरों पर नये डिप्लोमा होल्डरों को कथित प्राथमिकता

*२६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि कृषि विद्यालय गोरखपुर तथा बुलन्दशहर के पुराने डिप्लोमा होल्डरों को सरकार द्वारा अनक्वालीफाइड बताया जाता है अथवा नये डिप्लोमा होल्डरों को पुरानों पर प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं।

## प्रदेश में इन्फ्लुएन्जा की रोकथाम

*२७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में इन्फ्लुएन्जा की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी)—सरकार ने इन्फ्लुएन्जा की रोकथाम के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

१—इन्फ्लुएन्जा के रोगियों के लिये अतिरिक्त शय्याओं का प्रबन्ध आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और अन्य स्थानों में जहां बीमारी का प्रकोप था साधारण और I. D. चिकित्सालयों में किया गया।

२—बड़े नगरों जैसे लखनऊ, आगरा आदि में रोगियों की सुविधा के लिये (Mobile dispensaries) चल अस्पताल चलाये गये और स्थायी चिकित्सालय स्थापित किये गये।

३—विभिन्न जिलों में इन्फ्लुएन्जा के रोगियों के औषधोपचारार्थ पर्याप्त मात्राओं में अंग्रेजी और देशी औषधियां दी गईं।

४—सरकार ने इन्फ्लुएन्जा की रोकथाम के लिये ६,५०,००० रु० का विशेष अनुदान दिया है।

५—प्रदेश में कुछ समय के लिये सिनेमा घरों में बैठने संबंधी प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे तथा कुछ समय के लिये सिनेमाघर बिलकुल बन्द ही कर दिये गये थे।

६—प्रदेश की पाठशालाओं, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के ग्रीष्म अवकाश की अवधि बढ़ाकर २१ जुलाई, १९५७ कर दी गई थी।

७—इन्फ्लुएन्जा ग्रस्त नगरों में सफाई आदि का विशेष प्रबन्ध कर दिया गया है और Sanitation Drive किये गये।

८—इन्फ्लुएन्जा की बीमारी को सम्पूर्ण प्रान्त के नगरपालिकाओं में नोटीफाइड डिजीज करार दे दिया गया है ताकि रोगियों की संख्या आदि का पता इस विभाग को मिल सके।

९—यू० पी० एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जिलाधीशों तथा प्रान्तीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बीमारी की रोकथाम के लिये विशेष अधिकार दिये गये हैं ।

१०—होटलों इत्यादि में बैठने की जगहों पर नियन्त्रण किया गया और उनके Kitchens की सफाई के संबंध में नगरपालिकाओं के बाईलाज के अन्तर्गत कार्यवाही की गई; यह भी आदेश दिया गया कि वे अपने यहां पंखे तथा खिड़कियां बराबर खुली रक्खें ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने अभी बताया कि चल-अस्पताल खोले गये तो क्या वे देहातों में भी गये और अगर गये तो किस जिले में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक खयाल है, देहातों में नहीं गये, वहां इनफ्लुएन्जा पहल ही नहीं था ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि इन्फ्लुएंजा का प्रकोप देहातों में बढ़ रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा मालूम नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल—जो उन्होंने टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया की संख्या जानने की कोशिश की, प्रदेश में कितने लोग इस बीमारी से बीमार हुये और कितनों की मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सारे प्रदेश में ३८ आदमी इनफ्लुएंजा में मरे हैं और २ लाख के करीब बीमार हुये ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—कुछ डाक्टरों का कहना है कि जाड़ों में इन-फ्लुऐंजाका दूसरा दौर शुरू होगा जो बड़ा खतरनाक होगा । यदि हां, तो उससे बचाव के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डाक्टरों की राय गलत मालूम होती है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या इस समय यह बीमारी घट रही है या बढ़ रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत कम हो रही है ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के देहाती क्षेत्रों में जहां इन्फ्लएंजा इस समय जोरों से फैल रहा है वहां सरकार कोई उचित प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यदि आप मुझे तफसील बतला दें तो मैं फौरन इन्तजाम करूंगा ।

श्री गेंदासिंह—क्या २ लाख संख्या शहरों की ही है या देहातों की भी है या भूलकर बतलाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जितनी इत्तिला मिली है वह सब है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि इनफ्लुऐंजा मैदानी हिस्सों में कम होता जा रहा है, परन्तु पर्वतीय इलाकों में प्रकोप बढ़ने लगा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहाड़ पर अगर गया है तो धीरे-धीरे गया है, उसका प्रबन्ध मैं कर रहा हूं ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—३८ मृत्युओं की संख्या किस समय से लेकर किस समय तक की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर मैं यह कहूं कि आज तक ३८ की मौत हुई है तो बेजा न होगा।

*२८—श्री रामचन्द्र विकल—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

## सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अलीगढ़ जिले में किये गये कार्य

*२९—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में जो Social Welfare Officers नियुक्त हुये हैं उन्होंने अब तक क्या-क्या कार्य किये हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—अलीगढ़ जिले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति १२ सितम्बर, १९५६ को की गयी, तथा उनके कार्यक्षेत्र में एटा तथा बुलन्दशहर जिले भी दिये गये। इस संक्षिप्त काल में उन्होंने बाल कल्याण, युवक कल्याण तथा अन्य समाज कल्याणकारी कार्य किये।

*३०—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१—श्री मदन पाण्डेय—[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३२-३४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

## सीतापुर, लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के विभिन्न अस्पतालों को दवाओं के लिये दिया गया धन

*३५—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिसवां, खैराबाद, सिधौली, जिला सीतापुर, मलिहाबाद, काकोरी, गंगागंज, जिला लखनऊ व पुरवा सफीपुर, जिला उन्नाव में व संडीला, बिलग्राम, शाहाबाद, जिला हरदोई के अस्पताल में दवा के व्यय की १९५६-५७ में अनुमानतः रकम क्या थी ?

*३६—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त अस्पतालों की दवा की रकम अनुमानतः १९४०-४१ में क्या थी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६६ पर)

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरवा, सफीपुर जिला उन्नाव में सन् १९४०-४१ में ७०७ और ६०४ रुपया दिये गये और १९५६-५७ में १५८०-१४७० रुपया दिये गये हैं जब कि दवाओं का मूल्य ५ गुना हो गया है तो रुपया केवल दुगुना ही क्यों दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यकतानुसार।

## महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाने की आवश्यकता

*३७—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में कितने मरीजों के रहने के स्थान विभागवार हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--

| | |
|---|---|
| मेडिकल विभाग .. .. .. | २१४ |
| स्किन विभाग .. .. .. | ६ |
| कोढ़ विभाग अस्पताल .. .. | ३५ |
| न्यूरो साईक्रियाटिक .. .. .. | २० |
| बाल चिकित्सा विभाग .. .. | ३४ |
| सर्जिकल विभाग .. .. .. | १७० |
| आरथोपैडिक विभाग .. .. .. | ३९ |
| नाक, कान व गला विभाग .. .. | ३९ |
| नेत्र चिकित्सा विभाग .. .. .. | ७५ |
| मेडिकल आइसोलेशन .. .. | १० |
| सर्जिकल आइसोलेशन .. .. | १० |
| आब्सटैट्रिक्स एन्ड गायनोकोलोजी चिकित्सा विभाग .. | १०० |
| के० जी० प्राइवेट .. .. .. | ८ |
| एमरजेन्सी वार्ड .. .. .. | १ |
| काटेज वार्ड .. .. .. | ६ |
| नर्सेस सिक होम .. .. .. | ४ |
| स्टूडेन्ट वार्ड .. .. .. | १४ |
| लेडीज स्टूडेन्ट रूम .. .. .. | २ |
| टी० बी० विभाग .. .. .. | ८० |
| आइसेलेशन डिटेन्शन .. .. .. | १ |
| जोड़ .. | ८६८ |

*३८--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने मरीज वहां वेटिंग लिस्ट पर विभागवार गत मार्च मास में थे ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी --

| | |
|---|---|
| मेडिकल विभाग .. .. .. .. | ५५ |
| सर्जिकल विभाग .. .. .. .. | २१६ |
| आर्थोपैडिक विभाग .. .. .. .. | २९७ |
| आपथैलमिक विभाग .. .. .. .. | ४ |
| कान, नाक तथा गला विभाग .. .. .. | १६५ |
| क्षय विभाग .. .. .. .. | ५१ |
| जोड़ .. | ७८८ |

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि टी० बी० विभाग में कितने बैड्स हैं, उनकी संख्या उत्तर में देने की उन्होंने कृपा क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष--टी० बी० विभाग में ८० बैड्स की संख्या दी गयी है। नीचे है, आप देख लें।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आर्थोपैडिक विभाग की वेटिंग लिस्ट में २९७ मरीज हैं और नाक कान विभाग में १६५ मरीज हैं, लेकिन बैड्स केवल ३९--३९ हैं। ऐसी हालत में बैड्स की संख्या बढ़ाने में क्या रुकावट है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यूनिवर्सिटी से तय करें, जो इंतजाम कर रही है।

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यूनिवर्सिटी ने इस सम्बन्ध में कई बार सरकार को लिखा है कि बेड्स बढ़ाने की इजाजत दी जाय, लेकिन सरकार से उसकी अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---धनाभाव।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार यूनिवर्सिटी को अपनी तरफ से इस बात की सिफारिश करेगी कि वह बिस्तरों को बढ़ाये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जब मेरी जेब इजाजत देगी तो मैं जरूर सिफारिश करूंगा।

श्री गेंदा सिंह---रांची में मानसिक रोगियों की ग्रान्ट सरकार ने इस वर्ष बन्द कर दी है। क्या बड़े लोगों के लिये उसमें बिस्तरे बढ़ाने का विचार सरकार रखती है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---मैं देख लूंगा, अगर माननीय गेंदा सिंह बीमार पड़ेंगे तो मैं जरूर इंतजाम करूंगा।

श्री गेंदा सिंह---गेंदा सिंह के अलावा अगर श्री हुकुम सिंह बीमार पड़ें तो उसके लिये क्या बन्दोबस्त होगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसका उत्तर सरकार की तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी स्पष्ट दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन---जब जरूरत होगी और देखूंगा कि आवश्यकता है तो प्रबन्ध करने को जरूर सोचूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में जहां कमी है बेड्स की, उनके बढ़ाने में कितने धन की आवश्यकता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री प्रताप सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्टूडेंट्स वार्ड में केवल १४ बिस्तरे हैं जो बहुत कम हैं, क्या सरकार उनको बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---हर एक के लिये एक सा ही जवाब है।

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बेड्स बढ़ाने के सिलसिले में उनकी तजवीज को कैबिनेट ने या गवर्नमेंट ने क्यों अस्वीकार किया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसका मैंने जवाब दे दिया है।

## शामली डिस्पेंसरी (मुजफ्फरनगर) के डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें

*३९---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शामली डिस्पेंसरी (मुजफ्फरनगर) की इमारत में कितने मरीजों के रहने की व्यवस्था है ? क्या उसी इमारत में डाक्टर के रहने की भी व्यवस्था है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---(क) वर्तमान भवन में इस समय १० मरीजों के रखने के लिये प्रबन्ध किया गया है पर आवश्यकता पड़ने पर इससे अधिक मरीजों के लिये प्रबन्ध किया जा सकता है।

(ख) वर्तमान भवन में डाक्टर के रहने की व्यवस्था नहीं है परन्तु डाक्टर को अस्पताल के एक भाग में रहने की आज्ञा तत्कालीन सिविल सर्जन ने दे दी थी। कुछ महीने हुए डाक्टर के लिये बस्ती के अन्दर मकान मिल गया है और अब उन्होंने अस्पताल के भवन में रहना छोड़ दिया है।

*४०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शामली नगरपालिका ने मेडिकल आफिसर शामली डिस्पेंसरी के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास किया था? यदि हां, तो उस प्रस्ताव की क्या रूप-रेखा थी?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां। किन्तु उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि सिविल सर्जन महोदय को मांगने पर अभी २० जुलाई को ही प्राप्त हुई है। प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

( देखिये नत्थी 'व' आगे पृष्ठ ३६७ पर )

*४१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत २६ अप्रैल, १९५७ को मुजफ्फरनगर के सिविल सर्जन ने शामली डिस्पेंसरी का जो निरीक्षण किया उसके सम्बन्ध में उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---यह रिपोर्ट गोपनीय पत्र होने के कारण उसका सदन की मेज पर रखना सार्वजनिक हित में नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शामली डिस्पेंसरी के डाक्टर कितने दिन अस्पताल में रहे जिसके कारण मरीजों की उचित व्यवस्था, जिस हिस्से में वे रहते थे, वहां नहीं हो पायी?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह बतलाना इस वक्त कठिन है कि कितने दिन रहे, लेकिन मरीजों के रखने में कोई ऐसी खास असुविधा नहीं हुई।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अगर मरीजों के रहने की कोई असुविधा नहीं थी तो फिर डिस्पेंसरी से हटा कर गांव में रहने की उनकी व्यवस्था क्यों की गयी?

श्री हुकुम सिंह विसेन---लोगों की ख्वाहिश हुई।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मरीजों की ख्वाहिश से या वहां के लोगों की ख्वाहिश से?

श्री हुकुम सिंह विसेन---मैंने कह दिया जो कुछ कहना था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड के प्रस्ताव की शिकायत पर सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन फिर गत वर्ष उनका ट्रांसफर रोक दिया गया, उसका क्या कारण था?

श्री हुकुम सिंह विसेन---ट्रांसफर रुक गया, इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं है। मैं इसको जा कर दरियाफ्त करूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि गत वर्ष म्युनिसिपल बोर्ड ने जब प्रस्ताव पास किया तो सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया था, ट्रांसफर करने के बाद गत वर्ष फिर उनका ट्रांसफर रुक गया, तो उसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब तो दे दिया कि उनको मालूम नहीं है। वे इसकी तहकीकात करेंगे?

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शामली के डाक्टर की जो म्युनिसिपल बोर्ड के प्रस्ताव में शिकायत हुई, गम्भीर आरोप होने की, क्या सरकार उसकी जांच करवा रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जांच हो रही है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---सरकार की तरफ से कहा गया कि सिविल सर्जन की रिपोर्ट गोपनीय है, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसको गोपनीय रखने का क्या आधार है जिस पर वह गोपनीय किसी चीज को रखती है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जनहित में जिन चीजों का जाहिर करना नामुनासिब होता है वही चीजें गोपनीय रखी जाती हैं।

*४२---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४३---श्री मोहनलाल वर्मा---[३० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

## झांसी नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों को जल्दी स्थानान्तरित न करने की प्रार्थना

*४४---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत पांच वर्षों में झांसी म्युनिसिपल बोर्ड में कितने हेल्थ अफसर भेजे गये और वह कितने-कितने समय तक वहां रहे ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---पिछले पांच वर्षों में ४ हेल्थ आफीसर झांसी म्युनिसिपल बोर्ड में रहे। उनके उन पदों पर रहने का समय निम्नलिखित है :

(१) पहला आफीसर २ साल २ १/२ महीना रहा।

(२) दूसरा आफीसर १ साल ६ १/२ महीना रहा।

(३) तीसरा आफीसर १ साल ४ महीना रहा।

(४) चौथा आफीसर १६, अक्तूबर, १९५६ से अभी तक।

*४५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो हेल्थ अफसर उक्त समय में झांसी भेजे गये थे उनके रिटायर होने में कितना-कितना समय शेष था ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---(१) पहिले आफीसर को रिटायर होने में लगभग साढ़े पांच साल।

(२) दूसरे आफिसर को रिटायर होने में लगभग १७ साल।

(३) तीसरे आफीसर को रिटायर होने में लगभग पौने दो साल।

(४) चौथे आफीसर १८ अक्तूबर, सन् १९६० को रिटायर होंगे।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि दूसरे और तीसरे नम्बर के हेल्थ आफिसरों का तबादला इतनी जल्दी-जल्दी क्यों किया गया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर किया गया होगा, ज्यादा तफसील तो इसकी हमें याद नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी यह आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के तबादले इतनी जल्दी-जल्दी न किये जाया करें ?

**श्री हुकुम सिंह विसेन**---ऐसा करना तो अनुचित होगा, कोई गड़बड़ी करेगा तो हम क्या करेंगे ?

*४६-४८---**श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़)---[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

## ग्राम महेबा ननकर, जिला गोंडा में गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से मृत्युयें

*४९---**श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार को यह मालूम है कि महेबा ग्राम, परगना मनकापुर, तहसील उतरौला, जिला गोंडा, में दिनांक २९ जून, १९५७ को हैजे का प्रकोप शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप चार दिन के अन्दर ३ आदमी मर गये ?

**डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी**---जी हां, ग्राम महेबा ननकर, परगना मनकापुर, तहसील उतरौला, जिला गोंडा, से २९ जून, १९५७ से १ जुलाई, १९५७ के अन्तर्गत गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस की बीमारी के द्वारा ३ व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई ।

**श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह**---क्या यह सही है कि बीमारी शुरू होने पर इसकी इत्तला सब से पहले ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर को की गई, लेकिन फिर भी ५ दिन तक कोई रोकथाम नहीं की गई ?

**श्री हुकुम सिंह विसेन**---इसकी जानकारी इस वक्त मुझे नहीं है, नोटिस चाहिये ।

**श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह**---क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि यह जांच क्यों नहीं की गई ?

**श्री हुकुम सिंह विसेन**---नोटिस मिलने पर मैं जांच करा लूंगा ।

## ऋषिकेश-धरासू तथा धरासू-गंगोत्री जमनोत्री यात्रा मार्गों पर प्याऊ लगाने के लिये अनुदान

*५०---**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार को विदित है कि ऋषिकेश से धरासू मोटर मार्ग के दर्मियान तथा धरासू से गंगोत्री-जमनोत्री यात्रा मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिये पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक Halting Station पर पीने के पानी के लिये समुचित व्यवस्था करेगी ?

**डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी**---जी हां, इस यात्रा मार्ग पर पीने के पानी की व्यवस्था करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । अभी योजना लागू करने में समय लगेगा । अतः इस वर्ष यात्रा मार्ग में १० स्थानों पर प्याऊ लगाने हेतु राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड में ४,००० का अनुदान दिया है ।

**श्री सूरतचन्द रमोला**---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि वह १० स्थान कौन से हैं जहां प्याऊ लगाने की योजना सरकार ने बनाई है ?

**श्री हुकुम सिंह विसेन**---नाम तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता ।

**श्री सूरतचन्द रमोला**---क्या सरकार को मालूम है कि यह ऋषिकेश से गंगोत्री का मार्ग जो करीब २०० मील का है उस पर यह दस पानी के स्थान नाकाफी होंगे ?

**श्री हुकुम सिंह विसेन**---सम्भव है, नाकाफी हों, क्योंकि पहाड़ी स्थान बड़े दुर्गम हैं ।

**श्री प्रताप सिंह**---यह पीने के पानी की स्कीम वहां के लिये कितने दिन से सरकार के विचाराधीन है ?

**श्री हुकुम सिंह विसेन**---तारीख बताना तो इस वक्त सम्भव नहीं है ।

## दूध, तेल तथा अन्य वस्तुओं में मिश्रण के अपराध से सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड

*५१—श्री त्रिलोकी सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५५-५६ में कितने दूध में पानी मिलाने के केसेज पकड़े गये तथा उन व्यक्तियों पर कितना जुर्माना किया गया ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—आंकड़ों का संकलन वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं होता, कलेंडर वर्ष के अनुसार होता है। १९५५-१९५६ के अलग-अलग आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

| सन् | नमूनों की संख्या जो जांचे गये | नमूनों की संख्या जिनमें मिलावट नहीं मिली | नमूनों की संख्या जिनमें मिलावट मिली |
|---|---|---|---|
| १९५५ .. .. | ९,४३२ | ७,१९५ | २,२३७ |
| १९५६ .. .. | ९,५६७ | ६,७५७ | २,८१० |

दूध के अपमिश्रण के लिये किये गये जुर्माने का अलग आंकड़ा नहीं है, परन्तु १९५५ तथा १९५६ में सब वस्तुओं के मिश्रण से सम्बन्धित आंकड़े निम्नलिखित हैं:

| सन् | चालान | सजा | जुर्माना | जेल |
|---|---|---|---|---|
| १९५५ | ७,०१३ | ४,२७९ | रु० ३,६०,२८६ | ७६ |
| १९५६ | ५,७९४ | ३,१९४ | रु० ३,३६,२४८ | ६६ |

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि वह आंकड़े में सब वस्तुओं के मिश्रण से सम्बन्धित हैं, तो वह कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जिनका मिश्रण इसमें सम्मिलित है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जैसे तेल होता है, घी होता है, उन सब के मिश्रण हैं। मैं उन सब की तफसील नहीं दे सकता। जिन-जिन चीजों में अडल्ट्रेशन होता है उन सब चीजों के मिश्रण से सम्बन्धित हैं।

*५२—श्री गेंदा सिंह—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

## रत्ना शुगर मिल्स, शाहगंज के गन्दे पानी के नालों से जनता को कष्ट

*५३—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जौनपुर जिले में शाहगंज की 'रत्ना शुगर मिल' से निकला हुआ गन्दा पानी नालों में एकत्र होकर सड़क, शाहगंज कस्बे तथा आस-पास के कुछ गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सिद्ध हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां। जिला स्वास्थ्य अधिकारी जौनपुर ने रत्ना शुगर मिल, जौनपुर का निरीक्षण किया है। मिल मैनेजर से कहा गया है कि वे सेटलिंग और फिल्टरेशन टैंक तथा बन्द पक्की नाली, गन्दे पानी के निकास के लिये बनायें। उस विषय में चीफ इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज, कानपुर को भी लिखा गया है।

श्री माता प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्थान पर सेटलिंग और फिल्टरेशन टैंक तथा बन्द पक्की नालियों की व्यवस्था कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

नोट—प्रश्न संख्या ५३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हुकुम सिंह विसेन—अभी तो मैंने उनको आदेश दिया है ।

श्री माता प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना धन उक्त गंदे पानी के निकास की व्यवस्था में लगेगा और उसका सारा खर्चा मिल ही बरदाश्त करेगी या उसका कुछ अंश सरकार भी देगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—फैक्टरी बरदाश्त करेगी । सरकार क्यों देगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल के इस गंदे पानी की शिकायत सरकार के सामने कितने दिनों से चल रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हमको पहले पहल क्वैश्चन से मालूम हुआ । कितने दिन से है इसके लिए नोटिस की जरूरत है कि पहले कोई शिकायत आयी थी या नहीं ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रत्ना शुगर मिल कब से कायम है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—गालिबन दस बारह वर्ष से ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार को यह मालूम है कि जब से मिल कायम है तब से गंदा पानी बह रहा है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—मुझे नहीं मालूम, कभी गया नहीं उधर ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात का स्मरण है कि पिछले दो साल के बीच में इस सदन में इसी प्रकार के सवाल वहां के गंदे पानी के विषय में उठाये गये, लेकिन अब तक सरकार की ओर से, मिल वालों के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—मुमकिन है कि उठाये गये हों, लेकिन मुझे तो स्मरण नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न को सूचना समझते हुए इस मिल के लिये अपने यहां से आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—पहले ही कर दिये । जवाब सुन लिया करिये पहिले, तब सवाल करिये ।

## हरदोई जिले की संडीला तहसील में गठिया रोग का प्रकोप

*५४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई की संडीला तहसील में गठिया रोग के प्रबल प्रकोप को दूर करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—संडीला स्थित स्त्री तथा पुरुष चिकित्सालय में तथा उसी क्षेत्र में स्थित ४ राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालयों में जो इस रोग से पीड़ित आते हैं उन की चिकित्सा की जाती है ।

## जिला हरदोई के गुड़वा क्षेत्र में औषधालयों की आवश्यकता

*५५—श्री राजेन्द्र सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला हरदोई के गुड़वा क्षेत्र में औषधालयों की कमी है ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र में एक बड़ा औषधालय कब खोलने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—एक सरकारी आयुर्वदिक औषधालय ग्राम गोनी गुड़िया में चल रहा है यदि और किसी स्थान के लिये प्रस्ताव आवेगा तो उस पर विचार होगा ।

## उत्तर प्रदेश अस्पताल स्टाफ यूनियन, ब्रांच बुलन्दशहर की मांगों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*५६—श्री जगवीर सिंह—क्या सरकार के पास ११ मई, १९५७ को उत्तर प्रदेश अस्पताल स्टाफ यूनियन, ब्रांच जिला बुलन्दशहर, की मीटिंग में पास की हुई मांगों की कोई प्रतिलिपि आई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

## गुलावटी डिस्पेंसरी, जिला बुलन्दशहर, में डाक्टर का प्रबन्ध

*५७—श्री जगवीर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गुलावटी, जिला बुलन्दशहर के ( N. E. S. Block Dispensary ) में अभी तक किसी भी डाक्टर का प्रबन्ध वह क्यों नहीं कर पाई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गुलावटी डिस्पेन्सरी, जिला बुलन्दशहर में डाक्टर काम कर रहा है।

## महावीर जूट मिल मजदूर सभा सहजनवा द्वारा गोरखपुर कंसीलियेशन बोर्ड को भेजे गये मुकदमे

*५८—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि पिछले पांच साल में अर्थात् १ जुलाई, सन् १९५२ से १ जुलाई, सन् १९५७ तक महावीर जूट मिल मजदूर सभा सहजनवा ने कौन-कौन से मुकदमें गोरखपुर कंसिलियेशन बोर्ड को भेजे और उनमें से कौन-कौन से मुकदमे दाखिल दफ्तर हुए और कौन-कौन से मुकदमे एडजुडिकेशन के लिये भेजे गये ?

आचार्य जुगुल किशोर—इस सभा ने इस काल में ११ मुकदमें दाखिल किये जिनमें से ३ विवाद एडजुडीकेशन को भेजे गये, ५ दाखिल दफ्तर किये गये तथा शेष ३ विवादों में संराधन समिति के समक्ष समझौता हो गया।

## गोरखपुर की अपराधशील जातियों को बसाने की व्यवस्था पर विचार

*५९—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में निवास करने वाली अपराधशील जातियों को गोरखपुर ही में बसाने की वह व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां पर ?

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—मामला शासन के विचाराधीन है।

## पिछड़े वर्ग और परिगणित जाति के छात्रावास बनवाने की व्यवस्था

*६०—रामसूरत प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त धन से पिछड़े वर्ग और परिगणित जाति के लिये कितने छात्रावासों को बनावने की व्यवस्था है और कहां-कहां ? क्या गोरखपुर जिले में कोई ऐसा छात्रावास बनने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मंगला प्रसाद—ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। परन्तु प्रदेशीय सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीनछात्रावास बनाने की व्यवस्था है। इसके व्यय में केन्द्रीय सरकार भी निर्धारित प्रतिशत के आधार पर राज्य सरकार को अनुदान देगी। यह अभी निश्चय नहीं हुआ कि ये छात्रावास किन-किन स्थानों पर बनेंगे।

## गोरखपुर जिले में गन्ना सूखने से क्षति

*६१—श्री राम सूरत प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ने सूखने से गोरखपुर जिले में अनुमानतः कितने रुपये की क्षति हुई है और क्षति-पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अनुमानतः ६ लाख रुपये की क्षति हुई है। हानि को यथा-सम्भव कम करने के लिये गन्ने के किसानों को वर्षा होते ही फसल में अमोनियम सल्फेट के द्वारा टाप ड्रेसिंग करने का अनुरोध किया जा रहा है। जिन खेतों में गन्ना पूर्णतया सूख गया है उनको जोतकर खरीफ की फसल बोने या रबी की तैयारी करने की राय दी जा रही है।

*६२-६३—श्री प्रतापसिंह—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

## सरकारी अस्पतालों के कम्पाउन्डरों को प्राप्त सुविधायें

*६४—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य सरकार के अस्पतालों के कम्पाउन्डरों का वेतन तथा महंगाई भत्ता क्या है तथा और क्या सुविधायें इन्हें प्राप्त हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वेतन क्रम ट्रेन्ड कम्पाउन्डर : ४५-२-६५ दक्षता रोक ३-८० दक्षता रोक ४-१०० रु०।

अन्ट्रेन्ड कम्पाउन्डर : ४५-२-६५।

महंगाई भत्ता जैसा अन्य कर्मचारियों को, अर्थात् पचास रुपया वेतन तक २० रु० माहवार; उसके पश्चात् १०० रु० तक २५ रु० माहवार।

अन्य सुविधायें:—

क—(१) एलोपैथिक कम्पान्डरों को रहने के लिये निःशुल्क क्वार्टर दिया जाता है यदि वह न उपलब्ध हो तो मकान किराया भत्ता दिया जाता है जो एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में १० रु० और अन्य स्थानों पर ५ रु० माहवार है।

(२) आयुर्वेदिक तथा यूनानी कम्पाउन्डरों को जहां-जहां अस्पतालों में रहने के लिये जगह होती है वहां निःशुल्क रहने की आज्ञा है।

ख—कम्पाउन्डरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की आज्ञा है यदि इस से उनकी सरकारी ड्यूटी में बाधा न पड़े।

*६५—श्री गेंदासिंह—क्या सरकारी अस्पतालों के कम्पाउन्डरों की पदोन्नति करने की कोई गुंजायश है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्या सरकार उस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एलोपैथिक ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों का वेतन बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

## बेहड़ा खरीखाट, अस्पताल, जिला बहराइच, में डाक्टर की नियुक्ति

*६६—श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बहराइच जिले में बेहड़ा खरीखाट अस्पताल में कोई डाक्टर अब तक नहीं है ?

श्री हुकुम सिंहविसेन—खरीखाट चिकित्सालय में डाक्टर की नियुक्ति के आदेश जारी हो गये हैं और आशा है वहां अब तक डाक्टर पहुंच गये होंगे।

## जिला एटा की कथित कुक्कुटशालाओं में मुर्गियों की मृत्यु

*६७—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला में कितनी कुक्कुटशालायें सन् १९५६ में खोली गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई कुक्कुटशाला जिला एटा में सन् १९५६ में नहीं खोली गयी ।

*६८—श्री भूपकिशोर—क्या यह सत्य है कि सन् १९५५-५६ में कुक्कुटशालाओं में मुर्गियां अधिक मरीं ? अगर यह सत्य है, तो उसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

*६९—श्री भूपकिशोर—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

## सदर अस्पताल, आजमगढ़, में पंखे, वाहन तथा बिस्तरों की व्यवस्था करने की प्रार्थना

*७०—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—क्या चिकित्सा मंत्री को ज्ञात है कि सदर अस्पताल, आजमगढ़ के वार्ड्स में बिजली के पंखे नहीं लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके तुरन्त लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सदर अस्पताल, आजमगढ़ के वार्ड्स में ३ सीलिंग फैन्स हैं । इसके अतिरिक्त एक टेबिल फैन भी उपलब्ध है । नये अस्पताल बनने के प्रस्ताव के कारण अधिक पंखे लगाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ।

*७१—श्री तेजबहादुर—क्या चिकित्सा मंत्री को ज्ञात है कि सदर अस्पताल, आजमगढ़ में मरीजों के लाने के लिये कोई वाहन है ? यदि हां, तो वह कैसी हालत में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, अस्पताल में एक एम्बुलेंस वाहन है, किन्तु यह १९५६ के प्रारम्भ से बिगड़ी हुई है और मरम्मत के लिये कारखाने को भेजी गयी है ।

*७२—श्री तेजबहादुर—क्या चिकित्सा मंत्री को ज्ञात है कि सदर अस्पताल, आजमगढ़ में आने वाले मरीजों के लिये बिस्तर कम हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बिस्तर बढ़वाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, बिस्तरों के बढ़ाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक नये अस्पताल के निर्माण का विचार है ।

*७३—श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

## लखनऊ, कानपुर तथा आगरा मेडिकल कालेजों में परिगणित जाति के छात्रों की भर्ती

*७५—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ मेडिकल कालेज, कानपुर मेडिकल कालेज एवं आगरा मेडिकल कालेज में परिगणित जातीय छात्रों की शिक्षा के लिये भर्ती के लिये स्थान सुरक्षित हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, लखनऊ, कानपुर तथा आगरा मेडिकल कालेज में परिगणित जातीय छात्रों की शिक्षा के हेतु भर्ती के लिये प्रत्येक कालेज में दो स्थान सुरक्षित हैं ।

*७६—श्री चिरंजीलाल जाटव—यदि हां, तो लखनऊ मेडिकल कालेज, कानपुर मेडिकल कालेज एवं आगरा मेडिकल कालेज में मेडिकल कोर्स के लिये इस वर्ष कुल कितने छात्र लिये गये और इनमें से कितने छात्र परिगणित जाति के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्री-मेडिकल टेस्ट के आधार पर उक्त तीनों मेडिकल कालेजों में इस वर्ष कुल ३२१ छात्र लिये गये। इनमें से केवल आगरा मेडिकल कालेज में दो परिगणित जातीय छात्र लिये गये।

*७७—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

## उत्तर प्रदेश हरिजन कल्याण संचालन के अन्तर्गत कार्य करने वाले हरिजन अधिकारियों की संख्या

*७८—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य में हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर कितने हैं और उनमें कितने हरिजन हैं और कितने हरिजन जिला हरिजन अधिकारी हैं तथा सुपरवाइजर और अधिकारी के वेतन अलग-अलग क्या हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—उत्तर प्रदेश हरिजन कल्याण संचालन के अन्तर्गत इस समय कुल १११ हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर हैं, जिनमें ८३ हरिजन हैं। जिला हरिजन कल्याण-अधिकारी इस समय ४७ हैं, इनमें हरिजन १४ हैं।

वेतम क्रम अलग-अलग निम्न प्रकार हैं:—

सुपरवाइजर ग्रेड १————५०—४—९० रु० द० रो० ५—१०० रु०

ग्रेड २—३०—३—६० रु०।

जिला हरिजन कल्याण अधिकारी—२००—१०—२५० द० रो० १५—४०० रु०।

## हरिजन संचालक कार्यालय में हरिजन कर्मचारियों की संख्या

*७९—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रांतीय हरिजन संचालक के कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं उनमें कितने उच्च अधिकारी, क्लर्क, चपरासी है और उनमें कितने हरिजन उच्च पदों पर हैं, कितने हरिजन क्लर्क तथा चपरासी हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—संचालक, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यालय में कुल ८५ कर्मचारी हैं। इनका विवरण इस प्रकार है :—८ उच्च अधिकारी, ४२ लिपिक, १७ चपरासी तथा १८ अन्य भिन्न भिन्न श्रेणियों के कर्मचारी हैं।

उच्चाधिकारियों में हरिजन ३ हैं, लिपिकों में हरिजन ३ हैं, तथा चपरासियों में हरिजन ४ हैं।

## रानीखेत त्रिदलीय कान्फ्रेन्स में कानपुर बिजली मजदूर सभा के प्रतिनिधि को न बुलाना

*८०—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर बिजली मजदूर सभा के ई० एस० ए० कानपुर की एक रजिस्टर्ड यूनियन १९५० से है और जून, १९५७ में रानीखेत में हुई ट्राइपार्टाइट कांफ्रेंस में उसके प्रतिनिधि नहीं बुलाये गये ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां।

*८१—श्री रामस्वरूप वर्मा—यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस त्रिदलीय सम्मेलन में राज्य के प्रमुख फेडरेशन तथा यूनियन के प्रतिनिधि, जो बिजली संस्थाओं के अधिकांश यूनियन से सम्बन्धित हैं, बुलाये गये थे। व्यक्तिगत रूप में कोई नहीं बुलाया गया।

## डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर्स का चुनाव तथा इस मद में प्राविधान का खर्च न होना

*८२—श्री रामदास आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफ़िसर्स का चुनाव कब और किस आधार पर हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद—डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर्स का चुनाव सेलेक्शन कमेटी द्वारा नवम्बर, १९५६ में हुआ था।

*८३—श्री रामदास आर्य—क्या यह सही है कि इस मद पर १९५५-५६ और १९५६-५७ का स्वीकृत धन व्यय नहीं हुआ है ?

श्री मंगलाप्रसाद—सन् १९५५-५६ में इस मद में कोई प्राविधान (provision) नहीं था। सन् १९५६-५७ में इस मद में जो प्राविधान था वह खर्च नहीं हुआ।

## आयुर्वेदिक औषधालयों को दी गई सरकारी सहायता का उपयोग

*८४—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक औषधालयों को सरकारी सहायता सन् १९५६-५७ में दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२२७ औषधालयों को।

*८५—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त वर्ष में कितने औषधालयों के वैद्यों ने रुपया लिया और कितनों की सहायता मियाद के भीतर न लेने के कारण लैप्स हो गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्राप्त सूचना के अनुसार ४० औषधालयों के अनुदान मियाद के भीतर न लेने के कारण लैप्स हो गये। १७२ औषधालयों के वैद्यों के द्वारा रुपया प्राप्त होने की निश्चित सूचना आ गयी है। बाकी १५ के बारे में अभी सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है।

## पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये योजना बनाने का सुझाव

*८६—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के बाद पिछड़े वर्ग के उत्थान के हेतु सरकार ने क्या योजना बनायी है ?

श्री मंगलाप्रसाद—अभी तक कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

## हरिजनों के पुनर्वास के निमित्त महाबीर शुगर मिल्स का चमडनिया फार्म हस्तगत करने पर विचार

*८७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले में हरिजनों के पुनर्वास के निमित्त हरिजन बस्ती गोरखपुर के लिये सरकार द्वारा हस्तगत (acquire) किया जाने वाला फार्म ( चमडनिया फार्म ) जो महाबीर शुगर मिल्स लिमिटेड, सिसवा-बाजार का है, अब तक क्यों नहीं लिया जा सका ?

श्री मंगलाप्रसाद—मामला शासन के विचाराधीन है।

## हरिजन कल्याण के निमित्त विभिन्न जिलों के लिये स्वीकृत धनराशि

*८८--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या जिला इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, देवरिया, मेरठ व बाराबंकी में सरकार ने वहां के हरिजनों के welfare के लिये ९३ लाख रुपये की योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या यह रुपया इन जिलों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त होगा ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां। परन्तु ९३ लाख रुपयों की नहीं बल्कि ९०.२४ लाख रुपयों की योजना है तथा कथित जिलों के अतिरिक्त उक्त योजना में सीतापुर भी सम्मिलित है।

उपरोक्त धनराशि इन जिलों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त होगी।

## हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन ग्रेड

*८९--श्री रामदास आर्य--क्या सरकार हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन ग्रेड जिला बोर्डों तथा नगरपालिका बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के ग्रेड के बराबर करने पर विचार कर रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी नहीं।

## प्रत्येक जिले में हरिजन सहायक आफिसर की नियुक्ति

*९०--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले बजट के अनुसार क्या प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला हरिजन सहायक आफिसर की नियुक्ति हो गयी और उनमें से कितने लोगों ने कार्यभार संभाल लिया है ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां, इनमें से डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर्स को छोड़ कर बाकी सब ने कार्यभार सम्भाल लिया है।

*९१--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या यह सच है कि कुछ चुने गये लोग किन्हीं कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं करना चाहते ? यदि हां, तो वे कितने लोग हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां।

ऐसे चार डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आफिसरों ने कार्यभार नहीं सम्भाला है।

*९२--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार waiting list की तालिका जानकारी के लिये सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद--ऐसा करना जनता के हित (public interest) में न होगा।

## ग्राम जिवई, जिला अल्मोड़ा के सवर्णों और हरिजनों में पेय जल धाराओं से पानी लेने का झगड़ा

*९३--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला गढ़वाल की पट्टी बेगारस्यूं ग्राम जिवई में पानी पीने के दो धारें हैं और उनमें हरिजनों को पानी पीने व कोई इस्तेमाल करने में गांव के सवर्णों की ओर से प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां, ग्राम जिवई पट्टी बेगारस्यूं में पानी की दो धारें हैं एक हरिजनों की व दूसरी सवर्णों की। इसका उल्लेख इसी प्रकार भू-व्यवस्था तथा भू-अभिलेख के कागजातों में भी दर्ज है। इसी आधार पर सवर्ण लोगों ने अपनी धारा से हरिजनों को पानी लेने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

*९४--श्री खुशीराम--क्या यह सही है कि इन्हीं पानी की धाराओं पर २७ मई, १९५५ को श्री चमनलाल और उनके साथियों से पानी पीने के लिये सवर्णों का झगड़ा हुआ और मारपीट हो गयी थी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई अदालती कार्यवाही हुयी ? यदि हां, तो क्या-क्या हुयी ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां, २७ मई, १९५५ को सवर्ण लोगों की धारा से पानी ले जाने के सम्बन्ध में श्री चमनलाल, उनके साथियों और सवर्ण लोगों के झगड़े व मारपीट के बारे में एक शिकायत खंड मंडलाधीश लेन्सडौन के न्यायालय में पेश की गयी। परन्तु अभियोग सिद्ध न होने के कारण अभियुक्तों को मुक्त कर दिया गया।

अब इस मामले का पुनरीक्षणवाद (revision) जिलाधीश गढ़वाल के न्यायालय में सुनवाई के लिये लम्बित है।

## कहार अथवा गोंड जातियों को पिछड़ी और अनुसूचित जातियों में मानना

*९५--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कहार या गोंड़ जाति हरिजन सहायक के लोग उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में या अनुसूचित जाति में माने जाते हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--कहार जाति पिछड़ी जातियों में शामिल हैं। गोंड़ जाति के लोग, केवल बुन्देलखंड डिवीजन में एवं मिर्जापुर जिले के कैमूर श्रेणी के दक्षिणी भाग में, अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हैं।

## बरेली जिला अस्पताल के सुधार तथा विकास की योजना

*९६--श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिला अस्पताल के विकास एवं सुधार के लिये सरकार ने कितना रुपया लगाना स्वीकार किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बरेली जिला अस्पताल के विकास एवं सुधार के लिये टाउन प्लानर, उत्तर प्रदेश एक मास्टर प्लान बना रहे हैं जिसके तैयार हो जाने पर ही सरकार यह निश्चय कर सकेगी कि इसमें कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ।

*९७--श्री जगदीश शरण अग्रवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एक्सटेन्शन और विकास का कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मास्टर प्लान के स्वीकृत होने के पश्चात् ही बरेली जिला अस्पताल के एक्सटेन्शन एवं विकास का कार्य आरम्भ करने की तिथि निश्चित हो सकेगी।

## जिला अस्पतालों में कुत्ता काटने की निःशुल्क चिकित्सा सम्बन्धी प्रबन्ध

*९८--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार की ओर से जिला अस्पतालों में कुत्ता काटने की दशा में निःशुल्क इंजेक्शन देने का आदेश है ?

*९९--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन इन इन्जेकशनों को निःशुल्क पाने के अधिकारी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--साधारणतः उत्तर प्रदेश क २,००० रु० से कम वार्षिक आय वाले निवासी या २,००० रु० से कम वार्षिक लगान देने वाले निवासी या ऐसे निवासियों के परिवार के सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारीगण तथा उनके आश्रितों को कुत्ता काटने के इंजेक्शन निःशुल्क मिल सकते हैं।

## जिला झांसी में ललितपुर तथा महरौनी तहसीलों की काश्त योग्य बन सकने वाली भूमि

*१००—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला झांसी, तहसील ललितपुर व महरौनी के कितने क्षेत्रफल में काश्त होती है और कितने क्षेत्र बंजर हैं और कितनी जमीन किन-किन सुविधाओं के देने से काश्त योग्य बनाई जा सकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला झांसी तहसील ललितपुर में १,६४,७६३ एकड़ भूमि पर काश्त होती है और ३,०९,२७० एकड़ भूमि बंजर है और तहसील महरौनी में १,७०,८१६ एकड़ में काश्त होती है और २,१०,०९५ एकड़ भूमि बंजर है ।

यह बतलाना इस समय सम्भव नहीं है कि कितनी जमीन किन-किन सुविधाओं के उपलब्ध होने से काश्त के योग्य बनायी जा सकती है ।

## गाजीपुर जिले में प्राथमिक तथा कन्या हरिजन पाठशालायें

*१०१—श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितनी हरिजन प्राथमिक पाठशालायें किस-किस स्थान पर चल रही हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—सूचना एकत्र की जा रही है।

*१०२—श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितनी हरिजन कन्या पाठशालायें किस-किस स्थान पर चल रही हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—सूचना एकत्र की जा रही है ।

## जिला जालौन में अधिक अन्न पैदा करने के उद्देश्य से किये गये कार्य

*१०३—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला जालौन के कृषि आफिसर ने अधिक अन्न पैदा कराने के सम्बन्ध में क्या कार्य किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पिछले वर्ष अधिक अन्न पैदा करने के उद्देश्य से जिला जालौन में जो कार्य किये गये उसका ब्यौरा माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६८-३६९ पर)

*१०४—श्री मोहनलाल वर्मा—[३० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—[हटा दिया गया ।]

## हरदोई के हरिजन छात्रावासों को सरकारी अनुदान तथा उनका प्रबन्ध

*१०६—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—क्या सरकार बतायेगी कि हरदोई जिले में कितने हरिजन छात्रावास हैं और प्रत्येक को अलग-अलग कितना रुपया खर्च के लिये रेकरिंग या नान-रेकरिंग प्रतिमास अनुदान-स्वरूप दिया जाता है ?

श्री मंगलाप्रसाद—जिला हरदोई में तीन हरिजन छात्रावास हैं। इनको गत वित्तीय वर्ष (१९५६-५७) में इस प्रकार अनुदान दिया गया :

| | आवर्त्तक अनुदान प्रतिमास | अनावर्त्तक अनुदान (१९५६-५७ के लिए) |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| (१) हरिजन छात्रावास हरदोई | १५६ | २५० |
| (२) गांधी हरिजन छात्रावास हरदोई | १४६ | २५० |
| (३) हरिजन छात्रावास, बिलग्राम जिला हरदोई | ७६ | २५० |

*१०७—श्री बुलाकीराम—इन छात्रावासों का मैनेजमेंट क्या किसी मैनेजिंग कमेटी द्वारा होता है या प्राइवेट आदमियों द्वारा कराया जाता है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इन छात्रावासों का प्रबन्ध प्रबन्धकारिणी समितियों द्वारा होता है जो गैरसरकारी संस्थाएं हैं। परन्तु अनुदान का भुगतान उप जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा होता है, क्योंकि ये समितियां रजिस्टर्ड नहीं हैं।

*१०८—श्री बुलाकी राम—क्या हरदोई के हरिजन छात्रावासों में अभी तक हरिजन कहलाने वाली सभी जातियों के विद्यार्थी रहते हैं या केवल एक ही जाति के विद्यार्थी रहते हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—हरिजन कहलाने वाली कई जातियों के विद्यार्थी रहते हैं।

## इटावा जिले में हरिजनों के साथ अस्पृश्यता सम्बन्धी शिकायतें

*१०९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार का ध्यान इटावा जिले में अछल्दा आदि में हरिजनों के साथ १९५६-५७ में अस्पृश्यता निवारण कानून के विरुद्ध होने वाली उन शिकायतों की ओर गया है, जो स्थानीय पत्रों में भी प्रकाशित हुयी हैं तथा जिनके सम्बन्ध में शोषित संघ इटावा के प्रधान स्वामी क्षमानन्द ने "सामाजिक असमर्थता निवारण कानून महज धोखा है" शीर्षक पर्चे में भी जिक्र किया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—प्रश्न कुछ अनिश्चित सा है, परन्तु फिर भी जिला अधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

*११०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उसने इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री मंगलाप्रसाद—इस समय प्रश्न नहीं उठता है।

## राजकीय एलोपैथिक डिस्पेंसरी, हथगांव, जिला फतेहपुर, के डाक्टर का पद

*१११—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के कस्बा हथगांव की राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी में डाक्टर का पद तोड़ दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। वहां डाक्टर काम कर रहे हैं।

## अतारांकित प्रश्न

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[३० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

## गाजीपुर जिले में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के बालक तथा बालिकाओं को दिये गये वजीफे

२—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में १९५६-५७ में किस-किस जाति के कितने-कितने हरिजन बालक व बालिकाओं को वजीफे दिये गये ?

श्री मंगलाप्रसाद—सूचना एकत्र की जा रही है।

३—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में १९५६-५७ में किस-किस जाति के कितने-कितने पिछड़ी जातियों के बालक व बालिकाओं को वजीफे दिये गये ?

श्री मंगलाप्रसाद—सूचना एकत्र की जा रही है।

## २६ अगस्त, १९५७ को ५ बजे अपराह्न के बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---अब उप-नेता सदन प्रस्ताव उपस्थित करेंगे।

वित्तमंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (१) के अनुसार विधान सभा की बैठक ५ बजे अपराह्न तक होती है। परन्तु विधान परिषद् द्वारा पारित हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को २९ अगस्त, १९५७ से पहले अधिनियम बन जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चित करता है कि इस सदन की बैठक २६ अगस्त, १९५७ को ५ बजे अपराह्न के बाद भी उपरोक्त विधेयक के पारित होने तक होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (१) के अनुसार विधान सभा की बैठक ५ बजे अपराह्न तक होती है। परन्तु विधान परिषद् द्वारा पारित हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को २९ अगस्त, १९५७ से पहले अधिनियम बन जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चित करता है कि इस सदन की बैठक २६ अगस्त, १९५७ को ५ बजे अपराह्न के बाद भी उपरोक्त विधेयक के पारित होने तक होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## १९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक २९---पुलिस (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या १९ पर विवाद जारी होगा।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान के समर्थन तथा उसमें अपने कुछ सुझाव देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, इसमें संदेह नहीं कि जिस प्रकार का रुख पुलिस संगठन का है उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ खराबियां भी। इस संगठन में कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं, कुछ खराब भी हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न यह है कि कल से जब इस पर विवाद चल रहा है तो तरह-तरह की शिकायतों की भरमार की गयी। इसका मुख्य कारण यह है कि इस संगठन का जैसा रूप है, वह ब्रिटिश सरकार की देन है और उसने जिस नीयत से इसका निर्माण किया था वह आज तक बराबर चला आ रहा है। आज परिस्थिति के बदल जाने पर जो तरीका अपनाया गया है और जो पैटर्न हम अपने देश का बनाने जा रहे हैं उसमें आज तक इसका ऐडजस्टमेंट नहीं हो पाया और जो पुराना इसका ढांचा था, ग्राम चौकीदार से लेकर आई० जी० तक, वही आज भी कायम है। और यही कारण है कि इसमें बहुत कुछ खराबियां हैं और जिसके बारे में इस सदन में काफी इजहार किया गया। मैं, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से कुछ सुझाव दूंगा। यदि वह सरकार को उचित मालूम हों तो उन पर वह विचार करे।

श्रीमन्, इस विभाग के तीन प्रमुख अंग हैं। एक है प्रोटेक्शन, दूसरा इंवेस्टिगेशन और तीसरा प्रोसिक्यूशन। मैं प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में आपके सामने अपना एक सुझाव प्रस्तुत करता हूं और वह है कि हमारी गांव सभाओं में जो डिफेंस सोसाइटियां हैं उनको केवल डिफेन्स सोसाइटीज बना कर छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि उनको एक्टिविटाइज न करें, जब तक उनको ऐसे साधन उपलब्ध न करावें जिनसे वे समुचित ढंग से अपने-अपने गांवों की रक्षा कर सकें। उनके लिये कुछ ऐसा प्रबंध होना चाहिये जिससे कि वे एक सक्रिय ढंग से अपनी गांव सभा की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लें। उसके लिये वर्दी की व्यवस्था करना आवश्यक है। कुछ अधिकार भी दिये जा सकते हैं। सोसाइटीज की ही सिफारिश पर वहां के चौकीदारों की नियुक्ति व डिस्मिसल किया जाय। इस तरह से गांव सभाओं में प्रोटेक्शन की व्यवस्था अथवा रक्षा की व्यवस्था की जाय।

उसके बाद श्रीमन्, पंचायती अदालत केन्द्र हैं। पंचायती अदालत केन्द्र में जैसा कि सरकार ने निर्णय किया है कि होमगार्ड्स की स्थापना की जायगी तो वह संगठन पंचायती अदालत सेंटर के स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिये।

इसके अलावा श्रीमन्, प्लानिंग के अन्तर्गत ब्लाक्स बने हुए हैं और उन ब्लाक्स के हेडक्वार्टर्स पर काफी ब्लाक आफिसर्स रहते हैं। ब्लाक्स हेडक्वार्टर्स पर एक सब इंस्पेक्टर के रैंक का अधिकारी और साथ में ४,५ कांस्टेबिल रख कर प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाय, तो बहुत कुछ सुविधा होगी।

अब दूसरा सुझाव है इंवेस्टिगेशन का। जो मौजूदा थाने बने हुए हैं मेरा ख्याल है कि इन थानों में एक सब-इंस्पेक्टर की रैंक का आदमी, ४,५ कांस्टेबिल और कुछ सी० आई० डी० के पर्सनल रख दिये जायं और उनका केवल इंवेस्टिगेशन से ताल्लुक रहे। जो कुछ जरायम हों उनका इंवेस्टिगेशन उनसे कराया जाय। साथ ही साथ यह देखा गया कि थानेदार अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। वह इस वास्ते कि अधिकतर उनको शहर या अदालतों में हाजिर रहना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि जरायम हो जाते हैं और तहकीकात हो नहीं पाती और जो होती है वह काफी दिनों के बाद होती है। जब सांप निकल जाता है तब तहकीकात के लिये पहुंचते हैं और गांव की पुलिस के दलाल सामने आ जाते हैं और जरायम की वास्तविकता छिप जाती है और ठीक प्रकार से तहकीकात नहीं हो पाती। इसलिये जरूरी है कि एक इंवेस्टिगेशन सेक्शन थानों पर रक्खा जाय और दूसरा सेक्शन प्रासिक्यूशन का हो और सी० आई० डी० का सेक्शन इंवेस्टिगेशन सेक्शन होगा। जब इंवेस्टिगेशन हो जाय तो प्रासिक्यूशन सेक्शन को सौंप दिया जाय और प्रासिक्यूशन सेक्शन अदालतों में जा कर उसकी पैरवी करे। तो, श्रीमन्, यह सुझाव मैंने आपके द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये। हो सकता है, श्रीमन्, इसमें खर्चा ज्यादा पड़े। कुछ थोड़ा सा पर्सनल इसमें बढ़ाना पड़े जिससे कुछ खर्चा ज्यादा बढ़ जाय।

कल इसी सदन में एक आवाज सुनाई पड़ी कि १ करोड़ रुपये से अधिक अनुदान पुलिस के लिये रक्खा गया है इससे हमारी स्टेट पुलिस स्टेट हो गई और वेलफेयर स्टेट नहीं रही। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट की परिभाषा में फर्क है। पुलिस स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिस स्टेट के शासन का संचालन भय और आंतक के आधार पर हो। लेकिन जिस स्टेट का संचालन जनता की सद्भावना के आधार पर, जनता के कल्याण के लिये हो उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। अगर बजट में हम पुलिस के लिये कुछ ज्यादा अनुदान रख दें या बजट में धन का अधिक प्राविधान कर लें तो यह कभी नहीं हो सकता कि हमारी स्टेट पुलिस स्टेट बन जाय। यह सही बात है कि हम वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिये निश्चय कर चुके हैं और इसके आधार पर हम अपने मंसूबे बना चुके हैं। लेकिन हमारे मंसूबे जो कि आज एक प्रकार से बचपन की हालत में हैं उनका एक आर्गेनिक ग्रोथ है। जैसा कि हम देखते हैं कि

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

बचपन की हालत में वृक्ष कमजोर होता है तो हम उसको लकड़ी का सहारा देते हैं और तबतक देंगे जब तक वह मजबूत न हो जाय। उसी प्रकार आज हम वेलफेयर स्टेट को मजबूत बनाने के लिये पुलिस के अनुदान में अधिक धन रखते हैं, तो उससे हमारी स्टेट कोई पुलिस स्टेट नहीं हो जाती। आगे बढ़ कर जब वह वृक्ष मजबूत हो जाता है तो लकड़ी हटा ली जाती है और फिर अपने स्थान पर वह वृक्ष खड़ा हो जाता है। यही हालत है। जब हमारी स्टेट इस काबिल हो जायगी कि अपनी रक्षा, शांति और व्यवस्था हमारे गांव वाले, हमारे देश की जनता स्वयं करने लगेगी उस वक्त फिर हम उस लकड़ी को हटा लेंगे, बजट को घटा लेंगे और तब वही चीज आ जाती है कि, वेलफेयर स्टेट में पुलिस का बजट अधिक नहीं होता। इस कारण मैं यह समझता हूं कि इसमें अधिक धन का प्राविधान करने में हमारी सरकार को भी नहीं हिचकना चाहिये।

मुझे तो ऐसा याद पड़ता है कि हमारे इस प्रदेश की पुलिस से कहीं सैकड़ों गुना खराब इंगलैन्ड की पुलिस थी, मगर फिर उसमें तब्दीली के लिये क्या-क्या किया गया। ८ गुना तनख्वाहें बढ़ा दी गयीं कि लो अब अपनी तबियत की चीज, लेकिन फिर तुम्हारी शिकायत नहीं सुनने को मिले। उनको इस तरह का बना दिया गया कि आज इंगलैन्ड की पुलिस अच्छी पुलिस मानी जाती है। तो क्या कारण हैं? हमारा एक कांस्टेबिल है, चौकीदार है। हम उसको क्या तनख्वाह देते हैं? हम उसके रहन-सहन का क्या तरीका बनाये हुए हैं? हम कम से कम उनके बाल-बच्चों को पेट भर खाने को दें और अगर फिर वे गड़बड़ी करें तो यह जिम्मेदारी इस विभाग की होगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। अगर हम ऐसा कर सकते तो यह चीज दुरुस्त हो जाती। इस बजट को, जो लगभग ९ करोड़ कुछ लाख का है, अगर १२ करोड़ भी कर दिया जाय और हमारे प्रदेश में शांति और व्यवस्था कायम हो जाय तो यह कोई बड़ी कीमत हम अदा नहीं करेंगे। श्रीमन्, जब हम आज निर्माण के युग में चल रहे हैं, जब हम प्लैनिंग के आधार पर अपने देश का निर्माण करने जा रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हमारे देश के अन्दर शांति, रक्षा और व्यवस्था ठीक प्रकार से कायम हो। हम इसे जिस भी कीमत पर कायम कर सकें, करें। मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि अगर ज्यादा रुपया रख दिया गया तो हमारी स्टेट पुलिस स्टेट हो जायगी।

कल यह चीज भी आई, जब कि इंगलैन्ड की पुलिस के बारे में यह कहा गया कि जहां पर जुर्म होता है तो वहां पर "इनविजिबिल हैंड", जुर्म को रोकने के लिये किसी न किसी पुलिस का रहता है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे भाई ने उन आंकड़ों को देखने की कोशिश नहीं की। वहां पर ५ व्यक्ति के ऊपर एक पुलिस की छाया रहती है, जब कि हमारे प्रदेश के अन्दर अन्दाजा है कि लगभग १,००० के ऊपर एक पुलिस का आदमी रहता है या १,५०० के ऊपर एक आदमी पड़ता है। तो ये आंकड़े वह शायद भूल गये।

साथ ही साथ यह बात भी आई कि जरायम बढ़े हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद विषय की वास्तविकता की ओर नजर नहीं डाली। अगर वास्तविकता की तरफ नजर डालते तो उनको मालूम हो जाता कि हम आज किस युग में चल रहे हैं। हमारी भूमि व्यवस्था में एक तरह की क्रांति चल रही है। हम आज ट्रांजीशनल स्टेज में चल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ जरायम बढ़ें, लेकिन कारण यह नहीं हुआ करता। कारण यह होता है कि एक विचारधारा बनती है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो यह एक विचारधारा बन चली कि हम जब स्वतंत्र हुए हैं तो अपने देश को फूलें और फलायें, अपने देश को तरक्की करायें, लेकिन कुछ गलत लोगों की ऐसी भी उल्टी विचारधारा बनती है कि जब आजादी मिली है तो हमको खराब और अच्छे सभी काम करने की आजादी मिली है।

श्री रघुराज सिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कल से पुलिस की तारीफ उधर की तरफ से सुन रहा हूं इन्तिहाई तारीफ और चुनीदा अल्फाज के साथ इस ग्रान्ट को पेश किया गया, बधाई भी दी गई। खैर, मुझे उसका शिकवा नहीं है इसलिये कि "नो वन क्राइज़ ओवर स्टिंकिंग फिश" इन तारीफों की ताईद में उधर के बैठने वाले मोअज्जजीन ने बड़े फख्र के साथ ताईद की और जगह-जगह के हवाले देकर अपने इस महकमे को सब पर तरजीह दी। मैं सिर्फ उनके जवाब में इतना ही इल्तमास कर सकूंगा कि जिस दुकान पर मुश्क बिकता हो, दूकानदार को यह कहने की जरूरत नहीं होती है कि आइये मुश्क लीजिये। उसकी सुगंधि तो खुद ही बतला देती है कि यहां मुश्क मिलता है। इसके अलावा मैंने इस ग्रांट की कुल रकम को देखा और गौर किया। सवा नौ करोड़ के करीब पुलिस के महकमे पर सर्फ किये जाने की तजवीज पेश की गई है।

मुझे याद है इसी भवन की कि लगभग १९३० के और सन् १९३७ तक इस महकमे का खर्चा डेढ़ करोड़ का था। आज हमारे सूबे की आबादी साढ़े छै करोड़ है। उस जमाने में जब कि डेढ़ करोड़ का बजट था सूबे की आबादी करीब छै करोड़ के थी। इन दोनों आबादियों के हिन्दसों और दोनों रकमों की तादाद को मद्दे नजर रखते हुए हरदो के तनासुब पर गौर किया जाय तो साफ इस वाके की दलील है कि जरायम बहुत काफी बढ़ गये और इसी की वजह से पुलिस पर ज्यादा खर्च करना पड़ा। खैर, हमें तो यह देखना है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद हमारे जान व माल और आबरू की खातिरखाह हिफाजत भी होती है। आज जमाना देखता है कि छोटे जरायम चोरी व राहजनी की तो बात ही क्या, डकैती और कत्ल की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर आप देहात में जा कर असलियत और हालत की हकीकत को देखें तो मालूम होगा कि हर शख्स को हर वक्त, रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी, कोई जगह महफूज नहीं बल्कि हर जगह खौफ व खतरा है कि किसी भी वक्त उसको जान व माल और आबरू से महरूम कर दिया जाय। इस भवन में इस ओर बैठने वाले सदस्यों ने फैक्ट्स और फीगर्स के साथ इस बात को भी रोजे रोशन की तरह वाजे कर दिया है और फैक्ट्स और फीगर्स के ही साथ उधर के बयानात की मुकम्मल तरदीद कर दी है। यह सही नहीं है कि जरायम कम हो रहे हैं बल्कि यकीनन बढ़ रहे हैं। मगर उनकी कमी बतलाई जाती है और कमी साबित करने की गुंजाइश निकालने की कोशिश की जाती है; बल्कि जो लोग देहात के वाकेआत से वाकफियत रखते हैं, वह इस बात की हकीकत को बखूबी जानते हैं कि एक आम रिवाज हो गया है कि जब मुस्तगीस थाने में रिपोर्ट करने जाता है तो जैसा जुर्म है वैसा दर्ज न करके उस जुर्म की अहमियत को कम कर के रिपोर्ट दर्ज की जाती है। मुस्तगीस की जुबान या उसके अल्फाज में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती बल्कि रिपोर्ट तहरीर कुनिन्दा कुछ वाकेआत सरसरी तौर से मालूम करके और इसको मद्देनजर रख कर कि संगीन जरायम की तादाद ज्यादा न हो जाय, रिपोर्ट मनमाने तौर पर दर्ज कर देते हैं। श्रीमन्, फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट की कानून में क्या अहमियत है और इन्साफ का कितना बड़ा ताल्लुक इससे है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लिहाजा इस किस्म की रिपोर्टों के इन्दराज से इन्साफ का ही खून नहीं होता बल्कि पब्लिक को परेशानी और बड़ी मुसीबत का सामना हो जाता है। इतना मैं जरूर मान लूंगा कि सरकार को इस बात का मौका जरूर मिल जाता है कि वह यह बतला सके कि नहीं, जुर्मों में कमी हुई है। बकिया हालत दिगर गूं है। बदअखलाकी व बद सलूकी और रिशवतखोरी की शिकायत आम है

अब मैं चन्द अल्फाज में पुलिस के इस्तेमाल के मुताल्लिक आपके जरिये से इस भवन की तवज्जेह दिलाऊंगा। पुलिस का इस्तेमाल महदूद और मखसूस शख्सियत की गैरजरूरी हिफाजत और उनकी नुमायशी शान शौकत के वास्ते मैं समझता हूं कतई नाजायज है। इसी तरह गैर जरूरी ट्रैफिक कंट्रोल में, जब कि नुमायां हस्तियां सफर या दौरा करती हैं, उसका इस्तेमाल करना भी मैं समझता हूं पुलिस का फर्जे मन्सबी नहीं है। नुमायन्दगान और बड़ी हस्तियों की हिफाजत असलहा से नहीं होती है। वह तो जनता के

[श्री रघुराज सिंह चौधरी]

प्रेम से ताल्लुक रखती हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि पुलिस का इस आम तरीके से और बे रोकटोक इन कामों में इस्तेमाल करना बिलकुल और कतई बेजा है और उसका फर्ज भी नहीं है। पुलिस का दूसरा इस्तेमाल जो मैं ही नहीं बल्कि दुनिया चश्मेपुरआब के साथ देखती है यह होता है कि टीयर गैस, लाठी चार्ज, गोली और बारूद से अवाम के जमीर और उसके जायज मतालबात को दबाने में इस्तेमाल करना; यह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट की तारीफ और खूबी पर एक बहुत बड़ा तारीक धब्बा है। इसलिये मैं बड़े दर्द के साथ जनाब वाला के जरिये से गवर्नमेन्ट की तवज्जह खासतौर से इस तरफ दिलाऊंगा और पुरजोर अल्फाज में इस दावये खुदाई के खिलाफ मतालबा करूंगा। जुर्म का दफैया पुलिस फोर्स के बढ़ाने से नहीं बल्कि वह तो उसके कॉज मालूम करके सही इलाज से हो सकता है। चीन का सफीर फाहयान जब हिन्दुस्तान में आया और कुछ दिनों के बाद वापस गया तो उसने लिखा है कि हिन्दुस्तान में हमने दो चीजें नहीं पायीं। एक तो ताले और दूसरे पानी दस्तेयाब नहीं हुआ। साफ जाहिर है कि हमारे इस मुल्क की उस जमाने में क्या हालत थी। ताले इसलिये नहीं थे कि कोई जुर्म ही नहीं होता था, न चोर था न डाकू। और पानी उनको इस वास्ते नहीं मिल सका कि दूध की इस कदर इफरात थी कि पानी कोई पेश ही नहीं करता था। जिस मुल्क की किसी जमाने में यह हालत हो और आज जब हम कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा सिविलाइज्ड है और हम हाइएस्ट डिगरी आफ मैटीरियल प्रास्पैरिटी को एन्ज्वाय कर रहे हैं उस वक्त इन सारी बातों का नजारा एक बड़ा ताज्जुब खेज है, ताज्जुब खेज ही नहीं बल्कि वह एक बहुत ही अफसोसनाक है। मैं इन सब चीजों के लिये पुलिस को जिम्मेदार करार नहीं देता बल्कि इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि चौकीदार की तनख्वाह ५ रुपये और आई० जी० की तनख्वाह हजारों रुपये। इस तरफ गवर्नमेन्ट ने आज तक कौन सा कदम उठाया है? यह कहना कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी के हामी हैं कोई मानी नहीं रखता। बिलकुल सही रास्ते पर सही कदम उठाने से काम चलता है और अगर उनका कहना यह है कि हम अपोजीशन के लोग क्रिटिसिज्म ही करना जानते हैं और कोई तजवीज नहीं देते तो मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने अपनी तकरीर में कुछ तजवीजें भी पेश की हैं। लेकिन मैं तो कायल हूं इस बात का कि:

"Charity begins at home, Physician heal thyself."

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—श्रीमान् जी, जो अनुदान इस वक्त पुलिस के लिए पेश है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो दिन से पुलिस के रवैये पर काफी बातचीत हो रही है। कुछ सज्जन पुलिस की तारीफ करते हैं और कुछ उसके खिलाफ कह रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि प्रान्त में जुर्म बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं लेकिन इतना जरूर दावे से कह सकता हूं कि गाजियाबाद के इलाके में पहले से चोरियां ज्यादा हो गयी हैं और उस पर अफसोस यह है कि उन में से बहुत कम का सुराग पुलिस लगा सकी है। अभी-अभी जिस इलाके में मैं रहता हूं, मेरा जाती तजुर्बा है, मेरे घर में ही दो दफा इस गर्मी में चोरियां हुई हैं। पहली दफा पुलिस वाले आये, थानेदार साहब ने अफसोस भी किया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि चूंकि आपका नुकसान नहीं हुआ है और चोर सिर्फ नकब लगाकर चले गये हैं तो इस लिए अगर हम इस चोरी को दर्ज न करें तो आपको कोई ज्यादा अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दर्ज करेंगे तो हमारे खिलाफ एक और तादाद बढ़ जायगी, जुर्म ज्यादा हो जायेंगे। तो मैंने भी कहा कि मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना नुकसान जरूर हुआ है कि जिस दिन से चोरी हुई है, उसके बाद हमें घर में गरमी में आराम से सोना मुश्किल हो रहा है। एक महीने के अन्दर दूसरी बार भी वहां चोरों ने तकलीफ की। पुलिस वालों ने पहले कहा था कि हम इधर गश्त वगैरह किया करेंगे, आप को परेशान होने की जरूरत नहीं और उन्होंने गश्त शुरू की,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन अफसोस यह है कि जब तक चांद रहता है उस वक्त तक तो पुलिस वाले आते हैं, लेकिन जब अंधेरी रात आ जाती है तो उनकी गश्त भी बन्द हो जाती है। यह तो मेरा थोड़ा सा जाती तजुर्बा है।

जो आम बहस है वह यह है कि पुलिस में कुछ सुधार हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें दोष पुलिस वालों का भी नहीं है। क्योंकि गाजियाबाद में जब यह थाना मुकर्रर हुआ था तो, जैसा एक सज्जन ने कहा था कि १२ सिपाही और दो थानेदार होते हैं, तो यह सही है. जब कभी वह कायम हुआ होगा उस वक्त गाजियाबाद बहुत छोटी सी जगह थी, लेकिन आजकल ५०-६० हजार की आबादी हो गयी है। पहले आमदरफ्त के जरिये कम होते थे चोर भी नहीं भाग सकते थे लेकिन अब वहां ५, ५ मिनट में बस आती है और हर आध घंटे बाद रेल है। चोर एक रेल से उतरता है और चोरी करके दूसरी रेल से भाग जाता है।

(इस समय १२ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

लेकिन होता यह है कि पुलिस वालों को कोई सवारियां भी नहीं दी गयी हैं कि अगर उनको चोरों और डकैतों का पीछा करना पड़े तो वे उनका इस्तेमाल कर सकें। मुझे ऐसा बतलाया गया है कि अगर थानेदार या पुलिस वाले किसी तफतीश में जाते हैं या किसी चोर या डकैत का उनको पीछा करना पड़ता है तो उस में जो खर्च करना पड़ता है उसके लिए भी सरकार की तरफ से खर्च नहीं दिया जाता है, वह अपने पास से खर्च करते हैं। एक तरफ तो उनकी तादाद नहीं बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ जो जायज खर्च उनको मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता।

मैं जाती तजुर्बे से यह महसूस करता हूं कि जो हमारा चोर और मुलजिमों को सजा दिलवाने का ढंग है वह भी ठीक नहीं है। वह भी ऐसा है कि कोई भला आदमी पुलिस वालों की मदद नहीं कर सकता। रात को चोरी होती है और अदालत में जाकर उसको कहना पड़ता है और कुछ ऐसे आदमी पुलिस वालों को पैदा करने पड़ते हैं कि जो कहें कि हमारे सामने चोर ने चोरी की और हमने उसको भागते देखा तब जाकर उसको सजा हो सकती है। कोई भला आदमी तो पुलिस को मिलता नहीं कि जिसने रात को चोरों को देखा हो और वह अदालत में जाकर कहे कि हमारे सामने इन्होंने चोरी की और तब उनको सजा हो। चोरी होती है, मुकदमा दायर किया जाता है, लेकिन चोरों को सजा नहीं हो पाती। पुलिस को शहादत के लिये भले आदमी गवाह नहीं मिल पाते। वह अपने पिट्ठुओं से शहादत दिलवाती है और वह लोग परोपकार के लिए तो पुलिस की मदद करते हैं नहीं, उनकी अपनी कुछ गरज होती है और इस तरह से वे लोग पुलिस से नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। उनके ठिकाने कायम हैं। तो पुलिस में सुधार न हो पाने के लिए हम लोग भी कुछ न कुछ हद तक दोषी हैं। जितनी मदद हमको पुलिस की करनी चाहिए वह हम लोग नहीं करते। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो कुछ ऐसे कानून हैं, जिनकी वजह से अगर कोई भला आदमी पुलिस की मदद करने जाता है तो उसको हैरानी होती है, कोई सफर भत्ता नहीं मिलता, उसको अपने पास का पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बैठने का कोई ठिकाना नहीं होता, उन में सुधार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पालीवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसा कि इस अनुदान को पेश करते हुए हमारे गृह मन्त्री जी ने कहा कि हमें पुलिस के ऊपर बहुत गर्व है और पुलिस के कार्यों के प्रति हमें बहुत सन्तोष है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि अपराधों में वृद्धि हुई है। मैं इस बात को किस तरह से समझूं कि जब अपराधों की वृद्धि हुई हो तो हम पुलिस के कार्यों पर सन्तोष प्रकट करें। अपराधों की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि पुलिस ने अपराधों को छिपाया नहीं। क्या मैं यह समझ लूं कि आज तक जितने पुलिस के कर्मचारी या अफसर होते थे वे अपराधों को छिपाते थे? इसका

[श्री ऊदल]

तो मतलब यही होता है। हमारे माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश की पुलिस का सम्बन्ध जनता से बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं तो देखता हूं, और मेरा जाती तजुर्बा भी है, कि पुलिस का सम्बन्ध जनता के साथ जिस तरह से अंग्रेजी जमाने में था वही आज भी है। आप को मालूम है कि उसी बनारस नगरी में जहां से हमारे गृह मन्त्री और हमारे मुख्य मन्त्री जी आते हैं, वहां कुछ समय पहले दक्षिण से आये हुए एक परिवार के ७ आदमियों को मार कर गंगा में बहा दिया गया और उनका लाखों रुपया छीन लिया गया। पुलिस उस मामले का आज तक पता नहीं लगा सकी। उस मामले को सोच कर हमारे बनारस की जनता का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। मैं समझता हूं कि पुलिस ने उस मामले पर परदा डाला। दूसरी एक वहां की ताजी घटना की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ३ जून को लखनसेनपुर गांव में एक किसान की निर्मम हत्या कर दी जाती है और मिर्जामुराद थाने में उस की रिपोर्ट कर दी जाती है। जिनका नाम इस मामले में आता है उनके यहां बनारस के एक बहुत बड़े नेता हैं, एम० पी० भी हैं। उनकी लड़की की शादी ८ जून को हुई है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय ऊदल से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद यह केस अदालत के सामने है, इसलिए वह इसके बारे में ज्यादा कुछ न कहें तो अच्छा है।

श्री ऊदल—मैं उस केस को नहीं बता रहा हूं, मैं तो उस घटना का जिक्र कर रहा हूं। उस शादी में माननीय गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री भी पधारे थे. . .

श्री महावीर प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—मैं इस सम्बन्ध में आप की व्यवस्था चाहता हूं कि कोई केस जो अदालत के अन्दर हो, उसके बारे में नाम लेकर कोई बात सदन में कही जा सकती है?

श्री अधिष्ठाता—वह वाकयात के बारे में कह रहे थे। मैंने उनको पहले ही टोक दिया था।

श्री ऊदल—लेकिन आज तक उनका कोई चालान नहीं किया गया और न कोई उनके बारे में कार्यवाही की गयी। मैं एस० एस० पी० से मिला था जब कि वह केस दायर नहीं हुआ था। मैंने कहा था कि ३०२ के अन्दर आप मुकदमा क्यों नहीं चलाते जब कि वहां पर सबूत मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सबूत नहीं मिलते हैं।

मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं और मैं जानता हूं कि पुलिस के हाथ में जो कानून है उस कानून का प्रयोग दो तरह से होता है। अगर कोई अमीर आदमी या किसी मन्त्री का रिश्तेदार गलत काम करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। अगर कोई किसान या मजदूर उस तरह का काम करता है, तो उसको पकड़ कर गिरफ्तार किया जाता है। मैं जानता हूं और मैं आप को बताता हूं कि देवराई कांड के सिलसिले में मुझको दूसरे ही दिन गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस मामले के बारे में ३ महीने हो गये, आज तक इस कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट होने पर भी कोई पता नहीं लगाया गया। आज पुलिस का जो रवैया है वह जनता के हित में नहीं है। आप कितना ही गर्व क्यों न करें, लेकिन जनता से पुलिस का कोई सम्बन्ध नहीं है। जनता थाने के अन्दर जाने में कांपती है। वह जानती है कि थाने जुल्म के अड्डे बने हुए हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के कानून में परिवर्तन किया जाय और क्रान्तिकारी कदम इस में उठाने की जरूरत है, ताकि इस पुलिस का सम्बन्ध आम जनता से हो सके। इसको शिक्षा देने की जरूरत है, तभी इस में सुधार हो सकता है। इस प्रकार से सन्तोष की बात कह देने से देश का भला नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं कि पुलिस ने कुछ डाकुओं का सफाया किया। मैं मानता हूं कि यह काम पुलिस का सराहनीय है, लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखिये। आप जो यह कहते हैं कि पुलिस और जनता का सम्पर्क बढ़ता जाता है यह बात सही नहीं है। आज जनता थाने के अन्दर जाने से डरती है।

मैं आप को एक दूसरा वाकया बताऊं कि हमारे क्षेत्र पिन्डरा में एक बनिये के यहां कपड़े की चोरी हुई। वहां पर पुलिस रात में गश्त लगा रही थी। मैं वहां मौके पर गया और थानेदार से मिला। उन लोगों ने कुछ आदमियों को पकड़ रखा था तो मैंने उनसे कहा कि मैं इन सब को जानता हूं ये शरीफ आदमी हैं और ये चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको मारा और पीटा गया। दरोगा साहब ने कहा कि इनके खिलाफ सबूत मिलता है और चारों तरफ के लोग इन पर शक करते हैं, लेकिन दूसरे रोज उनसे रिश्वत लेकर उनको छोड़ दिया गया। सारा सबूत उनका फेल हो गया। उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। वह इस तरह से लोगों को फांस देते हैं ताकि उनको पैसा मिले। आज १०७ और १०९/११० का दुरुपयोग हो रहा है। आज पुलिस हजारों अपराधों का पता लगाने में असफल रहती है। आप तफतीश करने के लिए सी० आई० डी० को रखिये तब सही अपराधों का आपको पता लग सकता है। आज पुलिस अपराधियों, गुन्डों, बदमाशों और डकैतों से मिली रहती है और उनसे रुपया लेती है। यही कारण है कि सही अपराधी का पता नहीं लगता। सरकार की बदनामी इसी पुलिस के कारण हो रही है। आप कितना ही गर्व करें, लेकिन पुलिस की वजह से आठ आना आप बदनाम हैं और आठ आना दूसरे विभागों की वजह से बदनामी है।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो कांस्टेबिल, चौकीदार और हेड कांस्टेबिल हैं उनकी तनख्वाह में वृद्धि कीजिये, तभी पुलिस के लोग कहेंगे कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, काम अच्छा करेंगे। जो लोग आज न्यायप्रिय हैं और ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता है। आज पुलिस के अन्दर भी भाई, भतीजावाद पैदा हो गया है। इसलिए मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि चाहे सरकारी बेंच पर बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों, सब का यह कर्त्तव्य है कि अपराधों का पता लगायें और देश के अन्दर शान्ति और व्यवस्था कायम करने का प्रयत्न करें। हमारा देश विकास की तरफ जा रहा है, हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमारा काम ईमानदारी और सच्चाई के साथ होना चाहिए। लम्बी चौड़ी तकरीर कर देने से काम नहीं चलेगा। कुछ दोस्तों ने फर्माया कि हम लोग अपराधियों को छुड़ाने के लिए सिफारिश करते हैं। इधर के लोग तो बहुत कम करते होंगे। हां, उधर के लोग शायद शासन का नाजायज फायदा उठाने के लिए जरूर करते होंगे। मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पुलिस कोड के अन्दर आमूल परिवर्तन किया जाय और तफतीश करने के लिए सी० आई० डी० विभाग को भी लगाया जाय।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह है कि उनकी शिक्षा दूसरे प्रकार की होनी चाहिए। आज १० साल आजादी को प्राप्त हुए हो गये, लेकिन इन दस सालों में पुलिस वालों का दिमाग ठीक नहीं आया है। यह पुलिस वाले हाथ जोड़ने पर पंडित होने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों ने उनको शिक्षा दी है कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो। हमारी पुलिस वही पुलिस है, पुलिस का कानून भी वही है, वही अंग्रेजी दिमाग है, वही अंग्रेजी जहनियत है। इसलिए उनकी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वे आज के जमाने में फिट हो सकें और अपने को जनता का सेवक समझ कर अपना काम ईमानदारी से कर सकें। अगर वे ऐसा करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस के लोगों का काम अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

**श्री गोविन्द सहाय** (जिला बिजनौर)----अधिष्ठाता महोदय, मैंने पुलिस अनुदान पर होने वाली बहस को काफी गौर से सुना और उस को सुनने के बाद मेरा यह अनुमान है कि आज सदन में पुलिस के सम्बन्ध में जितनी कटु बातों की मैं आशा करता था उतनी कटु बातें लोगों ने नहीं कहीं। इस बात से पता चलता है कि सामान्य तौर पर पुलिस के ऐटीट्यूड में कुछ फर्क हुआ है, मैं ने दो स्पीचेज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर और जन-संघ के लीडर की भी सुनीं। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने मौलिक रूप से डिबेट के स्टैण्डर्ड को कायम रक्खा और पुलिस के इन्स्टीट्यूशन पर बहस की। सिर्फ फर्क इतना रहा कि जन-संघ के लीडर

[श्री गोविन्द सहाय]

ने अमेरिकन जासूसों का जिक्र किया और कम्युनिस्ट लीडर ने पाकिस्तान के जासूसों की चर्चा की, लेकिन लौट फेर कर उन्होंने पुलिस के इन्स्टीट्यूशन की ही बात की। मैं चाहता हूं कि बहस का स्तर ऐसा ही होना चाहिए।

हमें आज देखना यह है कि पुलिस का जो इन्स्टीट्यूशन है वह मौजूदा हालत में उन जरूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं, जिनकी लोग उससे आशा करते हैं। एक बात इस सम्बन्ध में हर अनुदान के बारे में आती है, वह क्राइम है और करप्शन के बारे में है। डिबेट को सुनने से ऐसा पता चलता है कि क्राइम को रोकने का ताल्लुक किसी चीज के बढ़ने घटने से है। मेरा खयाल यह है कि यह समूचे समाज में बढ़ा हुआ है और उसका रेट कुछ ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में है। कुछ क्राइम वार के जमाने में बढ़े हैं। वार के जमाने के बाद बहुत से कानून भी बने हैं, लेकिन लोगों की मनोवृत्ति कुछ उन कानूनों को पालन करने की ओर नहीं है, बल्कि उन कानूनों से अपना कोई फायदा न देखकर उनको तोड़ने की है। इस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सोचना यह है कि क्या पुलिस इन क्राइम्स को रोक सकती है? मेरा ऐसा खयाल है कि पुलिस जिन मेथड्स को काम में लाती है वह आउट डेटेड हैं। क्राइम करने वाले उनसे कहीं आगे बढ़े हुए हैं। मान लीजिये कि आज एक पुलिस का आदमी चोर को लालटेन लेकर ढूंढता है तो चोर ने टार्च और दूसरी-दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी सीख लिया है। उनका संगठन और उनकी शिक्षा मौजूदा पुलिस से बढ़ी हुई है। जब तक हम ऐसे तरीकों को नहीं सिखायेंगे कि पुलिस वाले क्राइम्स की तह में जाकर अपराधियों को पकड़ सकें तब तक पुलिस क्राइम्स को नहीं रोक सकती।

इसके अतिरिक्त एक दूसरा नजरिया भी है। हमें यह देखना चाहिए कि १० साल के अन्दर जिस ध्येय के लिए सरकार पुलिस को इस्तेमाल करती है, उसमें, उसके बर्ताव में, उसकी कार्यप्रणाली में कोई ऐसी मौलिक तब्दीली हुई है या नहीं, जिससे लोग उसको अपना रक्षक समझें, सहयोगी समझें। इस नजरिये से मैं कह सकता हूं, हो सकता है कुछ तब्दीली हुई हो, मगर काफी तब्दीली कराना अभी बाकी है और इसके लिए बाकायदा सिस्टेमेटिक एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस का महकमा है, जो पुलिस का इन्स्टीट्यूशन है, वह सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं था, बल्कि कालोनियल पावर, इम्पीरियलिस्ट पावर के लिए एक एप्रोच था, जिसे हम मखसूसी तरीके से पुलिस एप्रोच कहते हैं। पुलिस एप्रोच का मतलब है जुर्म को ताकत से दबा देना। स्पष्टतः यह जीवन के हर क्षेत्र में चल रहा है। तो हमें उस पुलिस एप्रोच से निकलना है और पुलिस एप्रोच से निकल कर एक नयी एप्रोच पैदा करनी है। उसके लिए मैं समझता हूं कि जैसा कुछ इशारा भी किया गया था, पुलिस के जो सिपाही हैं, जो उसके आफिसर हैं, उनके दृष्टिकोण में रिओरियेंटेशन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अधिक जब तक आप समाज के दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तब तक यह नहीं होने वाला है।

मैं जानता हूं कि कुछ सुपरिंटेंडेंट पुलिस पुराने जमाने के ही हैं, तो वे भी १०९ और ११० के आदमियों को बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं और यदि कहीं कोई जुर्म होता है तो यही खयाल किया जाता है कि इसने ही जुर्म किया होगा और इस तरह से उसे पकड़ लिया जाता है। जहां तक १०९ की बात है इसके लिये विशेष रूप से विचार करने की जरूरत है। उसमें यह है कि अगर कोई बेकार हो और वह घूमता हुआ पाया जाय तो उसे पकड़ा जा सकता है। अब मान लीजिये कोई आदमी है, जिसे नौकरी नहीं मिलती तो कानून यह है कि ऐसे आदमियों को भी पकड़ा जा सकता है। इसलिये जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को बदला जाय। जब तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को नहीं बदला जायगा, तब तक इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज होता यह है कि हर जिले में इस तरह की लिस्ट तैयार होती है कि इतने आदमी १०९ और ११० के हैं। जब मैं पुलिस के रिओरिएंटेशन की बात कहता हूं तो उसका मतलब यही है कि जो पुलिस कांस्टेबिल्स हैं उनको भी समाज का ज्ञान

कराना चाहिये, क्योंकि मैं ऐसा नहीं समझता कि पुलिस के सभी काम खराब ही होते हैं। पुलिस काफी उपयोगी काम भी करती है। मिसाल के तौर पर मान लिया जाय कि लखनऊ का समूचा सेक्रेटेरियट बन्द कर दिया जाय तो कोई इंकलाब नहीं होगा, कोई बदनामी नहीं होगी, लेकिन अगर पुलिस कांस्टेबिल्स को ट्राफिक ड्यूटी से वापस ले लिया जाय तो जहां-जहां से वापस ले लिये जायेंगे वहां-वहां बड़ी दिक्कतें और अव्यवस्था पैदा हो जायगी और उससे कई खतरे भी हो जायेंगे। तो पुलिस का जब कोई बड़ा उपयोगी काम होता है तो उन उपयोगी कामों के लिये उनकी सराहना भी करनी चाहिये। साथ ही जो भी काम हो, चोरी पकड़ने का काम हो, मैं खुद जानता हूं कि पुलिस ने बहुत सी चोरियों का पता लगाया है, लेकिन निजी बात को मैं सदन में नहीं बतलाना चाहता हूं। फिर भी एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिये जिससे समाज का लाभ हो।

मैं आपको सन् १९४६-४७ की बात बतलाऊं कि जब उस समय सारा पंजाब जल रहा था और यू० पी० भी उसकी आग से जलने वाला था उस समय इस प्रदेश की पुलिस ने जितनी तत्परता से यहां के ला ऐंड आर्डर को मेंटेन रखा उसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। यानी उस समय अंग्रेज आफिसर चले गये थे, मुस्लिम आफिसर भी चले गये थे, हमारे यहां एक ढांचा ही पुलिस का रह गया था, लेकिन जिस तरह का काम उस समय की पुलिस ने किया उनके लिये उसकी तारीफ ही हो सकती है। कुछ बातें उस समय ऐसी भी हुईं और होती हैं जिसके लिये शर्म भी हो सकती है और ऐसे काम नहीं होने चाहिये। लेकिन महज एक इनडिविजुल को लेकर समूचे डिपार्टमेंट की शिकायत करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ने कहा, और मैं खुद समझता हूं, कि पुलिस कैसे सामाजिक समानता के लिये लड़ सकती है, जब उसके सारे ढांचे के अन्दर ही सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। ५ और २,५०० रु० का अन्तर उसके अन्दर में है तो इसके लिये जरूरी है कि उस असमानता को दूर करने की ओर कदम उठाया जाय। अब सवाल यह है कि इस इंस्टीट्यूशन को हटाकर इसके बजाय कौन सा इंस्टीट्यूशन कायम किया जाय। जो प्रचलित इंस्टीट्यूशन है उसमें पांच सौ गुने की आर्थिक असमानता है, लेकिन वे ऐसे आबहवा में पले हैं कि वे सामाजिक समानता के लिये नहीं लड़ सकते हैं, आर्थिक समानता के लिये भी नहीं लड़ सकते हैं। पुलिस के ऐटिच्यूड को इनडिविजुअल तरीके से बदलना चाहिये तभी उसके दिमाग पर और उनके सोचने पर असर पड़ेगा। पुलिस के रवैया का इस बात से पता चलता है कि अगर एक किसान में और मजदूर में झगड़ा हो या यों कहिये कि एक मिलमालिक और मजदूर में झगड़ा हो तो स्वतः पुलिस किसकी रक्षा को जाती है। आज के सोशिलिस्ट समाज में तो पुलिस को मजदूर की रक्षा के लिये जाना होगा, इससे पता चलेगा कि सरकार का बायस क्या है, वह अपने नये समाज में किसके हितों की रक्षा चाहती है, लेकिन अभी हमारे यहां जो रवैया है वह यह है कि जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट हैं वह कोई विध्वंस करने वाले व्यक्ति होते हैं यहां की ताकत को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सोशलिस्ट समाज की तरफ जा रहे हैं तो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट या किन्हीं प्रगतिशील लोगों के प्रति हमारा एक अच्छा ऐटीट्यूड होना चाहिये और एक अच्छा रवैया पुलिस का होना चाहिये। इधर मेरा विश्वास है कि हमारे पुलिस कांस्टेबिल में भी देश प्रेम उभरा है। जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे कदम उठायें कि जिन से पुलिस का भी स्तर उठे और एक ऐसा आइडियल और आदर्श जनता की ओर से भी स्थापित हो कि जिससे हम कुछ ऐसे हालात पैदा करें कि वह महसूस करें कि हमारे जरिये से कोई देश का बड़ा काम होने वाला है।

हमारा विश्वास है कि चाहे अभी किन्हीं कारणों से इस तरफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया हो, लेकिन अब वह कदम उठने का समय आगया है और इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अब हमें उस दिशा में कोई प्रिलिमिनरी स्टेप लेने चाहिये। जहां तक मेरे यहां की बात है, जहां सभी जगह की मुख्तलिफ बातें हैं वहां मुझे भी दोनों ही बातों को देखने का मौका मिला। एक मामला हमारे यहां चोरी का हुआ, जिसमें बैंक से ८५ हजार रुपये की चोरी

[श्री गोविन्द सहाय]

हुई,पुलिस ने शुरू के दौर में तो बहुत मुस्तैदी से काम नहीं किया, जितना कि उसे करना चाहिये था। इसी तरह का मैं अपने यहां का एक दूसरा वाकया जानता हूं कि एक रईस के लड़के ने कानून को अपने हाथ में लिया और उसके बारे में सब का यह खयाल था कि बड़े आदमी होने के कारण पुलिस चालान नहीं करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि आखिर में ऐसी बात नहीं हुई और चालान हुआ। कानून में अमीर और गरीब नहीं देखना चाहिये और जो कानूनन सही बात हो वही होनी चाहिये। तो पुलिस की अच्छी भी बातें हैं और बुरी भी हैं, शिकायत लोगों को है, मुझे भी हैं, जुर्म पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मेरा खयाल है कि पुलिस में एक तब्दीली हुई है चाहे अभी वह उस दर्जे की न हो जितनी कि हमें चाहिये।

अभी हाल में मैंने अपने यहां ६०-७० मील का दौरा किया तो उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जहां पहले ज्यादातर पुलिस की शिकायतें सुनने में आती थीं, लेकिन इधर मुझे कन्सालिडेशन आदि की और दूसरी चीजों की अधिक शिकायतें सुनने को मिलीं। तो रवैये में कुछ अन्तर हुआ है, लेकिन अभी हमें उनके सुधार के लिये कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने ही पड़ेंगे और मुझे आशा है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि पैर की कमजोरी के कारण बैठे-बैठे ही कुछ अर्ज करूं। मान्यवर, मैं अपने को कुछ एक अजीब धर्मसंकट में, मखमसे में पाता हूं। इस आदरणीय सदन का सदस्य होने की हैसियत से मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ सेवा मेरे भी सुपुर्द है और मैं यह भी मानता हूं कि जितने भी इस सदन के सदस्य हैं उन सबके सुपुर्द कुछ न कुछ खिदमत जनता ने की है। उसको अन्जाम देने के लिये मैं यह भी जरूरी समझता हूं कि जिस बात को ठीक समझूं, वही इस सदन में अर्ज करूं। अक्सर कहा जाता है, और नेता सदन ने भी यह बात फरमाई, मेरे कानों को उनकी वह बात सुनकर तकलीफ हुई, दूसरे माननीय सदस्य भी जब चाहते हैं, कह देते हैं कि विरोधी दल की तरफ से सिवा नक्ताचीनी के और कुछ नहीं होता, कोई रचनात्मक टिप्पणी, कोई कन्सट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता।

इस अनुदान के वादविवाद के सम्बन्ध में तो कह दिया गया है कि कहीं ऐसा न हो कि जो इस सदन में बातें कही जांय उनसे इतनी चोट पुलिस के कर्मचारियों को पहुंचे कि उनके अपने काम में उदासीनता हो जाय। यहां तक इस विवाद के सिलसिले में कहा गया। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से हमें वादविवाद को करना चाहिये उस विधि से, इधर के बैठने वाले भी उसी तरह से वाकिफ हैं जैसे कि किसी दूसरी तरफ के बैठने वाले। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा नुक्ताचीनी की जाती है किसी कार्य की, ऐक्शन की, ओपीनियम की नहीं। इधर के बैठने वालों के पास कोई ऐक्शन तो है नहीं। जहां तक सरकार का सवाल है हमसे यह उम्मीद करना कि हम रायजनी करते हैं, मैं यह उम्मीद करता हूं कि वादविवाद में इस बात का लिहाज रखा जाय कि ऐक्शंस क्रिटिसाइज किये जाते हैं, ओपीनियन्स नहीं की जाती हैं और लेजिस्लेचर में ऐक्शंस के जो क्रिटिसिज्म होते हैं वे सरकार के कामों के होते हैं।

यह कहा गया कि यह वेलफेअर स्टेट है, लेकिन वेलफेअर स्टेट के हामियों ने यह बात कही, बड़ा दुख हुआ। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कहां बैठा हुआ हूं, कौन सी बात सुन रहा हूं, पैर के तले से जमीन क्यों नहीं निकल जाती, वेलफेअर स्टेट के दावेदारों ने यह बात फर्मायी कि अगर पुलिस गड़बड़ हुई तो सारा राज्य चौपट हो जायगा। किसी भी सभ्य देश के लिये पुलिस के ऊपर राज्य नहीं चला करता। किसी भी सिवीलाइज्ड कंट्री में किसी एक आदमी को यह दावा करते नहीं सुना जायगा कि अगर पुलिस का बंटाधार हुआ तो राज्य समाप्त हो जायगा। फौज के बारे में तो यह बात कही जाती है। पुलिस का किसी सभ्य देश में वहां के रहने वालों से कम से कम वास्ता होता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के ऊपर पूरे तौर पर और ठीक तौर पर सभी नियंत्रण हो सकता है जब कि वह डिसेंट्रलाइज की जाय, लोकल अथारिटीज के सुपुर्द पुलिस का काम किया जाय। इंगलैंड की पुलिस का हवाला दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन की सारी पुलिस सिवा लंदन शहर के और वह भी जो स्काटलैंड यार्ड की मेट्रोपालिटन पुलिस है, सबकी सब डिसेंट्रलाइज्ड है। अमेरिका की सारी पुलिस डिसेंट्रलाइज्ड है। फ्रांस की सारी पुलिस डिसेंट्रलाइज्ड है। हिन्दुस्तान की पुलिस आज सेंट्रलाइज्ड है। वेलफेयर स्टेट वालों का यह कहना कि अगर पुलिस की ईंट खिसकी तो सारा काम चौपट। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पुलिस के अनुदान जब कभी इस सरकार या इसके पहले की सरकार ने इस सदन में पेश किये तो एक पाई की कटौती का प्रस्ताव पास हुआ। ३ करोड़ ७४ लाख १९४५–४६ में था, और ९ करोड़ आज मांगा जा रहा है। पौने तीन गुना वृद्धि हो गयी। एक पैसे की कटौती नहीं की गयी। जो सरकार ने चाहा स्वीकृत किया गया। फिर शिकायत किस बात की ? मैं बहुत नम्रतापूर्वक मान्यवर, निवेदन करूंगा, असली नुक्स और खामी ढांचे में है और जिस समय तक पुलिस के आर्गेनाइजेशन और सेट अप में आमूल परिवर्तन नहीं होगा करप्शन और इनएफीशेंसी की शिकायतें चलती रहेंगी।

पुलिस के प्रबन्ध के सिलसिले में जो किताब माननीय सदस्यों को आदरणीय सदन में बांटी गयी उसके देखने से मालूम होता है कि पांच सौ ऐसे पुलिस के कर्मचारी थे जिनके ऊपर गत वर्ष में भ्रष्टाचार के मुकदमें या प्रोसीडिंग्ज उनके खिलाफ ली गयीं। एक जिले में १० का औसत हो या पौने दस का, क्योंकि ५१ जिले हैं इस सूबे में। मान्यवर, गौर किया जाय क्या कोई ऐसा विभाग है जिसमें एक जिले में उसके कर्मचारियों के खिलाफ १० करप्शन की इंक्वारीज इंस्टीट्यूट हुई हों ? कोई विभाग ले लीजिये। वह पुलिस जो ला ऐण्ड आर्डर की गार्जियन हो, जिसके सुपुर्द यह इंतजाम हो कि जब्र, तशद्दुद और फ़रेब से इस सूबे के रहने वालों की हिफ़ाजत करे उसी पुलिस विभाग में एक जिले में १० आदमी ऐसे हैं, सरकार की किताब के अनुसार, जिनके ऊपर करप्शन के लिये इंक्वायरी हो, सजा दी गई। तो समझ लीजिये कि कोई दूसरी मिसाल देने की जरूरत नहीं है कि पुलिस करप्ट है।

अभी जैसा निवेदन किया, इंगलैंड की पुलिस का हवाला दिया, अमेरिका का हवाला दिया, मेरे पास इंगलैंड, अमेरीका और फ्रांस, तीनों की किताबें मौजूद हैं। मैं उन माननीय सदस्यों के सामने अपना सर झुकाऊंगा जो बता दें कि जहां साढ़े ६ करोड़ की आबादी में पुलिस के खिलाफ़ ५०० करप्शन की इंक्वारीज एक साल के अन्दर हुई हों ?

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की योग्यता का बहुत दावा किया गया। योग्यता के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि जितने केसेज पुलिस को रिपोर्ट हुए, पुलिस को सूचना दी गयी कि इतने जरायम हुये इस सूबे में, उनमें से केवल २४ फ़ीसदी सजायाब हुये। ७६ परसेंट क्राइम अनपनिश्ड रह गये। जो प्रदेश, जहां १०० में से ७६ क्रिमिनल्स, और यह सच्चे केसेज का हवाला दे रहा हूं, अनपनिश्ड चले जांय, कोई सजा न हो, वहां की पुलिस इस बात की दावेदार हो कि वह बड़े ऐफ़ीशियेंट हैं, बड़ी अजीब सी बात लगती है। ऐफ़ीशियेंसी का हाल श्रीमन्, आप यह भी देख लें कि १९४५ में पुलिस के चालानी मुकदमें में ८१.४ में सजा होती थी और १९५४ में जिसके आंकड़े मुझे प्राप्त हो सकें ६५ फ़ीसदी आदमियों को सजा हुई। साढ़े १६ फ़ीसदी प्रोजीक्यूशन उस वक्त के मुकाबले में कम सजायाब हुये। यह भी ऐफ़ीसेंसी का नमूना है कि सच्चे मुकदमों में सजा नहीं होती। जैसा मेरे एक लायक दोस्त ने कहा था कि या तो मानिये अदालतें अयोग्य हैं, इस बात को हम मान नहीं सकते, तो एक ही बात रह जाती है, या तो गलत चालान किये गये तो उस हालत में भी जनता को तकलीफ़ दी, या यह कि लोग मुजरिम थे और वे बरी हो गये अदालत से। यह ऐफ़ीशियेंसी का नमूना है कि ऐसे लोगों को सजा न दी जा सके।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९४५ में १०९ के मुकदमें ६०४७ आदमियों पर चलाये गये थे और १९५४ में १५,७६२ पर, यानी ढाई गुने ज्यादा। १०९ का इस वेलफ़ेयर स्टेट में बड़ा जोर है। गालिबन दफ़ा १०९ वेगरेंसी उसी अनुपात से बढ़ रही है जिस अनुपात से वेलफ़ेयर स्टेट के दावेदारों के दिलो दिमाग में वैलफ़ेयर स्टेट की तामीर इस सूबे में हो रही है। दफ़ा १०७ का इस प्रदेश में इतना भयंकर दुरुपयोग हो रहा है जितना किसी दूसरे सभ्य देश में नहीं और मैं अगर यह अर्ज करने की गुस्ताखी करूं कि किसी दूसरे सूबे में भी नहीं हो रहा है, तो गलत न होगा। १ लाख २८ हजार आदमियों पर दफ़ा १०७ की प्रोसीडिंग्स चालू की गई मंत्री जी को ज्ञात है कि दफ़ा १०७ का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है। एक केस है मुकदमा नहीं चल रहा है, इसलिये मैं उसके वाकयात अर्ज करना चाहता हूं। लखनऊ में कुछ लोग दफ़ा १०७ के मुकदमें में पकड़े गये रात को ११ साढ़े ११ बजे। जितने पकड़े गये कोई सरकार के दफ्तर का ३०० रुपये का तनख्वाहदार था और कोई सरकार के दफ्तर का २०० रुपये का तनख्वाहदार था।

श्री अधिष्ठाता—केस सबजुडिस तो नहीं है?

श्री त्रिलोकीसिंह—उसे तो पुलिस ने खत्म कर दिया। एक वकील साहब जमानत कराने गये तो वे भी पकड़ कर बन्द कर दिये गये और सुबह हुई तो सब छोड़ दिये गये। कौन सा ऐसा पुलिस का कोड है जो इस बात की अथारिटी देता है कि जिसको चाहो बन्द कर दो और दूसरे दिन छोड़ दो। अमनो-आमान का जो सारा खतरा था वह खत्म हो गया। जो वकील थे उन पर १५१ जाब्ता फौजदारी लागू हुई। १५१ के मुकदमे को मैजिस्ट्रेट ही खत्म कर सकता है, वह भी दाखिल दफ्तर कर दिया गया। लखनऊ के चौक थाने का यह मुकदमा है और वही थानेदार और सारा पुलिस सेटअप अपनी जगह बरकरार हैं। पुलिस अपने अधिकारों का इस तरह दुरुपयोग करती है।

मैं जानता हूं कि पुलिस का भय होना चाहिये। वर्दी पहनने की एक लाज होती है। अगर उस वर्दी पहनने की लाज को इस प्रकार से मिटाया जाय तो कहां तक न्यायसंगत होगा। अगर इस सदन को ऐतराज न हो, श्रीमन्, तो लंच तक बोल लूं।

श्री अधिष्ठाता—मेरी कुछ परेशानी है। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी भी बोलेंगे और कुछ समय पालीवाल जी भी लेंगे। इस प्रकार टाइम की बड़ी कमी है।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं कह रहा था कि पुलिस की वर्दी की अपनी शान होती है। वर्दी पहनकर उसे सब्र व बर्दाश्त से काम लेना चाहिये। संसार में ऐसा कोई कानून नहीं होगा कि ढेले का जवाब गोली से दिया जाय, लेकिन यहां ऐसा पुलिस किया करती है। कितना ही प्रयत्न करे यह सरकार, लेकिन वह इस तरह के रवैये को खत्म नहीं कर सकती जब तक कि पुलिस वालों का दिमाग ठीक नहीं किया जायगा कि उनको किसी निहत्थे पर गोली चलाने का अधिकार नहीं है, उन्हें किसी को जबर्दस्ती बन्द करने का अधिकार नहीं है। जब तक उनको इस बात की छूट है हाई कोर्ट चाहे कितने ही स्ट्रिक्चर्स पास करे तब तक पुलिस अपनी जगह बरकरार रहेगी और उसका रवैया भी वैसा ही रहेगा।

हमारी पुलिस के इन्तजाम में खराबी का एक बड़ा कारण यह भी है कि जितने बड़े ओहदेदार हैं वे पुलिस के ही होते हैं। इंग्लैण्ड की पुलिस का हवाला दिया गया। वहां आज तक कभी भी कमिश्नर आफ पुलिस लन्दन में पुलिस आफिसर्स में से मोनोट होकर नहीं होता। पुलिस कमिश्नर्स बाहर से बुलाये जाते थे। नीचे के आफिसर्स उसी काडर में रहकर, जहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो या इन्कम्पीटेंसी हो, चाहे वह कितने ही नेकनीयत हों या ईमानदार हों कुछ नहीं कर पाते हैं।

माननीय मंत्री ने कहा कि वे इस हाउस का सहयोग चाहते हैं । जहां तक ला एण्ड आर्डर के मेंनटिनेन्स का सम्बन्ध है कोई भी आदमी कहीं नहीं मिलेगा जो इस बात से मुनकिर हो कि इसमें सहयोग देने को तैयार नहीं है, खास कर अपोजीशन के आदमी को जिसको इस बात का लिहाज करना पड़ता है कि वह दूसरे के कब्रे रहमोकरम पर है । जहां तक सहयोग का सवाल है कोई दिक्कत, कोई आपत्ति न उनको हुई है, न हो सकती है, लेकिन मै बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि गालिबन उन्होंने महज दिखावट के लिये कहा । वह हमेशा इस तरफ के बैठने वालों को पायेंगे कि जहां जरायम बढ़ते हों उसमें वे रुकावट डालेंगे, जहां जरायम का पता न लगता हो उनका पता लगाने में सहायता देंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हमारे समाज में शान्ति व अमन कायम रहे ।

**श्री अधिष्ठाता**—माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें और लंच के बाद पालीवाल जी प्रारम्भ करें ।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—मैं थोड़ी देर ही में समाप्त कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

**श्री अधिष्ठाता**—अच्छी बात है, आप शीघ्र समाप्त कर दें ।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—मैं शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा । माननीय अधिष्ठाता जी, इस अनुदान पर और मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जो अब तक बहस हुई है उसके सम्बन्ध में बहुत थोड़ी बातें मुझे कहनी हैं ।

**श्री अधिष्ठाता**—आपके केवल ५ ही मिनट रह गये हैं ।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—५ ही मिनट में मैं कह दूंगा । जो स्तर से नीचे की बातें कही गयी हैं उनके जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, उसी घृणा के साथ मैं उसकी उपेक्षा करता हूं जिसकी कि वे योग्य हैं । यह बात कि भ्रष्टाचार की बात मैं अब कर रहा हूं, कहने वालों के अज्ञान की परिचायक है । शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि १९२५ में, आज से ३२ वर्ष पहले मैंने भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पेश किया था और तब तत्कालीन लेजिस्लेटिव कौंसिल में वह पास हुआ था और जब मैं मंत्रिमंडल में सदस्य था तब मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल बैठाया गया और मैंने उसके लिए कोशिश की थी । जिन्होंने ये आलोचनाएं की हैं, अपने अज्ञानवश की हैं ।

जो बातें मैंने कही हैं उनके समर्थन में मुझे एक मिनट भी समय लगाने की जरूरत नहीं है । वह इसलिये कि जो कोई यह कहे कि वे बातें गलत थीं, उनसे बड़े आदर के साथ कहूंगा कि अभी कांग्रेस पार्टी के माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो भाषण दिया है उसकी कापी मंगा कर पढ़ लें । वह बहुत जुडीश्यल एवीडेंस है और उससे मेरी हर एक बात का समर्थन होता है, हर एक प्वाइंट का होता है । मैंने तो यह नहीं कहा था कि भ्रष्टाचार में ज्योमेट्रिकल प्रोगेशन हुआ है, मैंने तो अरिथमेटिकल भी नहीं कहा था । तो मेरा समर्थन वहां से हो जाता है । मुझे उसके कहने की कुछ अधिक आवश्यकता नहीं है ।

मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं और वह यह कि यह कहा जाय कि १० वर्ष में हम कुछ सुधार कर सके हैं, जो गोविन्द सहाय जी ने भी कहा, और आगे और करेंगे और धीरे-धीरे यह काम होगा, तो मैं फिर अपनी राय नहीं देता हूं, विरोधीदल के लोगों की राय नहीं देता हूं । एक व्यक्ति हैं हमारे देश में, संत विनोबा, मैं समझता हूं उधर के लोग भी बहुत आसानी से यह नहीं कह सकेंगे कि उनकी राय सुनने के लायक नहीं है । उनका कहना यह है कि क्रान्ति धीरे-धीरे नहीं होती, और जो सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति करनी है, उसके होने में अगर देरी हुई तो संत विनोबा कहते हैं कि खूनी क्रान्ति हुए बिना रुक नहीं सकती, अवश्य होगी । यह मैं नहीं

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कह रहा हूं, संत विनोबा कहते हैं और इसलिये कहते हैं कि जो पुलिस की बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए कारगर प्रयत्न करने चाहिये। हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आतीं हैं, आपको उपाय नहीं सूझता है तो कल जैसा मैंने कहा, मैं फिर कहता हूं कि हम सब एक साथ मिल कर उपाय ढूंढें और साथ मिल कर इसके लिए प्रयत्न करें तो सफलता अवश्य मिलेगी।

अन्त में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो यह कहा कि पुलिस के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है, बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूं कि माननीय सदन का हर एक सदस्य उससे सहमत होगा, लेकिन मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि पुलिस में अगर कुछ खराबियां हैं तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों और पुलिस विभाग पर नहीं है। उसकी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल पर है, जिसका काम उनको दूर करने का है। मेरी आलोचना पुलिस विभाग की नहीं है, मेरी आलोचना सरकार और मंत्रिमंडल की है जो अपने इस कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिये अगर दृष्टिकोण बदलना है तो मंत्रिमंडल का, सरकार का, दृष्टिकोण बदलना चाहिये और उस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि अगर सरकार यह समझती है कि आज के जनतंत्र के युग में, क्रान्ति के युग में राजनारायण सिंह को सवा साल के लिए जेल भेज कर और गेंदासिंह जी को अनशन करने के लिए मजबूर करके सरकार शासन कर सकती है, तो उसका यह दृष्टिकोण ऐसा है जो उसको ले बैठेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल के कार्यक्रम के अनुसार आज तीन बजे तक इस अनुदान का समय है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी को बोलने के लिये ज्यादा समय की आवश्यकता है इसलिये प्रार्थना है कि सवा तीन बजे तक गृह मंत्री जी को भाषण देने का समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ? (गृह मंत्री से) आपका समय सवा तीन बजे तक रहेगा। अगर आप पहले खत्म कर देंगे तो हम अनुगृहीत होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पहले खत्म कर दें।

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---उपाध्यक्ष महोदय, आज डेढ़ दिन से पुलिस के इस अनुदान पर हमारे इस आदरणीय सदन में विवाद होता रहा है और मैं सचमुच बड़ा कृतज्ञ हूं माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस विचार-विमर्श में भाग लिया और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें भी बतलाईं, सुझाव भी दिये, जिनसे इस विभाग को, और सरकार को लाभ पहुंचेगा। मैं और भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, इस वास्ते कि निस्सन्देह हमारे इस अनुदान पर वादविवाद का स्तर ऊंचा रहा, राय किसी की कुछ भी रही हो पर सबने प्रदेश में जो बात ठीक समझी और सचाई के साथ जो अनुभूतियां रही हों, विचार रहे हों, उन्होंने प्रगट किये और इस इरादे और इस लक्ष्य से प्रगट किये कि पुलिस विभाग का भी, सरकार का भी, इस प्रदेश का भी और हमारी जनता का भी हित हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उनसे सरकार लाभ उठायेगी और हमारे विभाग के लोग भी, जिनके प्रति यह विचार रखे गये हैं, और सुझाव दिये गये हैं, उनसे लाभ उठायेंगे और सब मिल जुल कर जनता की सेवा करने में सफल होंगे, समर्थ होंगे। फलतः अवश्य ही मैं अपने सभी साथियों के प्रति, विशेषकर विरोधी दल के नेता के प्रति और आदरणीय पालीवाल जी के प्रति और हमारे जो जनसंघ के नेता हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करता हूं, क्योंकि सभी दल के लोगों ने इस विभाग के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये और मार्ग दर्शन के लिये अपने विचार व्यक्त किये हैं। अब इस विवाद के सिलसिले

में बहुत सी बातें कही गई हैं और जिनके सम्बन्ध में मुख्य रूप से कुछ निश्चित बातें कही गई हैं, जिनका स्पष्टीकरण करना मैं समझता हूं कि आवश्यक है। एक बात तो यह कही गई और शायद हमारे भाई उग्रसेन जी ने तथा अन्य भाइयों ने कही थी कि पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी के सुझावों और संस्तुतियों के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सम्बन्ध में सूचना देना चाहता हूं कि जो पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी १९४७ में बैठी थी उसने करीब ३०० के सुझाव और संस्तुतियां दी थीं। उनमें से १७५ ऐसी संस्तुतियां हैं जिनको हमने कार्यान्वित कर दिया है। कुछ ऐसी हैं जो एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, ओवरलेपिंग करती हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध पैसे रुपये से है, जिनको हम करते चले जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बिल्डिंग के लिये सुझाव दिया था उसको हमने ले लिया है। उन्होंने पुलिस आफिसर्स के लिये और खासकर के जूनियर गजटेड आफ़िसर्स के लिये रेफ़्रेशर कोर्स के लिये बात कही थी और उनके सिलेबस और करीकुलम में कुछ परिवर्तन करने की बात कही थी, उसे भी हमने कार्यान्वित किया है। जो सुझाव उन्होंने सी० आई० डी० के संगठन के सम्बन्ध में दिये थे उन्हीं के अनुसार अब सी० आई० डी० का संगठन किया गया है और इस प्रकार माननीय सदस्य अब यह देखेंगे कि प्राय: उनकी मुख्य-मुख्य सभी सिफारिशों, लगभग १७५–१८०, को हमने पूरी तरह से मन्जूर कर लिया है। उन्होंने यह भी सिफ़ारिश की थी कि पुलिस के मोटरों को वर्कशाप सीतापुर में स्थापित हो और कानपुर की सेन्ट्रल वर्कशाप कर दी जाय। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के ट्रेनिंग कालेज में म्यूजियम कायम किया जाय। उन्होंने साइन्टिफ़िक सेक्शन के लिये भी कहा था। तो सारी चीजें जैसी हमारी सुविधा और आर्थिक स्थिति रही है उसके अनुसार हम कार्यान्वित करते रहे हैं और बराबर कार्यान्वित करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफ़ारिशों को सरकार ने एकदम बालाये ताक़ रख दिया और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की।

दूसरी एक बात और कही हमारे किसी मित्र ने कि हमारे कांस्टेबिलों को टी० ए० इत्यादि में किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती और हेडक्वार्टर से १५ मील तक जाने पर उन्हें कोई टी० ए० एलाउन्स नहीं मिला करता है। मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि यह बात भी सही नहीं है। वास्तव में यह नियम रहा था पर इसमें कभी का परिवर्तन हो चुका है और अब तो यह है कि अपने थाने के जुरिस्डिक्शन से ५ मील के ऊपर अगर कांस्टेबिल जाता है तो उसे भत्ता मिल जाता है। पहले यह भी था कि प्रेस्क्राइब्ड रूट्स पर जो बसेज चलती थीं उन्हीं का भत्ता मिला करता था। अब तो बसेज का भी भत्ता, ट्रेन का भी भत्ता और ५ मील के बाहर अगर हमारा कांस्टेबिल किसी भी सरकारी काम से जाय तो उसको भत्ते का आदेश सरकार की ओर से दिया जा चुका है। इसके लिये अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो गत वर्ष के बजट में ही ३,२६,८०० रुपये का प्राविधान किया गया था और इस साल भी उसका प्राविधान है ही। तो यह सूचना भी देना जरूरी था, क्योंकि कदाचित् माननीय सदस्यों को इसका पता नहीं था तभी उन्होंने यह बात कही कि १५ मील से ऊपर जब तक न जायं तब तक उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता।

तीसरी बात यह कही गयी, मान्यवर, हमारे उग्रसेन जी इस समय दिखायी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह बात कही थी कि भुवाली में ऐसे सिपाहियों के लिये जो टी० बी० के शिकार हों कोई प्रबन्ध करना चाहिये। मैं उन्हें यह सूचित करना चाहता हूं कि भुवाली में ऐसे टी० बी० के पेशेन्ट्स के लिये आलरेडी प्रबन्ध है। वहां एक विंग है जहां कि पुलिस विभाग के अगर टी० बी० के पेशेन्ट्स आयेंगे, वे रखे जाते हैं। एक और विंग वहां बनाया जा रहा है। यह कहना भी गलत है कि जो हमारे बेचारे कांस्टेबिल वगैरह टी० बी० में ग्रस्त होकर वहां जाते हैं उनको खाने पीने के प्रबन्ध में कुछ कठिनाई रहती है। यह बात भी गलत है। वास्तव में और मरीजों को जिस प्रकार का खाना-पीना दिया जाता है उसी प्रकार का खाना-पीना उन्हें भी दिया जाता है। उनका एक विंग २० बेड्स का मौजूद है तथा एक और का कांस्ट्रक्शन भुवाली में हो रहा है। किसी प्रकार का भद-भाव इस कारण कि वे पुलिस के छोट और निम्नस्तर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

के कर्मचारी हैं, अन्य रोगियों से नहीं किया जाता। इसकी सूचना मैं समझता हूं आवश्यक थी कि आपको दे देता। बहुत सी सुविधायें इन पिछले सालों, दो सालों के बीच में हमारे पुलिस विभाग के निम्नस्तर के कर्मचारियों को दी गयी हैं।

एक बात और कही गयी कि ३ रु० १२ आ० में या कितने में एक भंगी रख लिया जाता है। तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां करीब ८०० थाने हैं। उनमें से ४७७ थानों में भंगी परमानेन्टली एम्पलायड हैं जिनकी तनख्वाह हेडक्वार्टर पर ३२ रुपये है और २५ रुपये डी० ए० के मिलते हैं। और जो आउट साइड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हैं उनकी तनख्वाह २७ रुपये है और २५ रुपये डी० ए० के मिलते हैं। कहीं कुछ ऐसे थाने हो सकते हैं जहां अभी परमानेन्टली फुलटाइम स्वीपर्स नहीं एम्प्लाय किये गये हैं। वहां मुमकिन है कि कुछ तनख्वाह इस तरह से दी जाती रही हो पर जैसा आप देखेंगे कि करीब पौने पांच सौ थानों में यह व्यवस्था हो चुकी है और हमारा इरादा है कि जहां कहीं भी हो हम इसकी परमानेंट व्यवस्था धीरे-धीरे कर डालें। तो ऐसी बात नहीं है कि स्वीपर्स के लिये व्यवस्था नहीं है।

अभी किसी भाई ने कहा था कि हमारे कांस्टेबिलों को खाने पीने के सम्बन्ध में कोई एलाउंस नहीं दिया जाता। मैं उसकी भी सूचना देना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से, सन् १९५५ से ४ रुपया डायट का एलाउन्स कांस्टेबिलों के लिये बढ़ाया गया था, जिसमें २३ लाख ३६ हजार का प्राविजन बजट में किया गया था और गत वर्ष भी और इस वर्ष भी डायट का एलाउन्स उनको मिल रहा है।

यह दो तीन बातें विशेष रूप से बजट के सिलसिले में कही गयी थीं। चौकीदारों के सवालों को हमारे कई मित्रों ने बार-बार पेश किया और यह भी कहा कि पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने उनके सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। रिआर्गनाइजेशन कमेटी में २ रायें थीं। मेजारिटी राय यह थी कि इस इंस्टीट्यूशन को खत्म किया जाय और वहां उसी गांव के रहने वाले बीट कांस्टेबिल्स की नियुक्ति कर दी जाय। और चौकीदारों की ५०, ४९ हजार की तादाद को एक चौथाई कर दिया जाय। बीट कांस्टेबिलों की तनख्वाह १५, १६ रुपये कर दी जाय, लेकिन चौकीदार ज्यादा हैं उनकी संख्या एक चौथाई कर दी जाय। एक माइनारिटी रिपोर्ट भी थी जिसमें इसका विरोध किया गया था। उन्होंने कहा था कि ला ऐंड आर्डर के मामले में भले ही इस इंस्टीटयूशन से ज्यादा मदद न मिलती हो, लेकिन यह बड़ा पुराना इंस्टीटयूशन है और बहुत उपयोगी काम उनसे होता है, इसलिये सरे हाथ उनको समाप्त करना कदाचित् हानिकारक हो और यदि करना ही है तो धीरे-धीरे कहीं एकाध जगह इसका प्रयोग किया जाय और देखा जाय कि इस इंस्टीटयूशन को हटाकर दूसरे कांस्टेबिलों को भरती करके हमारा काम ठीक चलता है या नहीं। तदनुसार प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर में २ जगहें, २ पुलिस सर्किल्स में हमने इसका प्रयोग किया है। १५५ चौकीदार हटाये गये हैं और उनके स्थान पर एक चौथाई यानी ३३ या ३५ ऐसी संख्या बीट कांस्टेबिलों की रखी गई हैं। वह काम चल रहा है और उसमें ६ हजार रुपये के करीब खर्चे में वृद्धि हुई है। अगर पूरे प्रदेश में इस सारी स्कीम को चलायें तो ५६ लाख का खर्चा बढ़ता है फिर भी प्रयोगात्मक तरीके से इसको करवाया जा रहा है और यदि इससे कुछ अधिक लाभ दिखाई दिया और प्रयोग सफल हो गया तो उसका विस्तार प्रदेश के और क्षेत्रों में और कोनों में किया जायगा।

ये मुख्य रूप से कुछ थोड़ी सी बातें थीं जिनका उल्लेख बजट के सिलसिले में निश्चित रूप से किया गया था और उन के सम्बन्ध में मैं ने कुछ सूचनाएं दीं।

सर्किल इन्स्पेक्टर्स के बारे में कुछ बातें की गयीं हैं। एक ऐसी स्कीम हम चालू कर रहे हैं कि सर्किल इन्स्पेक्टर्स की जगह पर डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की भरती की जाय। लेकिन यह भी एक ऐसी बात है जिसका कि प्रयोग करने की आवश्यकता है। बार-बार यह

कहा गया कि सर्किल इन्स्पेक्टर्स से जो काम लेना चाहिये वह नहीं हो पाता और यह इन्स्टीट्यूशन ऐसा है जिस की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। हम इसका प्रयोग १०, १५ स्थानों पर करेंगे और फिर उसका जैसा परिणाम हो उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जायगी।

अब बजट के ऊपर हुए वाद-विवाद के सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी बातें निवेदन करना चाहता हूं। वैसे कटौती का प्रस्ताव माननीय पालीवाल जी महाराज ने पेश किया। और मैं उनका बड़ा पुराना स्वयंसेवक हूं। सन् १९२७ से तो मुझे याद है, कम से कम ३० बरस पुराना उनका स्वयंसेवक हूं और वह हमारे आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं। हमारे देश की परम्परा यह रही है कि बड़े लोगों की बात का जवाब नहीं दिया जाता। उनको मैं बड़ा मानता हूं। मेरे लिए कदाचित् यह बहुत उचित न हो, यदि मैं बहुत ज्यादा जवाब उनकी बातों का दूं। पर कर्त्तव्यपालन की दृष्टि से यदि मैं कुछ उत्तर दूंगा तो निस्सन्देह मुझे पूरा विश्वास है कि वह उसे क्षमा भी करेंगे और फिर हमारे देश की यह परम्परा भी रही है कि "शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि"। शत्रु की अच्छी बातों को भी कहना चाहिए और यदि गुरुओं में भी कोई दोष है तो उसे भी कहना चाहिए। यदि मुझे उनके दृष्टिकोण में कुछ थोड़ा सा दोष दिखायी देता है, तो उनका एक स्वयंसेवक होने के नाते, मैं समझता हूं कि अपने देश की परम्परा के अनुसार मुझे कुछ थोड़ा बहुत उन बातों के सम्बन्ध में कहने का, अपनी राय देने का अधिकार है। और नम्रतापूर्वक उसका साहस मैं कर रहा हूं।

मुझे उनके भाषण से वस्तुतः थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस कारण हुआ कि वह कुछ आवेश में बोल गये। भ्रष्टाचार हो, ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार है, पलायन है और उसके बाद टोपी उतारने की बात भी, बहुत कुछ उन्होंने कह डाला। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार हो भी सकता है, उसे अस्वीकार नहीं करता, परन्तु हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट में, व्यापक भ्रष्टाचार, और उन्होंने कुछ इसी प्रकार की दृष्टि से देखा। उनको दिखायी दिया कि भ्रष्टाचार सर्वव्यापी हो गया है। ऊपर से नीचे तक, हर जगह भ्रष्टाचार हो गया। सरकार के ऊपर उन्होंने पलायन का दोष लगाया कि तुम जब कहते हो कि हम भ्रष्टाचार का नाम सुनते सुनते परेशान हो गये, तो यह तुम्हारी पलायन की मनोवृत्ति है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह पलायन की मनोवृत्ति नहीं है, उस दृष्टि से हम यह कहते भी नहीं। हमारा तात्पर्य तो केवल यह होता है कि किसी बुराई का अतिरंजन भी कदाचित् सुधार का मार्ग नहीं हुआ करता। बुराई और है उसको दूर करने की चेष्टा हमको, आपको, सबको करनी है। जैसा गोविन्द सहाय जी ने कहा कि यह तो हमको समाज के हर स्तर में मिली है और मेरे ख्याल में यह हम को उत्तराधिकार में मिली है और अभी हमारा स्तर इतना ऊंचा नहीं हुआ कि ये बुराइयां हममें न रहें। तो यह हो सकता है, परन्तु जितना है उससे अधिक केवल इस कारण कि एक राजनीतिक वाद-विवाद हमको करना है किसी वस्तु का अतिरंजन देश के लिए, मेरे विचार में घातक होगा, लाभप्रद नहीं होगा और जब मैं यह कहता हूं या माननीय मुख्य मन्त्री जी जब यह कहते हैं कि हमें उस से परेशानी होती है तो उस से मतलब इतना ही है कि इस प्रकार हम किसी दोष को एक हौवे की तरह से और रंग देकर खड़ा न करें कि जो उतना हो तो नहीं, किन्तु जिसका परिणाम लोगों के हृदयों पर और मन पर बुरा हो सकता हो। इस दृष्टि से वह बात कही गयी। हम पलायन करके कहां जायेंगे? हमारा यह देश है, हम इस देश के निवासी हैं, इस देश में कोई बुराई हो, दोष हो, उसे हम कहें भी, लेकिन उसे मिटाने की हमारी आपकी सब की जिम्मेदारी है और हमारा आपका कर्त्तव्य यह मांग करता है कि हम उस खराबी को दूर करने की चेष्टा करें। तो पलायन से हमारा काम चलने वाला नहीं है और माननीय पालीवाल जी इतना तो मानेंगे ही कि सिपाही होने के नाते मैंने कभी पलायन को स्वीकार नहीं किया।

"अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्।"

तो पलायन का कोई सुबूत मैंने उन को दिया नहीं है। साथ ही:

"नात्मानमव सादयेत्।"

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आत्मप्रशंसा बहुत मत कीजिये। अपने मुंह मियां मिट्ठू न बनिये कि हमने यह किया, हमने वह किया, और वह कहते हैं कि कृतम् न मन्ये। यह किसी बुद्धिमान का लक्षण नहीं है कि अपनी प्रशंसा करे। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने भी यही कहा था, यही सिखलाया था और हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि अपने दोषों का निरीक्षण करो तब उनका परिहार भी कर सकते हो। तो उसके दोष देखने चाहिए लेकिन साथ ही साथ "नात्मानमवसादयेत्" अपनी आत्मा को नहीं गिराना चाहिए। जहां पर यह है कि आत्मा की हिन्सा नहीं करनी चाहिए तो वहां पर आत्माभिमान भी नहीं करना चाहिए। यह भी वैसे ही आवश्यक पदार्थ है जैसे कि आप अपनी व्यर्थ में तारीफ न करें। जब आप चारों तरफ से भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार करने लगते हैं तो यह प्रश्न सामने आ जाता है कि भ्रष्टाचार होगा। हमारा और आपका अनुभव है और इसका जिक्र भी आया कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष से जो गुलामी रही है, उसके संस्कार रहे हैं तो उन संस्कारों की परम्परा का असर आखिर हमारे ऊपर पड़ा है। फिर भी हमारे देश में हमारे देश के ही निवासी हैं। हमारे ही बाल-बच्चे हैं और हमारे भाई-बन्धु हैं।

आज हमारे पुलिस विभाग में कोई बाहर का नहीं है, विदेशी नहीं है और किसी विदेशी को हम रखते भी नहीं हैं। हमारे देश को स्वतंत्र हुए १० वर्ष हो गये। बहुत सारे विदेशी यहां पर थे जो चले गये। बहुत से रिटायर हो गये और बहुत से प्रति वर्ष नये आते हैं। पिछले १० वर्ष में अगर १०० सब इन्स्पेक्टर प्रतिवर्ष अगर रखे गये हैं तो एक हजार हमारे बच्चे ही भरती किये गये हैं। तो फिर क्या वजह है कि हम उन के प्रति, उन के हृदय में यह ग्लानि उत्पन्न करें। आगे और पीछे भी चारों तरफ यह कहें कि भ्रष्टाचार हो गया है और यदि उस पर यह कहा जाय कि इस प्रकार के सचमुच भ्रष्ट वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा न की जाय तो उस पर पलायन का दोष आरोपित करना मैं समझता हूं न्याय की बात नहीं है। जो दोष है, उसको परिहार करने का प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन उस को इस से अधिक सामने लाकर रखने से लोगों का हृदय टूटता है। पुलिस विभाग में बुराइयां हो सकती हैं और हैं यह मैंने कल कहा था मैं जानता हूं, परन्तु क्या यह कोई उचित बात हो सकती है कि एक तरफ से हम उस बात को कहें और उस विभाग की बुराई को करें, जिस विभाग से आपको काम लेना है, जिस में आपका रक्त मांस भरा हुआ है, और जिसमें आपके बाल बच्चे भरे हुये हैं उनको एक ओर से जघन्य स्वरूप दे देना और घृणित कर देना और यह कह देना कि ऊपर से नीचे तक सब नष्टः भ्रष्ट है यह हमारे लिए क्या लाभ की बात हो सकती है ? और क्या इस से हमारी स्थिति सुधरने वाली है ? मैं चाहता हूं आप इस पर इस दृष्टि से विचार करें।

हमारे एक भाई ने कहा कि उन्नाव की घटना पर तो कहते हो कि लज्जा की बात है और फिर कहते हो कि सन्तोष है। अगर कहीं पर कोई गलती हो जाय तो उस गलती के लिए यदि कहा जाय कि यह दुःख की बात है और इसको क्षमा कर दिया जाय तो इसके क्या माने हैं ? अगर आपके सन्मुख गलती के लिए हम कहें कि इसके लिए दुःख है और आप उसका यह अर्थ निकालें कि न मालूम प्रदेश में सब जगह क्या हो रहा है, हम ने कहा कि एक जगह गलत काम हुआ उसका दुःख है और सब जगह हमारा काम अच्छा चल रहा है और आप उस तरफ इस तर्क को लगायें यह कहां तक उचित है ? अगर इस प्रकार की कोई घटना हो गयी कि दो कांस्टेबिल, जिन के प्रति दुनिया भर की हमदर्दी दिखाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि उन की तनख्वाह बहुत कम है, उन्होंने कोई गलत काम कर दिया और आप के सन्मुख हम क्षमा याचना करें और उस हमारी बात को लेकर यह कहें कि यह सन्तोष की बात क्या है इस का अर्थ क्या है ? क्या इस प्रकार की घटना जो दुर्भाग्य से हुई उस के लिए आखिर आपके सामने हम खेद भी प्रकट न करें और न कहें कि यह दुःख की बात है। वह आपके लिए एक शस्त्र हो जाय हमारे प्रति ही बाण चलाने का। हम कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं करते। पहली लाइन में जहां पर सन्तोष की बात उस में लिखी है वहां दूसरी लाइन में यह लिखा है कि फलां स्थान पर साम्प्रदायिक दंगा हो गया। मैं नम्रतापूर्वक उनसे भी पूछना और निवेदन

करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं और हो गये, लेकिन सन्तोष क्या इस बात का नहीं है कि वह आग फैलने नहीं पायी ? हमारे शिकारपुर के चौधरी साहब हैं, शिकारपुर के ही ठहरे, अब उस में क्या कहा जाय ! फाह्यान का जिक्र किया गया, लेकिन मैं कहता हूं कि दैहिक, दैविक भौतिक तापा, रामराज्य काहू नहीं व्यापा। फाह्यान को यहां आये २,३०० वर्ष हो गये, ईसा से भी २००, ३०० वर्ष पहले आये थे। उस समय भी चाहे जितनी अच्छी स्थिति कही गयी हो, परन्तु प्रहरी थे। भले ही फाह्यान ने लिखा है कि लोग ताले नहीं लगाते थे, लेकिन प्रहरी और नगर-रक्षक उस समय भी थे।

राम के जमाने में एक रावण ही गया जो सीता को उठा ले गया। यह बात ठीक है कि उस समय बहुत अच्छी स्थिति रही होगी। हजारों वर्ष बीत चुके हैं। न जाने कितनी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हुई हैं। आज हमारी स्थिति को आप देखें। दंगे हुए, लेकिन क्या वहीं दबा नहीं दिये गये ? रिलीजस लीडर्स नामक पुस्तक कहीं सौ वर्ष पहले यहां छप गयी। बहुत से लोगों को उसमें दिलचस्पी हुई। एक विचित्र प्रकार का साम्प्रदायिक दुर्भाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य फैल गया और दंगे हुए। अगर उस आग को पुलिस ने दबाया तो उस पर सन्तोष न करें तो क्या करें ? अभी राज्यों के पुनर्गठन के सिलसिले में बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात में आन्दोलन चला। वहां एक चिनगारी लगी और विस्फोट हुआ, हिल गया सारा हिन्दुस्तान और वह प्रदेश भी। इस के बावजूद भी जिस विभाग ने शान्ति रखी तो क्या उस पर हम यह न कहें कि सन्तोषजनक स्थिति है ? हमारे एक भाई ने कहा कि रोज-रोज गोलियां चलती हैं। बलवान सिंह जी ने कहा लाखों वारदातें होती हैं और सड़क-सड़क पर हो रही हैं। हां, बारहमासी सत्याग्रह जरूर हुआ सत्याग्रह का हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत पालीवाल जी के नेतृत्व में ज्ञान रहा है। उसका गांधी जी ने तरीका बतलाया कि "Satyagraha is an effective substitute for armed rebellion." कानून की अवज्ञा सशस्त्र विद्रोह का एक प्रभावकर रूपान्तर है। कानून आप तोड़ते हैं और उसे तोड़ने की मनोवृत्ति पैदा करते हैं और फिर इस पर आप खेद और दुःख प्रकट करें कि अपराध की मनोवृत्ति बढ़ रही है। यदि ऐसी एनारकी हो तो लोकतन्त्र एक घंटे चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में स्वेच्छा से विधि और विधान बनाये जाते हैं और स्वेच्छा से उनका पालन होता है। कोई भी पुलिस कानूनों का पालन नहीं करा सकती है और अगर पुलिस को यह काम दिया जाय तो वह लोकतन्त्र डिक्टेटरशिप हो जायगी। कोई भी सरकार हो वह कानून की अवज्ञा को सहन नहीं कर सकती, भले ही उसे वह अवज्ञा, बलपूर्वक और शस्त्रों से दबानी पड़े। कोई सरकार यह नहीं देख सकती कि कानून भंग किया जाय, भले ही वह सरकार खत्म हो जाय। सरकार उसे दबाने की कोशिश करेगी। इसी प्रकार जर्मनी का रेमर रिपब्लिक गया। इसी प्रकार मनोवृत्ति डिक्टेटरशिप की ओर चली जाती है जब कि सरकारें शस्त्रों से अपनी आज्ञाओं का पालन कराती हैं। लोकतन्त्र की स्थापना होकर यहां कांग्रेस वाले ठेका लेकर नहीं आये हैं, लेकिन कुछ बुनियादी उसूलों पर ही कोई सरकार चल सकती है। उनको अगर आज हम राजनीति के चक्कर में लाने की कोशिश करेंगे तो उस से इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है।

गौरीशंकर जी ने पुलिस के सुधार और कुधार की बात कही। पालीवाल जी ने कहा कि पोलिटिकलक्ट्रस के लिए सम्मनपूर्वक सहयोग प्राप्त करो। मैं कहता हूं कि आज आपका सम्मान कहां गया हुआ है ? कौन बराबरी में कमी है ? आप और हम बैठे हुए हैं, इस प्रदेश के जन-प्रतिनिधि हैं। हमें जनता ने शासन चलाने की जिम्मेदारी दी है, कल यह जिम्मेदारी आपको जनता दे सकती है। जवाहरलाल और लिनलिथगो और कहां पालीवाल जी और कमलापति। कौन सी ऐसी बात उन्हें दिखायी पड़ी कि हम सरेन्डर मांग रहे हैं ? मैं कहता हूं कि यह मानसिक गुत्थी पड़ गयी है जिसे निकालने की आवश्यकता है। हमारे भाई

[ श्री कमलापति त्रिपाठी ]

गोविन्द सहाय जी ने कहा कि पुलिस परिवर्तन करे। पालीवाल जी और त्रिलोकी सिंह जी न कहा कि दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बन्धुओं, आप परिवर्तन करो। सर्वत्र परिवर्तन होना चाहिए। बराबर के आप हिस्सेदार हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैंने नहीं कहा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—आपने नहीं कहा, पालीवाल जी ने कहा। आपकी हैसियत हम नहीं जानते होते और सम्मान न करते होते पोलिटिकल ट्रूस हम ही क्यों करते ? मैं कहता हूं और आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि पोलिटिकल ट्रूस कीजिये या नहीं, लेकिन पुलिस का ऐसा विभाग है कि मैं हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। अगर यह किया गया तो भले ही यह ठीक हो कि जैसा भाई त्रिलोकी सिंह ने कहा कि अगर पुलिस गड़बड़ा गयी तो कोई बन्टाधार नहीं हो जायेगा, लेकिन फिर भी वह शासन का एक स्तम्भ है जिस में किसी प्रकार की गड़बड़ी को हम और आप पसन्द नहीं करेंगे।

हमारे सिपाहियों के वेतन के लिए आप की ओर से इतना आग्रह हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं चाहता हूं कि उनकी तनख्वाह बढ़े। हमारे भाई पुराने बजट भी देखते होंगे। सन् १९४६ में कांस्टेबिल का २०–२५ रु० का ग्रेड था और हेड कांस्टेबिल का ३०–४० रु० का था। उसके बाद १०वर्षों में हमारे कांस्टेबिल का ग्रेड ३०–४५ और हेड कांस्टेबिल का ग्रेड ५०–६५ हो गया है। डी० ए० भी देखिये। कांस्टेबिल को आज २५ रुपया मिल रहे हैं और हेड कांस्टेबिल को ३० रुपये। कुल मिलाकर कांस्टेबिल का ६२ रुपये और हेड कांस्टेबिल का ८० रुपये हुए और फिर भी हम यह समझते हैं कि और मिलना चाहिए। पिछले दस वर्षों के बीच में हर वर्ष या हर दूसरे या तीसरे वर्ष उनको सुविधाएं दी गयी हैं और आज हम और भी सुविधा उन को देने के इच्छुक हैं।

झारखंडेराय जी ने कहा कि हम अपना बजट बढ़ाते चले गये। सन् १९४६ में स्टेट एक्सचेकर का तेरह दशमलव नौ प्रतिशत पुलिस पर खर्च होता था और अब स्टेट एक्सचेकर का आठ दशमलव कुछ खर्च होता है। रेवेन्यू में भी पहले १४ प्रतिशत खर्च होता था अब करीब ९ प्रतिशत खर्च होता है। इस प्रकार से खर्चा बढ़ा नहीं है कम हुआ है। लंदन की पुलिस का जिक्र किया गया वहां पर एक हजार आदमी पर २०० पुलिस वाले हैं और रूस में १०० के पीछे ४० हैं, लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश में १.०१ प्रतिशत हैं। यहां से ज्यादा बम्बई में हैं, मद्रास में हैं, पंजाब में हैं, बंगाल में हैं। हमारे यहां हर एक पुलिस कांस्टेबिल पर १.२ खर्च होता है जब कि मद्रास, बम्बई तथा दूसरे स्थानों में २.८ पर कैपिटा खर्च होता है। तो आप इसको देखिये, उनकी संख्या देखिये, बजट के अनुसार भी देखिये, रेवेन्यू और एक्सचेकर के अनुसार उस को देखिये तो हर जगह आप कमी पायेंगे। फिर भी हम उन की सहूलियतों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमने उन के अलाउन्स को बढ़ाया है, उन की तनख्वाह को बढ़ाया है। फिर भी हम समझते हैं कि अभी वह और कम है और हम उस को बढ़ाना चाहते हैं। हम उन को बढ़ाने के लिए आप से रकम मांगेंगे और फिर यह भी आप से सुनेंगे कि पुलिस का बजट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको करते जायेंगे। लेकिन उन के सुधार के नाम पर, पुलिस में अनुशासन बनाने के नाम पर अगर राजनीतिक दल के नेता उस में हस्तक्षेप करें तो मैं यह मुनासिब नहीं समझता। हम को ही नहीं आपको भी उसकी जरूरत पड़ेगी, सबको जरूरत पड़ेगी इस लिए इसकी कहीं सीमा अवश्य होनी चाहिए। इस लिए आवश्यकता है कि आप उनमें निष्ठा बनाये रखें, उन की शक्ति को बढ़ाये रखें और किसी प्रकार भी इस प्रकार की चेष्टा राजनीति के नाम पर न होने पाये कि किसी तरह का विभेद और मनमुटाव इस विभाग में पैदा हो।

हम चाहते हैं कि एसोसियेशन्स पुलिस के बनें, उनके बनने की इजाजत है, और बने हैं, लेकिन उसको राजनीतिक खिलवाड़ का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए

हमारे यादवेन्द्रदत्त दुबे जी यहां बैठे हुए हैं। इस देश की संस्कृति पर, इस देश के अतीत पर और इस देश के इतिहास पर वे गर्व करने का दावा करते हैं। कल एक बचपन की कहानी उन्होंने सुनायी और उसको कथा की संज्ञा प्रदान कर दी। मैं समझा कि कदाचित् रामायण की कोई कथा वे कहने वाले होंगे। उन्होंने बताया कि एक शख्स मलाई चाट जाता था उसके कारण दूसरा रक्खा वह भी खाने लगा . . .

श्री उपाध्यक्ष––यह कथा तो सदन के सब सदस्यों को मालूम ही है। माननीय मन्त्री जी उसके आगे कहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी––तीसरा आया तो वह सारी मलाई खाकर खुरचन मूंछों पर लगा गया। मैं हैरान था कि आखिर इसका मतलब क्या है। यह तो हो सकता है कि हमारी २०० वर्ष की गुलामी में हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे रईस और उमरा रहे हों, जिनके यहां के नौकर जो घर इत्यादि का प्रबन्ध करने वाले थे वह मलाई सचमुच चाट जाते थे। लेकिन आज हमारे देश में इस प्रकार की कहानी को कथा की संज्ञा देकर आप अगर यह सिद्ध करें कि सब के सब बेईमान ही भरे हुये हैं और सब चाट ही जायेंगे, उचित नहीं प्रतीत होता। खासकर उत्तर प्रदेश की वह भूमि है जिसने कई कर्णधारों को पैदा किया है हमारे देश की वह भूमि है जिसने गांधी और रवीन्द्र जैसे आदमियों को गुलामी के जमाने में पैदा किया है, यह वह भूमि है जिसने तुलसी और भूषण जैसे कवियों को पैदा किया है, यह वह भूमि है जहां शिवाजी और अकबर जैसे पैदा हुये, यह वह भूमि है जहां महारानी लक्ष्मी बाई और हजरत महल जैसी वीरांगनाएं पैदा हुईं, यह वह भूमि है जिसमें बुद्ध और महावीर जैसे महात्मा पैदा हुये आज से दो हजार वर्ष पहले। दो सौ वर्ष की गुलामी से हम अब छूटे हैं। आखिर हमको अपने देश के भविष्य के ऊपर, अपने देश की सद्वृत्तियों में, अपने देश के आदर्शों में और अपनी शक्तियों में कुछ भरोसा करने की आवश्यकता है या नहीं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां शल्यवाद न चलाइये, इस देश को अपनी अवस्था से डिगने मत दीजिये, अपनी निष्ठा से डिगने मत दीजिये, उसके भविष्य के ऊपर पूरा विश्वास कीजिये, नहीं तो स्टेट जड़ मूल से हिल जायगा। स्टेट और राष्ट्र को नैतिक बल का भरोसा होना चाहिये। "भवानीशंकरौ वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ"। श्रद्धा विश्वास नैतिक बल के ऊपर ही प्राप्त होता है। आज यह कहना कि सब जगह भ्रष्टाचार ही है, उचित नहीं है। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से हम इस जगह पर बैठ गये हैं, तो वे ऐसा कहते हैं और इस तरह से एक हाथ इधर से लगा देते हैं तो कभी एक हाथ उधर से लगा देते हैं। तो हमारे जितने भाई बन्धु हैं सबके लिये यह कहना कि सब के सब ऐसे ही हैं उचित नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के अन्दर विश्वास पैदा कीजिये कि वे अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहें तथा उसके अन्दर अपनी आस्था को बनाये रखें ताकि उसके तेज में कोई बाधा न हो। शल्य ने यही किया था कि वह कर्ण के रथ पर बैठ गया और कहने लगा कि तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे हो, तुम क्या लड़ सकते हो, तुम क्या लड़ सकते हो, तुम क्या लड़ सकते हो, इस तरह से वह बेचारा अर्जुन के हाथों मारा गया? इस तरह से तेज में बाधा पड़ गयी और राष्ट्र के अन्दर जनता की आस्था हिलती जायगी तो आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिये हमारी जो कमियां हैं उनकी तरफ आपको अवश्य ध्यान देना है और उनको दूर करने की चेष्टा करनी है। अब मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। तीन बज रहे हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं पहले ही खतम कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष––मैंने कोई आज्ञा नहीं दी थी, अगर आप [illegible] तो १२ मिनट तक अभी और बोल सकते हैं, अन्त के ३ मिनट आप मुझे दे दीजियेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, अब मुझे कुछ ज्यादा कहना भी नहीं है। जो मुझे कहना था मैं कह चुका। थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि अपराधों की वृद्धि की बात बहुत कही गयी। मैं चाहता हूं कि उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। अपराध सन् १९५६ में कुछ बढ़े हैं। यह मैंने कल स्वीकार किया था। इससे कोई घबड़ाने की या परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि मान्यवर, मैंने यह देखा कि सन् १९५२ से लेकर सन् १९५६ तक जो डकैतियां हुई वे इस प्रकार हैं—सन् १९५२ में ७९१, सन् ५३ में ८५६, सन् ५४ में ९०१, सन् ५५ में ८४४, सन् ५६ में ९०२ और सन् ५७ के आधे वर्ष में ४१६। आप देखेंगे कि करीब १०, २० के हेर फेर से किसी साल कम, किसी साल कुछ अधिक डकैतियां हुयीं। इसी तरह से मर्डर की बात है। सन् १९५२ में १५७२, सन् ५३ में १५१०, सन् ५४ में १,५९२ सन् ५५ में १,४४८, सन् ५६ में १,५९० और सन् ५७ के ७ महीने के अन्दर ६८९ मर्डर हुये। मैं समझता हूं कि उसकी मिकदार एक सी रही है। कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। कोई ऐसी असाधारण स्थिति नहीं पैदा हो गयी है, जिससे कोई बड़ी घबड़ाहट की बात हो। यह सही है कि एक भी डकैती, एक भी मर्डर, एक भी राबरी, एक भी चोरी अगर इस प्रदेश में हो और इससे एक भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी शासन को लेनी ही चाहिये, जिसने अपने ऊपर यह भार ले रखा है कि वह जनता के जान व माल की रक्षा करे। उस जिम्मेदारी से हम अपने को बचाना नहीं चाहते, टीका टिप्पणी भी हो, वह उचित है। यह क्यों हो, क्योंकि यह हमारा काम है, हमारे सुपुर्द जनता ने यह जिम्मेदारी की है वह हम पूरा करें। लेकिन जो अपराध हुये हैं वह कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो बड़ी असाधारण हो।

पालीवाल जी ने कहा था कि मैंने टोपी देना छोड़ दिया है, मैं क्या कहूं मुझे तो पूरी याद नहीं है जब से मुझे होश है कि मैंने कभी टोपी पहनी हो। ५३ वर्ष की मेरी आयु आ गई, बचपन में बाप महतारी ने भले ही पहनाई हो लेकिन उसकी मुझे याद नहीं। लेकिन मैं उनको यह विश्वास अवश्य दिलाऊंगा कि हम प्राण रहते उनकी टोपी की रक्षा अवश्य करेंगे और उसकी रक्षा किये जायेंगे और उसकी इज्जत जाने नहीं देंगे जहां तक हमसे हो सकेगा। जो भी भार जनता ने उसे दिया है वह सरकार करती है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अपराध होते हैं उनको रोकने की चेष्टा हम करेंगे, लेकिन हमारी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, कतिपय और कारण भी हैं और उनमें से ला डिफायन्स की मनोवृत्ति भी एक कारण है। आप चाहे उसे भले ही स्वीकार न करें, जब कहा जाता है कि यह तोड़ देंगे, वह हटा देंगे तो इसका एक असर होता है। इसलिये जब तक लोकतंत्र पच नहीं जाय इन चीजों का असर होता है, हठ-धर्मी की बातें अगर जिम्मेदार लोगों की तरफ से चलती हैं तो इससे इस तरह की मनोवृत्ति फैल सकती है और वह भी अपराध बढ़ने का कारण है। पुलिस में आदमी कम हैं यह भी उसका कारण है और जैसा कि श्री गोविंद सहाय जी ने कहा कि लड़ाई के जमाने के बाद एक ऐसी अवस्था आती है कि क्राइम बढ़ जाते हैं, जैसे-जैसे यूनिवर्सल एजूकेशन बढ़ती है वैसे-वैसे नव-युवकों में व्यापक रूप से अपराधों की मनोवृत्ति में भी विस्तार होता है। उन्होंने आंकड़े दिये, लेकिन वे मेरे पास इस समय नहीं हैं। फिर भी हमारे यह कोई ऐसी असाधारण स्थिति नहीं है, परन्तु यह हमारा कर्त्तव्य है कि जो कुछ भी अपराध होते हैं उनको हम रोकते रहें उनसे लड़ते रहें।

मैं प्रसंशा करना नहीं चाहता, लेकिन दर्जनों डकैतों के गैंग्ज को हमारी पुलिस ने विघटित किया है। रूसे मारा गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, बलिया, मुरादाबाद और बस्ती में सब जगह डकैतों के गैंग्ज का मुकाबिला हुआ, सैकड़ों मारे गये, हजारों को गिरफ्तार किया गया और उनके केसेज चल रहे हैं, बहुत से अभी बाकी हैं, जिनके लिये हमारी पुलिस सतर्क है। लहरी जी ने वाह का जिक्र किया, उन्होंने तो मुझे डांट दिया, लेकिन मैं उनको बताऊं कि वहां की स्थिति भी अब पिछले १७–१८ मास से सुधरी है। विलेज डिफेंस सोसायटीज जिन की तादाद करीब ९० हजार से ऊपर है वह

बनी हैं, यह तो मैं नहीं कहता कि वह सब पूरी तरह से काम कर रही हैं, बहुत सी केवल कागज पर ही अभी है, लेकिन उनमें से बहुत सी ऐक्टिव भी हैं और पचासों आदमी बचाव में अपनी जान दे चुके हैं। सन् १९५६ में २४४ मौकों पर डकैतों से उनका मुकाबला हुआ, सन् १९५७ में १३२ बार डकैतों से मुकाबिला हुआ, ८७ को गिरफ्तार किया, सन् १९५७ में ३७ को पकड़ा और २५ डकैतों को मार डाला, सन् १९५७ में २३५ गांव वाले घायल हुये और ७० मारे गये। तो इस तरह से हमारी विलेज डिफेंस सोसाइटीज बन रही हैं और काम कर रही हैं, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं, उनको लाइसेंस दिये जाते हैं, उनके राइफल क्लब बनाये गये हैं, वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये आंकड़े आप के सम्मुख हैं जो चोरों और डकैतों से लोग लड़े हैं और उनका मुकाबिला किया है, यह आपके सामने हैं। जहां कहीं हमारी कमजोरी और बुराई हो मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि किसी ऐसे प्रदेश में कोई शासन चलाने की इच्छा नहीं हो सकती जिस प्रदेश के लोगों को अपनी जान और माल, और शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में एक इत्मीनान न हो। कोई सरकार कभी इस बात को गवारा नहीं कर सकती कि वह शांति और व्यवस्था के मामले में किसी तरह की गफलत करे। सारे जनता के विकास की, सुख की साधिका शांति और व्यवस्था की स्थापना है। भले ही बंटाधार होता हो या न होता हो, लेकिन शांति और व्यवस्था की स्थापना होने के कारण आदमी को इत्मीनान होता है। दूसरी चीज उसकी प्रवृत्ति होती है विकास, रचना तथा अपने दूसरे उत्थान के कार्यों की ओर। यह एक मौलिक बात है, जिसकी रक्षा करना आवश्यक है।

मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक यह मुहकमा है, इस मुहकमे के कार्यों के प्रति आप जो चाहें टीका-टिप्पणी करें, जो मार्ग उचित समझें उस मार्ग पर उसे चलाने की चेष्टा की जाय, लेकिन मैं फिर भी यह निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी है जिस पर इस प्रदेश की जनता गर्व कर सकती है, उसके अनुशासन के कारण, उसकी कर्त्तव्यपरायणता के कारण, हाथ हिलाने से मैं मानने वाला नहीं हूं। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह तो अपनी-अपनी राय है। यदि आप अपनी राय रखने के अधिकारी हैं तो मुझे भी आज्ञा दें कि मैं भी अपनी राय रखूं। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की पुलिस ने पिछले दस वर्षों में जिस तरह से काम किया है वह काम ऐसा है जिस पर इस प्रदेश की जनता गर्व कर सकती है। यदि इसमें कुछ दोष हो तो उसकी प्रतिहारिता और उसके निराकरण का उत्तरदायित्व हम सब के ऊपर है और सबको मिल-जुल करके उसे निराकृत करने की चेष्टा करनी चाहिये।

हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी ने मुकदमों के सम्बन्ध में कहा कि पहले ८० फीसदी सजा होती थी, अंग्रेजों के जमाने में जब कि कलेक्टर के हुक्म से डिप्टी साहबान फैसला किया करते थे। अब जब जुडीशियरी स्वतंत्र है और ६५ प्रतिशत हुये .....।

श्री त्रिलोकी सिंह—फाल्स प्रासीक्यूशन करते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई इस तरह की बात नहीं है। व्यर्थ का लांछन है। अब जब स्वतंत्रता प्राप्त है, अदालतों से छूटते हैं। यह मांग की जाती है कि कानूनों में परिवर्तन करो, क्योंकि कि कभी कभी दोषी छूट जाते हैं। हम तो इस सिद्धांत पर चल रहे हैं कि चाहे दोषी छूट जाय, लेकिन निर्दोष को सजा न हो। अगर कोई छूट जाता है तो उसका मुकाबिला अंग्रेजों के जमाने से किया जाता है जब कि अदालतें हुक्मनामे से फैसला किया करती थीं। पुलिस और कलेक्टर और ऊपरी हुक्म से फैसला हो जाता था। एक केस का जिक्र उन्होंने कर दिया जो सबजुडिस है। उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—वह सबजुडिस नहीं है, आपको गलत इत्तला है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं कह रहा हूं कि मुकदमा चल रहा है। पुलिस के सब-इंस्पेक्टर के ऊपर केस चल रहा है।

श्री त्रिलोकी सिंह—जो लोग छोड़े गये हैं उनके बारे में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्होंने स्टेशन आफिसर के ऊपर मुकदमा चला रखा है।

श्री त्रिलोकी सिंह—जो आदमी .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं इस तरह से आपस में एक दूसरे को जवाब देना ठीक नहीं जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं निराधार है और आप कहें कि साधार है तो इसका अन्त कहां होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्हीं के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं जिनके ऊपर जुर्म आयद था। मान्यवर, मैं उस सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता, क्योंकि केस सबजुडिस है, लेकिन हमारे भाई त्रिलोकी सिंह अगर जानना और देखना चाहेंगे तो मैं उनके कमरे में रिपोर्ट दिखला दूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—I will wait for that report.

श्री कमलापति त्रिपाठी—अन्त में मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, समय हो चुका है। आप कृपा करके हमारे सहायक हों, अगर हमारी कहीं कमी है तो हमारा और आप का सब का मिल-जुल कर काम है, यदि उसे दूर करने की आवश्यकता है तो हम को और आपको सब को मिल जुल कर दूर करना है। मैं वस्तुतः चाहता हूं आपका सहयोग और सहायता, इस सदन में और सदन के बाहर जिस प्रकार मिल सकती हो, अर्थात् आप मेरा पथ-प्रदर्शन करें। मैं अपने को एक्सपर्ट प्रशासक नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि मैं सर्वज्ञ और बड़ा बुद्धिशील हूं। आप सब को बहुत अनुभव और ज्ञान भी होगा। जनता की वृत्तियों और रुचियों का भी ज्ञान होगा। आप सब हमारा पथ-प्रदर्शन करें और जिस प्रकार प्रदेश का हित हो सकता हो, यहां की शांति व्यवस्था की रक्षा हो सकती हो, इस प्रदेश की जनता सुख से रह सके, इस प्रदेश की सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकती हो, वह मार्ग दर्शन करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी शक्ति भर, बुद्धि भर, अपनी समस्त भावना से मैं आपके प्रदर्शित मार्ग पर चलने की चेष्टा करूंगा, जिसमें कि मुझ से भी इस प्रदेश की कुछ सेवा बन सके।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस—लेखा शीर्षक : २९ की धनराशि में १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस—लेखा शीर्षक: २९—पुलिस के अन्तर्गत ९,२४,७८,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—सूचना संचालन कार्यालय

श्री उपाध्यक्ष—अनुदान संख्या ३० के लिये केवल डेढ़ घंटे का समय है। इसलिये मैं मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से कहूंगा कि ५, ५ मिनट भाषण आम तौर पर हों और कटौती के प्रस्तावकर्ता ८ मिनट लें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि कटौती के प्रस्तावकर्ता को १० मिनट का समय दे दिया जाय बाकी को ७, ७ मिनट का, क्योंकि कम लोग ही बोलेंगे, ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—तो यह रहा कि कटौती के प्रस्तावकर्ता को १० मिनट का समय और बाकी सदस्यों को ७ मिनट का ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरी गुजारिश है कि आप जिसको चाहें १० मिनट का समय दे दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—सूचना संचालन कार्यालय—लेखा शीर्षक : ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत ४७,४६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय। मान्यवर, जैसा कि अभी आपने सुझाव दिया कि थोड़ा ही समय है तो इस पर अधिक समय आरम्भ में ही नहीं लूंगा । बाद में कोई बात स्पष्ट करने की हुई तो उसे निवेदन करने की आज्ञा चाहूंगा । केवल इस समय इतना ही कहना है कि अब तक सूचना विभाग सामान्य प्रशासन के बजट में ही सम्मिलित रहा करता था । गत वर्ष विरोधी दलों की यह मांग थी कि इस अनुदान को अलग से स्वतंत्र रूप में पेश किया जाय । तो इस बार यह अनुदान आपकी आज्ञा से सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है ।

जहां तक सूचना विभाग का सम्बन्ध है मैं उसकी कार्यवाही के ऊपर ५ मिनट में केवल प्रकाश डाल देना चाहता हूं कि यह विभाग कदाचित् बहुत पुराना है, उस जमाने से है जब अंग्रेजी राज्य यहां कायम था, विशेष करके लड़ाई के जमाने में इस विभाग से अंग्रेजी सरकार कुछ काम भी लिया करती थी । लेकिन यह एक छोटा सा विभाग था बिलकुल सरकारी विभाग, जो केवल अंग्रेजी सरकार की इच्छाओं के अनुसार थोड़ा बहुत काम किया करता था। देश में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि देश की जनता का सहयोग और उसकी सहायता लोकतंत्रात्मक सरकार के लिये आवश्यक है । लोकतंत्र के युग में और जहां लोकतंत्रात्मक समाज स्थापित हो वहां जनता से और सरकार से और जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके प्रहरी होते हैं, उनके अधिकारों के जो रक्षक होते हैं, पत्र, समाचार-पत्र उनसे एक घनिष्ट सम्बन्ध बनाये रखने के लिये एक कड़ी की आवश्यकता होती है । और साथ-साथ हमारे देश व प्रदेश का जैसा कि युग है, एक रचना का काल है, एक ऐसा काल है जब हम अपने प्रदेश के जीवन की एक नई रूपरेखा अंकित कर रहे हैं, जब हमारे सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का एक व्यूह निर्मित हो रहा है, ऐसे समय जब कि पराधीनता के पाश से छूटने के बाद एक नई दिशा की ओर अविगमन हो रहा है ऐसे समय यह तो आवश्यक था ही कि सरकार के और जनता के बीच में सम्बन्ध स्थापित हो, लेकिन साथ-साथ जनसमाज की उन्नति और विकास के लिये जो कार्य होते हैं उनकी सूचना भी उन्हें मिले और उनके हृदय में यह भावना भी उत्पन्न की जाय कि आज उन्हें अपने भाग्य का निर्माण करना है, अपने पैरों पर खड़े हो कर और अपनी रचना में उन्हें योगदान करना है ।

हमारे सूचना विभाग ने पिछले ५,६ वर्षों से इस काम को उठाया है । आज अब तक के उसके कार्यों के विषय में विस्तार से मैं इस समय कुछ कहना नहीं चाहता । हमारा प्रकाशन ब्यूरो भी है, समाचार सूचना ब्यूरो भी है और उसके साथ ही साथ जिले के स्तर पर हमारे सूचना सम्बन्धी अधिकारी भी हैं । एक ही एक हैं, परन्तु हैं जिनका कार्य जनसमाज में जो भी आज रचना के और विकास के, योजन के कार्य हो रहे हैं उनका समाचार पहुंचाना और सूचना देना है और साथ ही साथ उनका सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करना है । आपके समाचार-पत्रों में और सरकार में एक निकट और घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित रखना और उनसे जो कुछ रचना के काम में सहायता मिल सकती हो वह सहायता प्राप्त करना और उनकी रुचि और प्रतिक्रिया जानना इस दृष्टि से इस लोकतंत्रात्मक युग में पत्रों की स्वतंत्रता और उनके विकास के लिये सरकार क्या कर सकती है इस प्रकार की एक कड़ी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बनाये रखना इस विभाग का विशेष रूप से काम रहा है और इस दिशा में पिछले ५-६ सालों से उसने कार्य किया है, जिसका थोड़ा बहुत विवरण उस पत्रिका में भी आपको मिल जायगा, जो आपके सम्मुख वितरित की गई है। यह जो अनुदान मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है यह गत वर्ष से इस वर्ष कम है। गत वर्ष वह ५० लाख का अनुदान था, इस वर्ष उसमें कुछ कमी की गई है और पिछले आंकड़ों से आप उसका मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि दो तीन वर्ष से उसमें बराबर कुछ न कुछ कमी हम करते गये हैं और काम हमारा बढ़ता गया है। कई दिशाओं में काम हमको करना है और कई दिशाओं में काम छेड़ा भी है। किसान मेले भी लगाते हैं, प्रदर्शनियां भी करते हैं, फिल्म भी बनाते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। हमारे यहां प्रकाशन भी होता है और समाचार-पत्रों से भी हम सम्बन्ध स्थापित रखते हैं। ये सारे कार्य उस दिशा में हो रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे कि गत वर्ष से इस वर्ष बजट की रकम में कुछ कमी की गयी है और मैं उस अनुदान को, आपकी आज्ञा से उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन बिना किसी कटौती के कम से कम इस छोटी सी रकम को मंजूर करेगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या ३० जो सूचना और प्रकाशन विभाग से सम्बन्धित है, उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने का लक्ष्य विवाद करना और सुझाव देना है। सूचना और प्रचार विभाग के कार्यों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह विभाग वास्तव में सरकार की घोषित नीति को नहीं वरन उसके वास्तविक चरित्र को हमारे सामने रखने का विभाग है। श्रीमन्, प्रचार शब्द का जहां तक तात्पर्य है अंग्रेजी में इसे प्रोपेगेण्डा कहते हैं। प्राचीन काल में प्रोपेगेण्डा प्रोपोगेयर के अर्थ में लिया जाता था। "प्रोपोगेयर" का वैज्ञानिक अर्थ होता है पौधों का एक विशेष प्रकार के जार के अन्दर रासायनिक तत्वों के साथ रखना जिससे उनकी वृद्धि शीघ्र सम्पन्न हो सके। आज वही प्रचार, जिसके माध्यम से हमारे कृषि मनीषियों ने इतना ऊंचा आदर्श रखा "कृणवन्तो विश्वमार्यम्"---सारे विश्व को आर्य बनाने की कल्पना को मूर्तरूप देने का प्रयत्न किया, वही प्रचार कुछ हाथों में पड़ कर भ्रष्ट अर्थ में प्रयोग होने लगा है।

सबसे पहले आधुनिक प्रचारक का जहां तक सम्बन्ध है, यदि मैं भूलता नहीं हूं तो सन् १६६२ में, अरबन अष्टम नामक एक पोप ने धार्मिक काम में इसका प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद नात्सी जमाने में डा० गोबिल्स ने इसको बहुत ही भ्रष्टता प्रदान की। उसने कहा कि "बार बार दोहराने से झूठ भी सच हो जाया करता है!" जब मैं इस प्रचार विभाग के कार्यों की समीक्षा करता हूं, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आज भी हमारी सरकार जो यह दावा करती है कि हम जनतंत्र को विकसित करना चाहते हैं, समाजवादी समाज के निर्माण के लिये आगे जा रहे हैं, यह बिलकुल असत्य है और सरकार ऐसा कार्य कर रही है जिसका परिणाम स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होगा और न ऐसा होगा जिससे स्वस्थ वातावरण पैदा हो सके। वरन् ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिसमें जो वास्तविक विचार है, जीवन के जो ऊंचे मूल्य हैं उनके प्रति जन-मन में एक आस्था के स्थान पर घृणा पैदा होगी, एक ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा होगा, एक ऐसी उमस पैदा होगी, जिसको हम जनमन के लिये स्वस्थ वातावरण नहीं कह सकते हैं।

जब से मैं एक सदस्य की हैसियत से लखनऊ में आया हूं, आये दिन क्या कहूं, सुबह से शाम तक इस विभाग के कारनामों की चर्चा सुना करता हूं। इस विभाग के सब से अधिक अनिष्पक्ष होने के उदाहरणस्वरूप यह पुस्तिका है, जो हमारे सामने रखी गयी है। उसमें

कहा गया है कि हम जनता के मन में अपने शासन के प्रति, अपने कार्यों के प्रति आस्था पैदा करना चाहते हैं, प्रेरणा पैदा करना चाहते हैं। उसमें आगे चलकर एक जगह कहा गया है, कि हम यह जानते हैं कि कुछ समाचार-पत्र ऐसे भी समाचार छाप दिया करते हैं जिनसे जनता के मन में बुरे भाव पैदा हो सकते हैं, ऐसे भाव पैदा हो सकते हैं जो भाव आज की सरकार के विपरीत हों, तो उन पर नियंत्रण करना भी हमारा धर्म हो जाता है। बड़े मीठे शब्दों में यह बात कही गयी है। लेकिन यह कितनी जहरीली बात है। यह तो सरकार के उस रवैये की तरफ इशारा करती है जिसकी वजह से हमारे संविधान में विचार स्वातंत्र्य की, लेखन स्वातंत्र्य की जो नीति है, उसके अनुसार हमारा मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया है, उसी मौलिक अधिकार पर एक प्रकार से यह हमला करने का अप्राच्छन्न, एक छिपा हुआ प्रयास हमको मालूम होता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस पुस्तिका में पांचवें पृष्ठ का जो अंतिम पैराग्राफ है, उधर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "वह जनता को गुमराह करने वाले समाचारों से बचाये। स्पष्ट है कि ऐसे समाचारों का परिणाम जन-जीवन और जनतंत्र दोनों के लिए घातक होता है और ऐसा विषाक्त वातावरण उत्पन्न हो जाता है जिसमें अव्यवस्था तथा अशान्ति पनपने के लिए व्यापक क्षेत्र खुल जाता है। अतएव ऐसे दूषित समाचारों पर नियंत्रण न रखना आत्महनन से भी बढ़ कर सिद्ध हो सकता है। सूचना विभाग ऐसे भ्रामक समाचारों तथा सूचनाओं पर नियंत्रण रखने का भी प्रयास करता है।"

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिन प्रयोगों की अवस्था में, उनके संक्रान्ति काल में उनके कुछ दोष भी होते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए स्वीकार किया जाता है, इसलिए संवरण करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य एक महान होता है। जिस समय हमने विचार स्वातंत्र्य की बात को अपने संविधान में रखा, जिस समय हमने समाचार-पत्रों को स्वाधीनता दी, उस समय यह संभावना थी कि कुछ ऐसे समाचार-पत्र भी छप सकते हैं जिनसे जनता में कोई बुरी भावना पैदा हो, लेकिन इस खतरे को इसलिए बरदाश्त किया गया कि हम अपने देश में एक नयी परम्परा, एक नई जनतंत्रीय अवस्था, पैदा करना चाहते हैं। लेकिन एक वाक्य में अगर कोई मुझसे पूछे कि सही माने में यह कैसा विभाग है तो यह वह विभाग है जो शासनारूढ़ दल के लिए लगातार ५ साल तक इस प्रकार का प्रयास करता है कि वह शासनारूढ़ दल पुनः इस सरकार के ऊपर कब्जा कर सके, इसके सारे कार्य ऐसे होते हैं कि जिससे जो पार्टी इन पावर है वह फिर से शासनतंत्र के ऊपर कब्जा कर सके। इसका पहला उदाहरण मैं इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसी जनरल इलेक्शन के जमाने में प्रत्येक जिले के संबंध में छोटी-छोटी पुस्तिकाएं छापी गई, उनको मैंने ध्यान से पढ़ा है। एक पुस्तिका इलाहाबाद के बारे में भी छापी गई है, जिसमें एक योजना थी; उसमें लिखा है एक जगह कि "यह वह जिला है जिससे हमारे प्रधान मंत्री जी उम्मीदवार हुआ करते हैं।" मैं प्रधान मंत्री जी को बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूं और उनको संसार के महापुरुषों में से मानता हूं। लेकिन इस प्रकार का प्रयास जनतंत्र के लिये कहां तक शोभनीय है, इसको माननीय मंत्री जी स्वयं बतलायेंगे।

इस विभाग के अन्दर एक गुप्त विभाग भी है। उसका काम क्या है? उसके संबंध में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को भी पता नहीं होगा। मुझे सबसे पहले इसका परिचय उस समय मिला जब कि मैं सेल्स टैक्स मूवमेंट में जेल गया। "इंस्पायर्ड पब्लीसिटी" से आप परिचित होंगे। कभी-कभी तो यह अपने संगठन के फैसले के विपरीत लेख लिखवाता है, लैटर्स टू दि एडीटर लिखवाता है और ऐसा प्रयास किया करता है कि जो सरकारी नीति है उसको बल मिल सके। इस विभाग के द्वारा ऐसे कार्य किये गये हैं कि जब मैं उधर ध्यान देता हूं तो मेरा शिर मारे शर्म के नीचे झुक जाता है। हम लोग अधिकारियों के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लेकिन इसके द्वारा मुझे मालूम है कि दिल्ली और लखनऊ

[श्री रामायण राय]

के बड़े-बड़े मंत्रियों को दैनिक जीवन में सहायता पहुंचाने के काम किये गये हैं और शादी ब्याहों में ही नहीं बल्कि उनके मनोरंजन का भी प्रयास किया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो विभाग प्रचार का काम करता है और प्रचार एक बड़ा पवित्र शब्द है उसका काम कितना महत्वपूर्ण है ; इस विभाग में जब ऐसी बाते होती हैं तो बड़ा दुख होता है और यह कितनी बुरी बात है !

एक बात जरूर है जिसके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी और इस विभाग के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। इस विभाग ने उदारता से या किसी भी प्रकार से एक प्रेस क्लब खोल रखा है। लेकिन इसकी भी क्या हालत है, खंडहर मात्र है। मैं भूलता नहीं हूं तो हमारे मुख्य मंत्री महोदय इस क्लब के संरक्षक हैं। इस विभाग का क्या हाल बतलाऊं ! इसके जो संचालक हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इस विभाग का संचालक वह व्यक्ति होना चाहिये जो जनजीवन को जानता हो, हमारी सांस्कृतिक वरासत को जानता हो।

श्री उपाध्यक्ष---आप व्यक्तिगत बातें न करें।

श्री रामायण राय---मैं आदर्श रख रहा हूं, मैं किसी विशेष के लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---बहरहाल आप आगे न जाइये।

श्री रामायण राय---अंत में मैं निवेदन कर रहा हूं कि कटौती का जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है वह केवल बहस के लिये नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष---लाल रोशनी बंद हो गई, आप इधर देख नहीं रहे हैं। आप बोलते चले जा रहे हैं। आप अब कृपया बैठिये।

श्री रामायण राय---मैं अपील कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---बिल्कुल नहीं, मैं आप से ही कह रहा हूं।

(कुछ ठहर कर)

माननीय शुक्ल जी, आपके संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि जब से आप पगड़ी लगाकर नहीं आते हैं तब से आपका भाषण कुछ जंचता नहीं। (हंसी)

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पगड़ी पर लोग आशिक हैं, आइन्दा मैं जरूर उसको बांध कर आया करूंगा। वक्त कम है इसलिये थोड़ी देर में मैं अपनी बात अर्ज कर लूं। इस अनुदान के संबंध में हमारे मित्र ने कटमोशन पेश किया और निहायत खूबी से अनुदान का विरोध किया। मैंने उसे सुना है लेकिन उसके जवाब में डिटेल में जाने में हमारा वक्त ही खत्म हो जायगा इसलिये मैं बिलकुल मतलब की बात कहूंगा जो इतने टाइम में समाप्त हो जाय। आपको शिकायत है और हमें भी शिकायत है। इस विभाग से न सिर्फ विरोधियों को ही शिकायत है बल्कि एक आदमी मैं भी हूं जिसको शिकायत है और मेरा खयाल है कि आप दाद देंगे कि मैं आपका साथ दे रहा हूं। फर्क यह है कि आपकी कुछ शिकायत है और हमें कुछ शिकायत है, लेकिन शिकायत दोनों को है। मैं अर्ज करता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो प्रजातंत्र है न। यहां वोट से सरकार बनती है और जैसे बन्दूक के साथ फौज की जरूरत है, वैसे ही प्रचार की भी जरूरत है। मेरी शिकायत है कि हमारी सरकार इस तरफ कम ध्यान दे रही है। लोग कहते हैं कि ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि कम पैसा लगाया जा रहा है। सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा त्याग किया है, ऐसे लोग ह कि जिन्होंने अपनी जान पर खेला है, खयाल नहीं था कि अपनी आंखों से स्वराज्य देख लेंगे। खयाल यह था कि आजादी अगर नहीं मिलेगी तो कम से कम अपनी जान दे सकते हैं, बाद के लोग स्वराज्य देख लेगें। लेकिन हम लोगों ने मुफ्त ही में स्वराज्य देख लिया। यही क्या कम है कि जान बची लाखों पाये! तो ऐसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं जिनकी ईमानदारी, पांडित्य और योग्यता में कोई शुबहा नहीं है। फिर भी, पब्लिक नाराज होती जा रही है, आखिर यह बात क्या है। सब अच्छे, काबिल, होशियार, त्यागी, लेकिन इन्टेलिजेन्शिया हमारे खिलाफ जा रही है, लड़के हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारे फाटक के सामने भूख हड़ताल हो रही है। क्या बात है कि विरोधी लोग पहले थोड़े से थे मगर इस बार इतने हो गये?

श्री उपाध्यक्ष--आपका मतलब यह है कि प्रचार ठीक नहीं हो रहा है। (हंसी)

श्री सीताराम शुक्ल--यही नहीं, माननीय मंत्री जी की वजह से भी भगवान नाराज हैं--

"विद्यया वपुसा वाचा वस्त्रेण विभवेन च।"

जब किसी आदमी में ये पांच चीजें--विद्या, परसनालिटी, वाणी, वस्त्र और धन--होती हैं तो उसको सफलता मिला करती है। भगवान की कृपा से माननीय मंत्री जी के पास ये सारी चीजें हैं। लोग शिकायत करते हैं कि परमात्मा एक आदमी में बहुत से गुण दे देता है और बहुतों को कुछ नहीं देता। लेकिन इनमें ये सारी बातें मौजूद हैं फिर भी आखिर यह शिकायत बढ़ती क्यों जा रही है? कहा जा सकता है कि कांग्रेस इन्तजाम करे। लेकिन सरकार तो सबकी है। इसका टैक्स सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जनसंघी, हिन्दू महासभाइस्ट, सभी देते हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस सरकार खराब है, सरकारी कर्मचारी करप्ट हैं, हर कदम पर उसकी गलतियां होती हैं, देश भर में इसका प्रोपेगैंडा हो और इसका जवाब कौन दे? कांग्रेस कमेटी। आखिर कांग्रेस के पास कितना पैसा है, किस जिले में उसके कितने वर्कर्स हैं, इसका हिसाब भी तो जोड़ियेगा। गलत अन्दाजा न लगाइये, सही अन्दाजा लगाइये। एक तरफ तो हमारे दोस्त कहते हैं कि सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिये और हमारे कांग्रेसी दोस्त भी यही कहते हैं, लेकिन सन् ३६–३७ की बात है कि जब कांग्रेसी मिनिस्ट्री आयी और मुस्लिम लीग का बहुत जोर से प्रोपेगैंडा हुआ तो हम लोगों ने कहा कि हमें मौका दीजिये काम करने का। तो कहा यह गया कि सरकार क्यों इसमें पड़े। उसके न पड़ने का नतीजा यह हुआ कि मुल्क बंट के रहा। मैं अर्ज करता हूं कि उपेक्षा का नतीजा खतरनाक हो सकता है। इसलिये इस पर विचार करना होगा कि कैसे जबाव दिया जाय। इस विभाग में जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको रहने दिया जाय, लेकिन शिकायत मेरी यह है कि सिफारिशों से कर्मचारी मुकर्रर होते हैं। जब उनको मुकर्रर किया जाता है तो देखा जाता है कि चिट्ठी किसकी है, इसकी दोस्ती किससे है? एक जिले में एक इन्फार्मेशन आफिसर हैं जो हकलाते हैं। जिनका काम व्यूज चेंज करना है उन स्थानों पर हकलाने वाले हैं, किसी की चिट्ठी पहुंच गई और वे मुकर्रर हो गये। तो अर्ज करता हूं कि इस तरह से नुकसान हो जायगा। फिर से देखिये, अगर फिट नहीं है तो उनको कोई दूसरा काम दे दीजिये, क्लर्क बना दीजिये और विभाग में भेज दीजिये, लेकिन प्रचारक की जगह इनको मत दे दीजिये। धोखेधड़ी से लीडरी मिल सकती है, सिफारिशों से कुर्सियां ली जा सकती हैं लेकिन सिफारिश से योग्यता नहीं पैदा की जा सकती। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं इस विभाग को तो फिर से इनकी जांच कीजिये। बीस साल के लड़के नकल करके पास होते जाते हैं और नौकरियां पा रहे हैं। मैं अफसरान से कहूंगा कि वे उनका फिर से इम्तहान ले कर देखें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं शुक्ल जी से कहूंगा कि कोई माननीय सदस्य सदन के किसी बाहर के व्यक्ति को सम्बोधित नहीं कर सकते, सिर्फ चेयर को ही सम्बोधित करना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल--आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है वह मेरी गलती थी, मुझे आप से ही अर्ज करना चाहिये था। इसलिये मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं।

मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस को पैसा नहीं मिलता। पैसा विरोध में बैठे हुये भाइयों को मिलता है जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। कोई नौकरी के लिये आया, नौकरी नहीं मिली, वह खिलाफ हो गया, किसी का काम नहीं हुआ वह मुखालिफ बेंचों पर जाकर बैठ गया। हमारे दोस्त कहते हैं कि सारी गलती सरकार की ही है और जब तक यह चेंज नहीं होती, शिकायतें दूर नहीं होतीं। (एक सदस्य..... कोई कविता आपने नहीं सुनाई।) आपको मालूम होना चाहिये कि यह कोई मशायरा नहीं है, कवि सम्मेलन नहीं, मुशायरा करना हो तो अपने यहां बुलाइये तो फिर संस्कृत, हिन्दी, उर्दू जो कुछ सुनना हो सुनिये। यह आदरणीय सदन है, इसमें मुशायरा नहीं हो रहा है।

मैं गवर्नमेंट से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आनरेबिल मिनिस्टर साहब जो चन्दा मांगते हैं उससे बड़ी दिक्कत पड़ती है। एलेक्शन के लिये आप पैसा मांगते हैं तो वह पैसा इसलिये नहीं देता है कि यह फलां पार्टी का है, बल्कि इसलिये देते हैं कि मिनिस्टर साहब मांग रहे हैं और उम्मीद करता है कि आज चंदा दे रहे हैं इनसे फलां काम लेंगे। चन्दा देने वाला काम लेकर आता है और आप उसका काम नहीं करते तो यह आपकी कृतघ्नता होती है। अगर आपको उसने एक लाख दिया है तो वह १० लाख का काम लेना चाहता है। पब्लिक का उससे नुकसान होता है। सरकार एलेक्शन के सिलसिले में अपनी पार्टी को मदद दे इससे तो नुकसान उतना नहीं होता जितना चन्दा मांगने से नुकसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव हो तो चन्दा मांगना बन्द कीजिये।

सूचना विभाग पर आपको उतना ही पैसा खर्च भी करना पड़ेगा जितना आप पुलिस पर करते हैं। बन्दूक चलाने की ट्रेनिंग ६ महीने में होती है तो प्रचार की ट्रेनिंग भी काफी समय लेगी। आप आज देखें कि ५ सौ रुपये पाने वाले कर्मचारी भी हड़ताल की धमकियां देते हैं तो इस तरफ भी ध्यान दीजिये और इनमें प्रचार कीजिये। प्रचार की ही बदौलत कांग्रेस ने लोगों की वकालतें छुड़वा दीं, लोगों ने अपनी शय्याओं को ठोकरें मारीं और देश के काम में प्राणपण से जुट गये। तो "कहां लगि सहिय रहिय मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे।" प्रचार कीजिये, प्रचार की ओर ध्यान दीजिये और मौज कीजिये।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहने के पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मैं प्रयास करूंगा कि, श्रीमन्, की आज्ञानुसार समय के अन्दर अपनी बात समाप्त कर दूं, परन्तु यदि कुछ थोड़ी सी बात रह जाय तो, श्रीमन्, से आशा रखूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि थोड़ा समय मुझे और देने की कृपा करेंगे। मैं, श्रीमन्, आज तो कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और कुछ कहने के पहले जो, श्रीमन्, थोड़ा सा सदन का मनोविनोद हुआ माननीय पुलिस मंत्री के गंभीर भाषण के बाद, उसके लिये मैं अपने माननीय मित्र का बड़ा आभारी हूं।

श्रीमन्, सूचना एक ऐसा विषय है कि यह सूचना कहां रहती है और कहां यह राज्य की ओट में पार्टी का प्रचार बन जाती है, यह डिवाडिंग लाइन बड़ी पतली होती है। परन्तु, श्रीमन्, इस डिवाडिंग लाइन के आधार पर ही किस प्रकार की राज्य रचना या समाज रचना होती है उसकी भी व्याख्या हुआ करती है। किसी भी गणतंत्र राज्य के अंदर हर सरकार को अपने कार्य की सूचना देने का अधिकार है, सत्य है श्रीमन्। परन्तु सूचना का रूप जब प्रचार का रूप होने लगता है और प्रचार के साथ-साथ जैसा कि, श्रीमन्, अंग्रेजी में कहते हैं फीडिंग न्यूज का स्वरूप होने लगता है, तो, श्रीमन्, एक खतरे की स्थिति हो जाती है,

क्योंकि ऐसी रूपरेखा हमेशा शुरू में टोटेलिटेरियन कंट्रीज में हुआ करती है। इसी विधान सभा में मैं देखता हूं कि भिन्न-भिन्न समाचार-पत्रों के करस्पांडेंट्स उपस्थित हैं, होना चाहिये। आखिर समाज के अन्दर जो भी घटना हो, जो भी उसके विचार हों, वह सारे लोगों तक पहुंचने चाहिये, परन्तु, श्रीमन्, हमारा सूचना विभाग इसके बावजूद भी अपने प्रेस नोट्स ईश्यु किया करता है, अखबारों में छापा करता है और इसका परिणाम, श्रीमन्, घातक हो सकता है। छोटे अखबार जो कि इस विधान सभा भवन में अपने करस्पांडेंट्स नहीं रख सकते हैं। वे उसी सरकारी नोट के आधार पर, सरकार के दृष्टिकोण से रंगे हुए समाचार को जनता तक प्रसारित करते हैं और यह उनको एक सरल रास्ता मिल जाता है और दूसरे जो समाचार-पत्र अपने न्यूज एजेन्ट यहां पर रखते हैं उनके मन में भी यह विचार हो सकता है कि क्यों हम इतना पैसा खर्च करें जबकि हमको सरकार की ओर से एक विशिष्ट प्रकार का समाचार मिल जाता है बिना पैसा दिये हुए। तो यह फीडिंग का जो रास्ता है समाचार-पत्रों को, यह एक बड़ी भयानक स्थिति है।

आज, श्रीमन्, हम कहते हैं कि हमारा गणतंत्र राज्य है। तो, श्रीमन्, जहां गणतंत्र राज्य की व्यवस्था के अन्दर फ्रीडम आफ ओपीनियन है, विचार स्वातंत्र्य है, वहां समाचारों को इकट्ठा करने और प्राप्त करने की भी स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। इस बात का विचार करते समय हमको यह सोचना चाहिये कि जब एक प्रकार के गलत समाचार राज्य के द्वारा, विशिष्ट न्यूज एजेन्सी द्वारा समाचार-पत्रों को मिल जाते हैं तो क्यों कोई वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करेगा? क्यों वास्तविकता को खोजने का प्रयास हो? एक बार समाचार-पत्रों ने इस बात को उठाया भी था तो विभाग की ओर से उनको यह उत्तर मिला कि सूचना विभाग सरकार की न्यूज एजेन्सी भी हो सकता है। जब, श्रीमन्, आप न्यूज एजेन्सी क्रियेट कर रहे हैं, जो राज्य से प्रभावित है, राज्य की छाप जिस पर पड़ी है तो हमें यह देखना होगा कि राज्य कर कौन रहा है? राज्य एक दल विशेष जो गणतंत्र पद्धति के अनुसार विजयी होकर आया है वह करता है। और यह मनुष्य का स्वभाव है, कांशंशलो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अनकांशंशलो होता यह है कि अपनी बात राज्य की जनता के सामने प्रचार के लिये रखी जाय और उससे उसके मन और विचार को प्रभावित किया जाय। तो, श्रीमन्, इस के अन्दर एक बात उठती है कि क्या टैक्स पेयर के पैसे से पार्टी प्रोपेगेन्डा की ऐसी बात की जाय? और, श्रीमन्, जब कि समाचार-पत्रों के अपने संवाददाता उपस्थित हैं, हर एक न्यूज एजेन्सी के लोग भी यहां मौजूद हैं, फिर एक विशिष्ट प्रकार की न्यूज एजेन्सी बनाने की क्या आवश्यकता है? वह सारे न्यूज एजेन्ट्स तो सब प्रकार की सूचनायें और सब प्रकार के राज्य से बने हुए प्रेस नोट्स को प्रचारित करते रहते हैं। तो, श्रीमन्, यह जो समाचारों के बारे में एक स्पष्ट चैनेल है, नार्मल चैनेल है उसको बाई-पास करने का प्रयास किया जा रहा है सूचना विभाग के द्वारा। यह, श्रीमन्, खतरे की बात है और इस पर फिर से विचार होने की आवश्यकता है। श्रीमन्, हो सकता है कि किसी इन्टेन्शन से डिसाइड न किया जाय, परन्तु भविष्य के लिये कौन कह सकता है कि भविष्य के अन्दर किसी भी समय दूसरा दल सत्तारूढ़ हो सकता है और उसके मन में भी यह भावना उठ सकती है कि हमारे हाथ में सत्ता है और इस प्रकार के साधन से वह जनता के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। कौन नहीं उसका दुरुपयोग कर लेगा? इसलिये ऐसा खतरा सामने है। क्यों न उस खतरे को रोकने के लिये अभी से प्रयत्न किया जाय। सूचना को प्रचार से अलग करके केवल सूचना ही को रखा जाय तो अच्छा है जिससे भविष्य के लिये कोई खतरा खड़ा न हो।

श्रीमन्, समाचार-पत्रों या न्यूज एजेन्सी को अपने सम्वाददाता रखने का पूर्ण अधिकार है। यह सत्य है, परन्तु जब सरकार के सूचना विभाग के स्वयं अधिकारी सम्वाददाता बन कर ही समाचार भेजते हों और उनको यह अधिकार भी हो कि किसी न्यूज एजेन्सी के नाम पर वह सूचना या तार दे सकें तो फिर इसमें कैसे objective न्यूज आ सकती हैं और जब वह सूचना किसी समाचार-पत्र को दी जाय तो किस प्रकार वह राज्य से प्रभावित नहीं हो सकता है? अगर वह

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

राज्य से प्रभावित हो तो स्वाभाविक है कि उस प्रकार के पोलिटिकल प्रभाव के कारण जनता के दृष्टिकोण को परिवर्तन करने का अधिकार क्यों होना चाहिये ? अगर देश के अन्दर जो सब से बड़ी न्यूज एजेन्सी पी० टी० आई० है उसमें इस प्रकार की बात हो तो फिर दुखद स्थिति होगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी बात सत्य है तो मैं आशा करूंगा कि आपसे इस तरह का कोई प्रयत्न न हो जिससे यह चीज और अधिक दिन तक चले और समय रहते अवश्य इसके लिये कदम उठायें।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुये एक बात कही थी कि इंस्पायर्ड प्रोपेगेंडा होता है। यह बात सही है। इस प्रकार की बात इस सदन के अन्दर कुछ महीने हुये कही गयी थी कि इस सूचना प्रसार विभाग में २००, ३०० रुपया देकर आर्टिकिल लिखवाये जाते हैं किसी दल विशेष के खिलाफ, यह क्या है ? आप जरूर राज्य के कामों का प्रचार करें और आपके यहां जो-जो योजना चल रही हैं उनके विषय में जरूर जनता में प्रचार करें, यह बात समझ में आती है, परन्तु राज्य के कार्यकर्ताओं के मत के विपरीत अगर कोई दल हो और उस दल के ऊपर आप लेख लिखवावें और उन लेखों को लिखवाने में सरकारी पैसे का उपयोग किया जाय तो यह शोभा की बात नहीं है और यह किसी गणतन्त्र पद्धति पर चलने वाले देश के लिये शोभा नहीं देता। इस प्रकार से यह इंस्पायर्ड प्रोपेगेंडा कराना बड़ी गलत चीज है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं एक बड़े समाचारपत्र के अधिकृत सम्पादक रह चुके हैं। वे भी निश्चित इस बात को मानते होंगे कि समाचार-पत्रों को राज्य से प्रभावित नहीं होना चाहिये, क्योंकि अगर समाचार-पत्र राज्य से प्रभावित हो गये तो फिर यह समाचार-पत्र राज्य के दृष्किोण को सामने रख कर आयेंगे और उससे जनता का मस्तिष्क प्रभावित होगा और वह प्रभावित हुये बिना नहीं रहेगा। इसलिये मैं मंत्री जी से आशा करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि अभी यह विभाग उनके हाथ में आया है तो वह इस विभाग को देखें और अगर इस प्रकार की बातें इस विभाग में होती हों तो वह इसको सख्ती के साथ बन्द करें, क्योंकि इस प्रकार की गलती होना किसी भी विभाग के लिये शोभा की बात नहीं है और मैं भी उसको श्रेय नहीं देता। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गलत बात को दोहराना गलत बात होती है। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आपने जो बात पुलिस विभाग के बारे में कही उसको सूचना विभाग पर क्यों नहीं लागू करते और अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसको क्यों नहीं समाप्त करते।

श्रीमन्, सूचना विभाग बड़े महत्व का हुआ करता है और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग को अगर मैं अंग्रेजी में 'इन्फार्मेशन' कहूं तो उपयुक्त होगा। श्रीमन्, इस प्रकार के विभाग की एक बड़ी टेक्नीकल ब्राञ्च भी हुआ करती है और पब्लिक रिलेशन्स का भी इससे बड़ा सम्बन्ध रहता है और, श्रीमन्, इस विभाग का कार्य सफल और सुचारु रूप से तभी चलेगा जब कि कार्यकुशल और दक्ष व्यक्तियों का उपयोग हो और उन्हीं लोगों के द्वारा यह संचालित हो तभी यह विभाग अधिक लाभप्रद हो सकेगा।

श्रीमन्, मैं नहीं समझ सका कि सूचना विभाग के नाम पर जो बहुत से कलेंडर और डायरियां छपती हैं, उनका क्या लाभ है ? जिनको कलेंडर या डायरी की आवश्यकता होगी वह बाजार से खरीद सकता है। राज्य के पैसे से कलेंडर और डायरी छपवाने की क्या आवश्यकता है ? यह पैसे का अपव्यय है। जब आज यह मांग है कि अपव्यय की काटछांट की जाय तो इस मद में जो रुपया अपव्यय होता है उसको रोकने की ओर सरकार को कदम उठाना चाहिये।

श्रीमन्, जब से यह बजट सेशन प्रारम्भ हुआ है, जब भी किसी विभाग पर वादविवाद आरम्भ होने वाला होता है, उसके एक दिन पहले या उसी दिन टामस कुक के ट्रेवलिंग पेम्फलेट्स की भांति हमको सुन्दर रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तिकायें मिल जाती हैं। आशा तो सरकार से यह की जाती है कि वह उसी विभाग की ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सदन के सामने रखे जिससे

इस बात की तुलना की जा सके कि किस विभाग ने प्रगति की है और किस ने नहीं की। हमें इस बात की अपेक्षा नहीं है कि बड़े आर्ट पेपर पर छपे हुए सरकारी अधिकारियों के चित्र दिखाये जायं। उनको देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम तो यह देखना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश ने कितनी तरक्की की है? मैं लाइब्रेरी में भी जाता हूं और वहां पूछता हूं तो उत्तर मिलता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट अभी नहीं आयी। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट से ही यह पता लग सकता है कि कार्य में कितनी प्रगति हुई है या वह कितना पीछे गया है? इसलिये जो यह इनफार्मेशन दी जाती है वह मिसलीडिंग इनफार्मेशन है। और अगर रांग इनफार्मेशन दी जाती है तो मैं समझता हूं कि इस विभाग को बन्द कर देना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं और मुझे आशा है कि इस मिसलीडिंग और मिस-इनफार्मेशन को वे अवश्य ही चेक करेंगे। माननीय मंत्री जी स्वयं एक विश्वसनीय सम्पादक रह चुके हैं और वे अपने समय में बड़ी सुन्दर और विश्वसनीय इनफार्मेशन दिया करते थे इसलिये अगर वे इस ग़लती को एक ग़लती न मानेंगे तो यह एक १०वां आश्चर्य होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसको सही न मानते होंगे। और अगर अनकशस रूप में भी यह मिसलीडिंग होता होगा तो वे इसको रोकने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमन्, एक और भी आश्चर्यजनक दृश्य देखने में आया। इतना बड़ा यह सूचना विभाग है फिर भी हर डिपार्टमेंट्स के अपने अलग-अलग पब्लिसिटी विभाग हैं। जब एक सूचना विभाग सारे प्रान्त की सूचना से सम्बन्ध रखता है और पब्लिसिटी से उसका सम्बन्ध है तो फिर अलग-अलग विभागों की पब्लिसिटी ब्यूरोज़ की क्या आवश्यकता है? यदि आप पब्लिसिटी को डिसेंट्रेलाइज़ करना चाहते हैं तो इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया जाय और यदि सेंट्रेलाइज़ रखना चाहते हैं तो यह अलग-अलग जो पब्लिसिटी विभाग खोले हुए हैं उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिये। जैसे भी सरकार चाहे, लेकिन इन दोनों पर अलग-अलग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह रुपये का अपव्यय है।

अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं वह यह कि यह सूचना विभाग एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और मुझे आशा है, हमारे माननीय मंत्री जी इस के कार्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और गम्भीरतापूर्वक विचार करके एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे जिसमें राज्य के पैसे का दुरुपयोग न हो।

**श्री लोकनाथ सिंह** (जिला वाराणसी)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह हमारा दूसरा अवसर है इस माननीय सदन में सूचना विभाग के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने का। सब से पहले सूचना विभाग का अनुदान जो माननीय सूचना मंत्री के द्वारा प्रस्तुत है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इस प्रदेश में या चाहे कोई भी प्रदेश हो, सूचना कितनी आवश्यक है, सो भी सरकार के कार्यों की जो ६ करोड़ और उससे कुछ अधिक जनता से सम्बन्धित है, मैं समझता हूं कि माननीय सदन में इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन यहां तो मैं यह देखता हूं कि एक परिपाटी सी होती जाती है कि हम सही बात को भी कबूल नहीं करते। मैं मानता हूं कि जहां कुछ खामियां हैं एक देहाती कार्यकर्ता के नाते मैं उनको बतला दूं ताकि सरकार उनसे सावधान हो और उसके द्वारा प्रदेश का कुछ अधिक कल्याण हो सके। यह तो उचित नहीं प्रतीत होता कि हर अनुदान पर टीका-टिप्पणी हो, और सिर्फ दोष ही निकाला जाय, जैसे कोई अच्छा कार्य सरकार द्वारा होता ही न हो, हमारी समझ से यह (बड़ी काफी अतिशयोक्ति होगी) प्रदेश के लिये लाभप्रद नहीं है।

श्रीमन्, यदि माननीय सदन के माननीय सदस्यगण असन्तुष्ट न हों तो एक बात यदि मैं यह कहूं कि हमें इस बात से बड़ा ताज्जुब है कि कुछ हमारे साथी जो साथ-साथ काम करने वाले रहे और कुछ हमारे बुजुर्ग जो किसी समय हमारे नेता रहे और हम समझते हैं कि नाना प्रकार के उपदेश करके एक पद्धति द्वारा जो मार्ग प्रदर्शित करते थे, पता नहीं आज उनको क्या हो गया है कि एक सही रास्ता भी उनकी समझ में एक गलत रास्ता मालूम होता है। श्रीमन्, माननीय सदस्यों को मैं एक किस्सा आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं, मैं कलकत्ते जा रहा था.....

श्री उपाध्यक्ष---आपकी कथा है या किस्सा है, उसको स्पष्ट कर दें ।

श्री लोकनाथ सिंह---श्रीमन्, एक बार मैं कलकत्ता जा रहा था, एक साहब टिकट खरीद कर उसी डिब्बे में आकर बैठ गये । पता नहीं हंसी में या जान कर उन्होंने अपना बगल में बैठे हुए एक साथी से पूछा कि भाई टिकट तो मैंने खरीद लिया है लेकिन मुझे बतला दो कि यह टिकट मर्दाना है या जनाना । वे भी मसखरे टाइप के थे, उन्होंने टिकट देख कर कहा कि यह तो जनाना टिकट है, अगर तुम इस टिकट को लेकर इस डिब्बे में बैठोगे तो पकड़ लिये जाओगे । नतीजा यह हुआ कि वे उस डिब्बे को छोड़ कर जनानी धोती वगैरह पहनकर एक जनाना डिब्बे में जाकर बैठ गये । बहुत देर तक तो वे लुक छिप नहीं सकते थे । थोड़ी देर में टी० टी० आई० आया और उनको गिरफ्तार करके ले गया । वे कहने लगे कि हुजूर मुझे मालूम नहीं था, मैंने गलती से जनाना टिकट खरीद लिया था, इसी से मुझे इस डिब्बे में आकर लामुहाला बैठना पड़ा, अबकी दफा मुझे छोड़ दीजिये, फिर कभी आयन्दा नहीं बैठूंगा । फिर वे अपने डिब्बे में चले गये ।

श्री उपाध्यक्ष----अपने किसी साथी के प्रति आपत्तिजनक बातें कह कर बाद में क्षमा के लिये प्रार्थना करना ठीक नहीं है । अब आप इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के ऊपर ही बोलें ।

श्री लोकनाथ सिंह---श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष---मैं आगे कोई ऐसी उपमा सुनना नहीं चाहता जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने किसी साथी के प्रति कोई आपत्तिजनक बात कही जाय ।

श्री लोकनाथ सिंह---अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो उसके लिये माननीय सदस्य क्षमा करेंगे । साथ ही मैं यह कह रहा था कि सरकार के सूचना विभाग द्वारा बहुत कार्य हो रहा है । इससे प्रदेश का बहुत कल्याण हुआ है, जगह जगह सूचना केन्द्र बने हैं । साथ ही साथ ग्रामीण किसानों को जो सरकार के रचनात्मक या विकास के कार्य हैं या योजनायें हैं जिनका उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इस सूचना विभाग द्वारा उनको इसका काफी अनुभव होता जा रहा है । आप जानते हैं कि इस प्रदेश में ज्यादातर किसान हैं, जिनके आंकड़े मैं सदन के सामने बहुत दिनों से सुनाता आ रहा हूं । श्रीमन्, उन गरीब किसानों को जो अशिक्षित हैं, और जिनके पास और कोई साधन नहीं है कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है और जिनके हाथ में उनका भविष्य सुरक्षित है वह उनके लिये क्या कर रहे हैं, क्या योजनायें हैं, इसके बारे में सूचना विभाग द्वारा जो उनके भले के काम हो रहे हैं, जो प्रसार हो रहा है, उससे उनका बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है । हमारे कुछ साथियों ने यह भी कहा है कि जो सूचना केन्द्र खुले हुये हैं और उनके द्वारा जो प्रचार होता है और जो वहां के आफिसर नियुक्त हुये हैं उनके द्वारा पार्टी का प्रचार किया जाता है । शायद उनके जिले में ऐसा होता हो, लेकिन जहां तक वाराणसी का सम्बन्ध है वहां ऐसी कोई शिकायत हमें देखने को नहीं मिलती, हालांकि हमारा भी ३० साल का राजनीतिक जीवन है और हमारे ही साथी वह हैं जो इधर बैठे हैं या उधर बैठते हैं, लेकिन यह कहना कि जब तक हम और वह साथ थे तब तक सब हरिश्चन्द्र थे और अब केवल वही हरिश्चन्द्र हैं, यह चीज हमें कुछ अनोखी सी लगती है । मैं केवल एक ही शिकायत करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि अगर हो सके तो माननीय सूचना मंत्री जी उसे अमल में लायेंगे ।वह यह है कि सूचना केन्द्र व उसके साधन जो अब तक काम में लाये जा रहे हैं और जो बजट उसके लिये उन्होंने प्रस्तुत किया है वह बहुत कम है । मैं चाहता हूं कि सूचना विभाग का प्रचार जहां इतना हो रहा है वह और बड़े पैमाने पर हो और सरकार द्वारा जो कार्य होते हैं, कौन कौन से रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, कौन कौन से विकास के काम हो रहे हैं, कौन-कौन सी योजनायें चलाई जा रही हैं, कौन-कौन से कानून कायदे गरीब ग्रामीण जनता की भलाई के लिये इस सदन द्वारा पास किये जा रहे हैं, इस सबका प्रचार हो ताकि उन ग्रामीणों को कोई गलत आदमी बहकावे में न डाल सके ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सैद्धान्तिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी सूचना विभाग की हमारे प्रदेश और पूरे देश के लिये बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिये कि यहां एक जनतांत्रिक प्रणाली चल रही है। उसमें सत्ता क्या कर रही है, हुकूमत की क्या नीति है, और कार्यों में कितनी प्रगति हुई इसमें दिलचस्पी खाली उन्हीं लोगों को नहीं होती जो लोग शासन सत्ता चलाते हैं या उसके आसपास की परिधि में रहते हैं बल्कि इसमें, कि सरकार क्या कर रही है, गहरी दिलचस्पी सुदूर गांव के रहने वालों की भी है। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि ये तमाम चीजें जो यहां होती हैं और जो सरकार की नीति है उसके बारे में अच्छा साहित्य और सूचना जनता को समय से मिलती रहे। अतः विभाग की उपयुक्तता का तो मैं हृदय से समर्थन करता हूं। यह ४७ लाख रुपये का जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, इतने भारी काम के लिये वह ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले चन्द वर्षों में इसका जो काम हुआ है उसकी आलोचना मैं जरूर करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उसने अपनी उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से नहीं निभाया जिनको निभाने की उससे आशा की जाती थी और जिसके लिये उसे खोला गया था। कुछ चीजें जो बजट में हैं उन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सब से पहले सवा ४ लाख रुपया केवल अलाउन्सेज की मद में रखा गया है, यानी टी० ए० आदि के लिये। ४७ लाख के बजट में से सवा ४ लाख की रकम आफिशियल्स या अधिकारियों के हाथ में सौंप दी गई है ताकि वह उसका चाहे जैसे इस्तेमाल करें। इतने छोटे अनुदान में इतनी बड़ी रकम इस मद में रख देना बहुत आपत्तिजनक है और मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिये। इसी तरीके से इसके जो उद्देश्य हैं, जो इसकी ओर से, प्रकाशित होते हैं वे अर्थहीन हैं। जो साहित्य हम लोगों को दिया जाता है पता नहीं कहां से हिन्दी के लेखक आते हैं और ये गड़े मुरदे कहां से निकाल कर इन्हें लिखते हैं? कोई जिन्दगी उन किताबों में नहीं होती। तो न कोई सूचना है, न इंटरेस्ट है। पढ़ा लिखा आदमी यह समझता है कि यह मूर्खों की लिखी हुई है। मूर्ख आदमी यह समझता है कि यह विद्वानों की लिखी हुई है। न मूर्खों की समझ में आती हैं न विद्वानों की। इस तरह के निर्जीव साहित्य से क्या लाभ है और इस गरीब प्रदेश का धन इस तरह से दुरुपयोग में आये यह बिलकुल आपत्तिजनक है। इससे तो न प्रकाशित करना ही कहीं ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से हिन्दी की तीन सौ पुस्तकों के प्रकाशन का उद्देश्य घोषित किया गया था। परन्तु अब तक १४ पुस्तकें ही प्रकाशित हो पायी हैं। उसमें भी एक आध पुस्तक में जो अनुवाद किया गया है, उसकी अजीबोगरीब भाषा है। एक जगह अनुवाद आया है सोशल कंटेक्ट का। थोड़ी बहुत संस्कृत मैं भी जानता हूं। हिन्दी में अनुवाद किया गया है, "सामाजिक पाषण" हो सकता है, वह गलत छपा हो। 'आ' की मात्रा छूट गयी हो। नहीं तो पाषण शब्द न तो हिन्दी में और न संस्कृत में पाणिनि भी सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन यह हो रहा है। अलावा इसके और भी तरीकों से धन का दुरुपयोग सुना गया है। उसकी जांच होनी चाहिये। बनारस के प्रकाशक का एक हजार का चेक पकड़ा गया। लेकिन कुछ पता नहीं चला कि उसमें क्या हुआ। इंक्वायरी भी की गयी या नहीं और की गई तो क्या हुआ?

इसी तरीके से आज से एक साल पहले पांच हजार रुपये का टेलीफोन का खर्चा इस विभाग का था वह बढ़कर १५ हजार रुपया हो गया। पता नहीं रात दिन कमरे ही टेलीफोन किया करते हैं क्या, जब दफ्तर बन्द हो जाते हैं।

इसी तरह से, बनारस के एक प्रकाशक महोदय हैं, जिन्होंने एक आध पुस्तक के प्रकाशन का ८५ रुपया फी फार्म चार्ज किया है जब कि इतना महंगा प्रकाशन न लखनऊ में है और न कलकत्ता, बम्बई में ही होता है। वह वाराणसी चूंकि शिवजी के त्रिशूल पर बसी हुई है तो यह प्रकाशन उस त्रिसूल से उतार कर कहीं आसपास ही करा लिया जाया करे तो ज्यादा बेहतर है।

इसी तरीके से बनारस के अखबारों में यह समाचार निकला कि द्वितीय पंचवर्षीमें योजना की हजारों प्रतियां गोमती में बहती पायी गयीं। अगर गंगा जी में बहती मिलतीं तो य

[आचार्य दीपंकर]

समझ सकता था कि वाराणसी के निवासियों ने गंगा की आराधना के लिये इन्हें प्रवाहित कर दिया होगा। यह भी हो सकता है कि सूचना विभाग के सम्बद्ध अधिकारियों ने गंगा की आराधना के लिये ऐसा किया हो। लेकिन गोमती के बारे में कहीं पुराण में भी ऐसा करना नहीं लिखा हुआ है कि पुस्तक अर्पण की जांय। अखबारों में भी यह चीज आयी। मगर किस तरह से यह सब होता है और इस पर क्या ऐक्शन लिया गया, कुछ पता नहीं चला।

इसी तरीके से सूचना संचालक महोदय एक अजीब किस्म का खेल खेला करते हैं। एक आध मंत्री महोदय भी उस खेल में शरीक हैं। उसका सामान भी सरकारी खर्चे पर कलकत्ते से मंगाया गया। वे चाहे जिस तरह का खेल खेलें लेकिन हमारी गरीब जनता के शिर पर चढ़कर कलकत्ते से खेल के सामान मंगाना कतई उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---खेल से आपका मतलब ड्रामा से है ?

आचार्य दीपंकर---गाल्फ खेल होता है कोई। मैं जानता भी नहीं। वह सब मंगाकर खेला करते हैं।

इसी तरह से सूचना संचालक महोदय को बड़ा परेशान किया जा रहा है। उन पर दया आनी चाहिये। मिसाल की तौर पर वे हिन्दी समिति के भी मंत्री हैं, भातखंडे संगीत विद्यालय के वे प्रशासक हैं। लोक गीत समिति के कनवीनर बना दिये गये हैं। इसी तरह से टूरिस्ट कमेटी के भी सदस्य हैं। और जो स्वतंत्रता संग्राम समिति है उसके भी सदस्य हैं। वे अपनी इच्छा से हैं या सिफारिश करवायी है उन्होंने या लोग ही उन पर अन्याय करने पर तुले हुये हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिये और उनको राहत मिलनी चाहिये। क्योंकि इससे सूचना विभाग का काम काफ़ी सफ़र करता है।

इसी तरीके से तीन क्षेत्रीय सूचना आफ़िस खोले गये हैं। लेकिन वे सब सिमिट कर लखनऊ में आ गये हैं, उनके दफ्तर भी यहीं हैं। तो क्या आवश्यकता है तीन, तीन क्षेत्रीय सूचना आफ़िस खोलने की। अगर खोलने ही हैं तो एक आध गोरखपुर की तरफ खोला जाय, पश्चिम की तरफ तो आप जाना नहीं चाहते, उधर भी टहल आइये। अगर इस तरह से उनका बटवारा किया जाता है तब तो ठीक है; अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह से पूरे पश्चिमी जिलों का दौरा करने के लिये कुछ महानुभाव यहां से तशरीफ ले गये, २०, २२ हजार रुपये भी उनके टी० ए० के लिये तय कर लिया गया था। लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने ५६ हजार का टी० ए० बनाया। बहरहाल वह पैट्रोल भी खास किस्म का और महंगा ही होगा और चूंकि सूचना विभाग की गाड़ी थी, इसलिये शायद बजाय पैट्रोल के घी जलाया गया होगा। तो हमारी समझ में नहीं आता कि इतने ऐक्सपेंडिचर की, इतने खर्चे की अनुमति क्यों दे दी जाती है ? यह सब चेक होना चाहिये।

इस विभाग का एक कैमरा जिसकी कीमत ३२०० रु० थी गायब हो गया। संभव है गायब होने की सूचना भी पहले ही मिल गयी होगी, सूचना विभाग जो ठहरा। आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ उसका ? ये सब छोटी-छोटी सी बातें हैं ? लेकिन बहुत महत्व रखती हैं।

इसी तरह से मैं यह ठीक समझता हूं कि जितने भी विभागीय प्रकाशन हैं सब बन्द होने चाहिये, सेन्ट्रेलाइज्ड प्रकाशन होना चाहिये ताकि कुछ पैसा भी बचे। वस्तुतः मैं समझता हूं कि इस विभाग को यदि और भी पैसा दिया जाय तो कतई आपत्ति मुझे नहीं होगी, लेकिन धन का दुरुपयोग आपत्तिजनक है, यह रुकना चाहिये। और इस विभाग की तरफ से अच्छे प्रकाशन होने चाहिये, अच्छी सूचना दी जाय।

एक प्लास्टिक का कलेंडर बना है मिनिस्टरों की टेबिल पर रखने के लिये। उसकी कीमत १५ रुपये है। तो इस की क्या आवश्यकता थी, साधारण कागज का भी काम दे सकता था। ये सब प्रकाशन थोथे और निर्जीव हैं। इस तरह का दुरुपयोग बन्द होना सबसे पहले आवश्यक है। इस विभाग का सिद्धान्ततः मैं समर्थन करता हूं इस कटु परन्तु सत्य आलोचना के साथ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कितना समय लेना चाहेंगे, क्योंकि ४-४५ पर वाद-विवाद बन्द हो जायगा। तो २० मिनट आपको काफी होंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, मान्यवर इतना तो चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---इतना लेकर क्या करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जब आप ले रहे हैं तो मैं ही क्यों न लूं।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री दीनदयालु शास्त्री से) आप ५ मिनट ही बोलेंगे।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन, मैं सूचना विभाग के इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ शिकायतें की हैं उनमें से कुछ को मैं सही नहीं मानता। जब कि सरकार कायम हुई है तो उस के कार्यों की सूचना अगर कोई मुहकमा देता है तो यह तो सम्भव है कि जो उस सरकार को नहीं मानता या उसके पक्ष को स्वीकार नहीं करता वह उसमें प्रचार की बात समझे। लेकिन सूचना विभाग का यह कर्तव्य है कि जो सरकार कर रही है उसकी सूचना ठीक ढंग से दे। और जब वह ठीक ढंग को अपनावे तो उस के लिये किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

माननीय दुबे जी ने कहा कि यह सूचना विभाग जिस ढंग से काम करता है वैसे ही करे तो अखबारों की जरूरत नहीं रहती। मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि आप यहां प्रेस गैलरी को देख सकते हैं कि सरकारी सूचना विभाग के रहते हुये भी खबरें निकालते हैं और उनकी खबरों पर सूचना विभाग का कोई खास असर नहीं होता। फिर भी सरकार समझती है जो अखबार अपना व्यू देते हैं वह जरूरी तौर पर सरकारी खबर नहीं होती है इसलिये इसको सरकारी सूचना विभाग के द्वारा अपनी सूचना देनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ जो कलेंडर की बात कही, मैं इस सिलसिले में सदन को यह बताना चाहता हूं कि पिछले साल भारतीय सरकार ने शक संवत की स्थापना की थी और यह प्रचार किया था कि इस को जारी किया जायगा। इसी प्रदेश की हुकूमत ने शक संवत का कैलंडर चलाया और किसी सरकार ने नहीं चलाया। केवल हमारे प्रदेश की सरकार के सूचना विभाग ने ही वह शक संवत का कैलेंडर दिया जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी और न किसी अखबार वाले को थी, अगर इस दृष्टिकोण से कैलेंडर व डायरी का प्रचार किया गया तो सूचना विभाग को बधाई मिलनी चाहिये। मैं एक बात और कह कर बैठ जाऊंगा। सूचना विभाग से ज्यादातर विज्ञप्तियां अंग्रेजी के अखबारों को दी जाती हैं। मेरा विचार यह है कि जनता आम तौर पर देहातों में रहती है और वह हिन्दी, उर्दू या अन्य देशी भाषाओं के अखबारों को ज्यादा पढ़ती है और उन्हीं अखबारों के जरिये उसे जानकारी होती है। इसलिये सरकारी विज्ञप्तियों का बड़ा भाग देशी अखबारों को मिलना चाहिये ताकि सूचना विभाग का जो उद्देश्य है उसकी यथार्थता पूरी हो सके। हो सकता है कि शहरों में रहने वाले उन विज्ञप्तियों को पढ़ लें, लेकिन विकास से सम्बन्धित और खेती की उन्नति से सम्बन्धित जो विज्ञप्तियां होती हैं उनको अगर नेशनल हैराल्ड या पायनियर में छपवा दिया जाय तो किसान को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये सूचना मंत्री से मैं कहूंगा कि वे इस बात पर गौर करें कि विज्ञप्तियों का उनके विभाग को किस प्रकार से प्रचार करना चाहिये।

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आमतौर से यह विभाग ऐसे अखबारों को विज्ञप्तियां देता है जिनके प्रकाशन की संख्या नहीं के बराबर होती है, लेकिन जो अखबार प्रकाशन की दृष्टि से ऊंचे और उपयोगी होते हैं और उनके प्रकाशन की संख्या भी काफी होती है; किन्तु पहुंच न होने के कारण वे विज्ञप्तियां नहीं पा पाते हैं। इसलिये सरकार जो चाहती है कि जनता को सूचना मिले उसका साधन वे नहीं बन पाते हैं। मेरी राय यह है कि सूचना विभाग इस ओर दृष्टिपात करे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी सरकार आये, सरकारी कार्यों के प्रकाशन व सूचना के लिये सूचना विभाग की हमेशा आवश्यकता होती है। मेरा विचार यह है कि आमतौर पर जो सूचना विभाग है वह कांग्रेस दल का नहीं, सरकारी सूचना का प्रचार करता है। इसलिये उसको बधाई मिलना चाहिये।

श्री रामायणराय---श्रीमन्, इस हमारी कटौती के प्रस्ताव पर दोनों ओर के सदस्यों ने, मैंने ध्यानपूर्वक देखा, करीब-करीब हमारा समर्थन ही किया है। चाहे वे इस ओर के मेम्बर रहे हों या उस ओर के मेम्बर रहे हों, सब लोगों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है।

जहां तक सूचना का संबंध है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि सूचना की आवश्यकता है और सूचना देना बुरी चीज नहीं है, प्रचार करना भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रचार मर्यादित होना चाहिये। प्रचार ऐसा न हो कि एक पक्षीय हो। इसी विचार से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रक्खा था। बहुत सी छोटी-मोटी भ्रष्टाचार की शिकायतें जो इस विभाग से सम्बन्धित हैं उनकी चर्चा मैंने जानबूझ कर नहीं की। मैंने केवल इस विभाग की नीति की आलोचना की। इस विभाग की जो सीमा है वह असीमित नहीं होनी चाहिये, उसको अपनी मर्यादा पर रहना चाहिये। इतना कहने के बाद मैं सदन से यह उम्मीद करूंगा कि मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है, उसे वह स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई रामायणराय जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया तो मुझे उनसे कुछ ऊंचे स्तर की आलोचना की और टीका की आशा थी। मुझे खेद है कि मेरी यह आशा पूरी नहीं हुई और हमारे बहुत से मित्रों और साथियों को जो भ्रष्टाचार का रोग हो गया है--- जहां देखिये भ्रष्टाचार ---उस रोग से वह भी ग्रस्त दिखाई पड़े।

अब और तो भ्रष्टाचार चल ही रहा था, सूचना विभाग में भी भ्रष्टाचार हो गया, जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। होगा, मुमकिन है, बड़ी कृपा उनकी। मेरे पास आया करते हैं, और मुझे उस भ्रष्टाचार की सूचना वह दे दें---मौखिक या लिखित---तो मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उसकी पूरी खोज-खबर लूंगा और यदि कुछ इस प्रकार का विकार कहीं होगा तो उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा।

प्रचार मर्यादित हो और सूचना भी हो, कहां अमर्यादित प्रचार हुआ इसका कोई सबूत हमारे सामने उपस्थित नहीं किया जाता। यादवेन्द्रदत्त दुबे जी, दुर्भाग्य से इस समय यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ी पतली सी लाइन है जहां सूचना और प्रचार मिलते हैं। कहां उस पतली सी लाइन को सूचना विभाग ने उल्लंघित किया, इसका कोई प्रमाण अगर उन्होंने दिया होता कि यह इतनी सूचना नहीं, यह प्रचार किया गया जो कि अनावश्यक बात हुई, तो मैं जरा उसको सुधारने की चेष्टा करता। इतना तो मैं भी जानता हूं कि कहां सूचना और कहां प्रचार है। मान्यवर, कुछ पत्रों से और पत्रकारिता से, लिखने-पढ़ने और सूचना और प्रचार से बीसियों वर्ष मेरा भी संबंध रहा है। तो मैं समझ सकता हूं। अगर उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं बताता उन्हें कि कहां प्रचार से उल्लंघन हो गया सूचना का। प्रचार किसका ? हम

प्रचार करते हैं, कोई छिपी बात नहीं है । सूचना देते हैं और सरकारी कार्यों का प्रचार करते हैं। इसी वास्ते हमारा अस्तित्व है और हमारे विभाग का अस्तित्व है और हम करेंगे और कर रहे हैं कि किसलिये क्या-क्या कार्य हो रहा है, इसका प्रचार और प्रसार, और इस इरादे से जिससे हम जनता का सहयोग प्राप्त करें, उनके मनोबल को ऊंचा करें, उनमें विश्वास उत्पन्न करें, उनका सहयोग और ज्यादा हमें मिले इस वास्ते हम यह प्रचार करते हैं। यह काम हो रहा है। यह हमारी पंचवर्षीय योजना है और यह उसकी सफलताएं हैं, यह उसकी उपलब्धियां हैं, यह हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उसका यह लक्ष्य है, इस तरफ हम आप को ले चलना चाहते हैं, इतनी हमें सफलता हुई, यह हम करेंगे और यह हमारा काम है। आप कहें कि उसमें पार्टी का प्रचार नहीं होना चाहिये, तो यह आप मुझे दिखाइये कि किस जगह पार्टी का प्रचार हो गया—कांग्रेस पार्टी या किसी दल का ? बिना चीजों को पूरी तरह से देखे हुये सदन में एक टीका कर देने से कोई लाभ विभाग को भी नहीं पहुंचता, यदि हम यह चाहें भी कि अगर किसी जगह वस्तुतः अनुचित प्रचार के क्षेत्र में हम उतरे हों और हम चाहें कि इस तरह की कार्यवाही को हम रोकें, तो नहीं रोक सकते अगर स्पष्टतया हमको न बताया जाय कि इस प्रकार तुमने पार्टी का प्रचार किया।

उन्होंने कहा कि इंस्पायर्ड पब्लिसिटी करते हो। इंस्पायर्ड पब्लिसिटी क्या है ? लोगों को पैसा देकर लेख लिखाते हो। यह तो हमारी योजना में है कि कम्पिटीशन करायें, लेखकों की प्रतियोगिता करायें योजनाओं के ऊपर, योजना के विभिन्न अंगों पर, उसके लक्ष्य और उसके कार्यों पर। और प्रतियोगिताएं करायेंगे साहित्यिकों से, ताकि उनकी रुचि हो उस तरफ और उसका पुरस्कार देंगे। इसी बजट में वह रखा गया है। हम अपने यहां कवि सम्मेलन कराते हैं, लोक-गीत सम्मेलन कराते हैं, लोक-नृत्य कराते हैं, विभिन्न प्रकार के कलाकारों को बुलाते हैं, एक मंच पर उनको ले आते हैं ताकि उनकी कविता का और कला को एक पुरस्करण भी प्राप्त हो, हमारी सेवा और आदर भी उन्हें मिले, क्योंकि वह हमारे कलाकार हैं। किसी देश की रचना केवल पत्रों से नहीं होती, वह होती है लेखकों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, उन्हें मिले राज्य का सम्मान और आदर। हां, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है किसी पर। अगर हम यह समझ लें कि किसी कलाकार को हमने बुलाया तो इस वास्ते कि वह यहां आ गया, हमारे यहां मंच पर बैठ गया और आने जाने का किराया हमने दे दिया, ऐसा हमारा कलाकर है कि वह अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा और अपनी भावना, इन सब को गलत रास्ते पर बहा देगा, इसलिये कि हम ने उसको अपने मंच पर बिठा दिया है, यह आप अपने यहां के लेखकों का और पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं। आप ने यह भी कहा कि समाचार भिजवा देते हैं तो दुनिया से समाचार आते हैं, रूस से समाचार आते हैं, पत्र-पत्रिकायें आती हैं, अमेरिका से आते हैं और उनके बड़े-बड़े समाचार प्रकाशन ब्यरो अपने यहां कायम हैं। तस्वीरें भेजते हैं, लेख भेजते हैं। इतने बड़े-बड़े बंडल आते हैं कि जिनको खोल कर देखने का समय नहीं मिल पाता है। दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं और भारत सरकार से आते हैं। जब मैं सम्पादक का कार्य करता था तब तो इतने आते थे अब तो ज्यादा आते होंगे। हमारे यहां से समाचार चले गये तो कौन-सी गलत बात हो गई, कौन-सी विपत्ति आ गई। कोई बात कहने से पहले आप लोग सोच लीजिये समझ लीजिये और उसको तोल लीजिये तब टीका-टिप्पणी कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—एक बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी एजन्सी है जो असेम्बली के प्रश्नों और कार्यवाही का सारांश बनाकर समाचार-पत्रों को भेजती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि लोक सभा में है वैसा ही यहां पर भी है। खास तौर से प्रश्नोत्तर के समय गवर्नमेंट की बहुत-सी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पालिसीज स्पष्ट हो जाती हैं तो सूचना विभाग का कोई आदमी रहता है जो रिपोर्टिंग कर लेता है और यहां के जो संवाददाता लोग हैं उनको दे देता है। बहुत से संवाददाताओं ने उसकी उपयोगिता भी स्वीकार की है। हम उनको दे दिया करते हैं और कहीं भेजे नहीं जाते हैं। जो यूज़ करना चाहें करें, न करना चाहें न करें। चाहे फाड़ कर फेंक दें। कोई उन पर किसी तरह का कम्पलशन नहीं है। जो हमारी न्यूज़ जाती हैं वह भी इसी तरह से जाती हैं कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। दूसरे प्रदेश भी भेजते हैं, हम भेज देते हैं, उन्होंने चाहा उसका प्रयोग किया नहीं चाहा तो रद्दी की टोकरी में फेंक दें। इसमें हमने क्या गलत बात कर दी ? यह हमारी समझ में नहीं आया। जब आप किसी चीज़ को देख लें, समझ लें और तौल लें तब टीका-टिप्पणी होनी चाहिये। इस प्रकार से तो यही कह सकते हैं कि किसी चीज के पूरे विस्तार को समझे बिना या सुनी-सुनायी बात की टीका कर देना है जिससे हमारा पथ-प्रदर्शन नहीं हो सकता है। हमें बतलाइये कि यह कमियां हैं और इसमें इस तरह से करना चाहिये तो हम सुधार के लिये हमेशा तैयार हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पत्रकार या सम्पादक की हैसियत को किसी भी हैसियत से बड़ी समझता हूं और मैं पत्रकारों और सम्पादकों की स्वाधीनता का हिमायती रहा हूं और हूं। मेरे द्वारा कभी किसी पत्र के ऊपर आघात हो जाय तो वह मेरे लिये बड़े दुख की बात होगी, बड़ी ग्लानि की बात होगी। किन्हीं समाचार-पत्रों के संवाददाताओं के कार्य में हस्तक्षेप न तो करने का इरादा है, न हो ही रहा है और न कभी किया गया है। कहां ऐसी बात होती है ? हमारे आचार्य दीपंकर जी ने टीका-टिप्पणी की। मैं आप के द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनसे इससे अधिक गम्भीरता की आशा करता था ऐसी बात का जिक्र कर देना, कहीं से सुनी-सुनाई या दूर से घूमी हुई बात की टीका-टिप्पणी कर देने से मैं समझता हूं कि वह लाभप्रद नहीं है। किसी एक प्रकाशक के चेक का जिक्र कर दिया गया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने उसका कुछ पता लगाया कि क्या चीज इसके पीछे रही है। इस आदरणीय सदन में प्रत्येक माननीय सदस्य का प्रोरोगेटिव है कि आप जो चाहें कहने का आप को अधिकार है। जो हमारी भूलें हैं उनकी ओर आप लोग संकेत करें तो हम उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। जो हमारी कमियां हैं उनको बतायें, हम उनको सुधारेंगे। उन्होंने इतना ही उल्लेख किया उतना ही मैं कहना चाहता हूं कि "बिल्कुल निराधार और झूठ है।" आपने ८५ रु० फार्म वाली बात कह दी .....

श्री उपाध्यक्ष---निराधार तो ठीक है लेकिन मैं समझता हूं कि "झूठ" शब्द पार्लियामेंटरी नहीं है। इसे आप वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अच्छा वापस लिया। "असत्य" कह सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष---निराधार ही काफी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अच्छा निराधार है, सही नहीं है ८५ रुपये फार्म वाली बात। मैं कहता हूं कि वह भी निराधार है और सही नहीं है। पुस्तकें छपीं, ठीक है। नियम यह है कि सुपरिंटेंडेंट, गवर्नमेंट प्रेस यदि अपने यहां पुस्तकें नहीं छाप सकते तो वे दूसरे प्रेसेज से टेन्डर इन्वाइट करते हैं और जिसका टेन्डर लोएस्ट होता है उसको छापने के लिये देते हैं। इसके लिये उनका एक शेड्यूल बना हुआ है। उसके मुताबिक वे देते हैं। लेकिन जो उनका शेड्यूल है उससे भी कहीं कम में ये किताबें छपीं। अब, चलता रहता है, किसी ने एक चीज उखाड़ दी, कुछ अखबारों में दे दी, कहीं कुछ पुर्जियां बांट दीं और उनके आधार पर आप टीका करें तो कम से कम हमें तो कोई लाभ नहीं पहुंच सकता।

जहां तक गोमती में बहने की बात है, एक अखबार में रिपोर्ट जरूर निकली, अवश्य ही सत्य रही होगी। बहुतों से मैंने पूछा लेकिन बहते देखा किसी ने नहीं। मुमकिन है कुछ बहती रही हों। एक बार सूचना विभाग के गोदाम में चोरी हुई थी और जिस आदमी

पर सन्देह था उसके पीछे पुलिस पड़ी भी पता लगाने के लिये। कुछ लोगों का यह भी खयाल है कि मुमकिन है कि उसने फेंक दिया हो। नहीं तो इतने दिनों से सूचना विभाग है, कहीं गोमती में कोई पुस्तक बहती दिखायी पड़ी है? ऐसा तो किसी ने देखा नहीं। तो इन चीजों का जरा आधार देख लें फिर टीका-टिप्पणी करें तो उससे हमारा कुछ लाभ हो, हम अपनी कमियों को दूर कर सकें।

अब, इस विभाग में मैं जो कार्य हो रहा है उसके विषय में कुछ विशेष कहना नहीं चाहता। हमारे जिले के स्तर पर जो कार्य हो रहा है उसमें सूचना केन्द्रों की स्थापना हुई है। गत वर्ष ६२ सूचना केन्द्र खोले गये थे और इस साल भी खोल रहे हैं। हेडक्वार्टर्स पर हमारा सूचना का केन्द्र मौजूद है। यहां तो एक योजना की प्रदर्शनी भी हम बनाने जा रहे हैं। आज से दो वर्ष पहले जो इस विधान सभा के सदस्य रहे होंगे उन्हें ध्यान होगा कि गणतन्त्र दिवस पर योजना की एक प्रदर्शनी हमने की थी। भारत सरकार का समर्थन भी उसे प्राप्त था कि हम इस प्रकार की प्रदर्शनी को स्थायी रूप दें और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सफलतायें हुईं वे प्रदर्शित की जायं उसमें और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिस रूप से चल रही है और क्रमशः जितना कार्य उसमें बढ़ता जा रहा हैउसका भी प्रदर्शन हो। साथ ही साथ योजना हमारी यह है कि हम देहातों तक में प्रचारित करें। पर हमारे पास साधन कम हैं क्योंकि धन का अभाव है। आपका इतना बड़ा प्रदेश जहां की ८८-९० फ़ी सदी जनता को अब तक अक्षर का ज्ञान शून्य, उनके भीतर जनतन्त्र की भावना का उदय करना और देश की और प्रदेश की प्रगति से परिचित कराना, उसके लिये जितने प्रकार के साधनों को एकत्र करने की और जितने प्रकार की टेकनीक को प्रयोग में लाने की आवश्यकता है, उसके लिये जितने धन की आवश्यकता है वह हमारे पास नहीं है। हम उसे नहीं कर सके हैं फिर भी थोड़े अंश में हम उसकी तरफ पग बढ़ा रहे हैं। हम उसको करते जा रहे हैं, हमारे फिल्म्ज का प्रोडक्शन हुआ, हमारी प्रदर्शनियां हुई हैं, हमारे फोटो के भी प्रोडक्शंस हुये हैं, साहित्य का का भी प्रोडक्शन हुआ, हमारी सूचनाओं और संवादों का वितरण भी हुआ है, और प्रदेश के प्रायः सभी जिलों में हमारे केन्द्र की स्थापना हुई है और हम उस दिशा में धीरे-धीरे अग्रसर होते चले जा रहे हैं। मैंने जैसा निवेदन किया कि गत वर्ष से इस वर्ष हमारा खर्चा कम हुआ। किस रकम में ४ लाख देने की बात कही गई वह मैं देखूंगा लेकिन करीब १६ लाख के हमारे योजना आइटम में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में १२ आइटम्स में पांच साल के अन्दर ८० लाख रुपये खर्च करने हैं जिनमें से प्रति वर्ष १६ लाख रुपये खर्च करें तो योजना का काम पूरा हो। तो वह १६ लाख योजना के आइटम का है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस्टैब्लिशमेंट का वह खर्चा है जो गत वर्ष ३५ लाख था इस वर्ष ३० लाख है और ४ लाख उसमें कंटिंजेंसी का खर्चा है। कंटिंजेंसी के माने यह नहीं कि जहां चाहे खर्च कर दें। उसके लिये हेड्स बने हुये हैं। जो प्रतिवर्ष बहुत से कामों के लिये हमें पैसे की आवश्यकता होती है वह उन हेड्स के मुताबिक कंटिंजेंसी से लेकर हम खर्च कर सकते हैं। वह किसी आदमी के विवेक पर नहीं होता। उसके लिये सीधे दो-तीन आइटम्स हैं। वह छोटा-सा बजट है और अनुदान संख्या ३० में उसका विस्तार लिखा हुआ है।

जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बड़ा उपयोगी कार्य है और आवश्यक भी है और स्वयं दीपंकर जी ने कहा कि यह तो हमारे जैसे प्रदेश की जनता है उसमें तो इस चीज के प्रसार होने की आवश्यकता है। वह हम कर रहे हैं और अगर इसमें कहीं कोई कमी हो तो आप यह विश्वास करें कि कोई ऐसी भावना या वृत्ति नहीं है कि हर चीज को चूंकि यह विभाग हमारे पास है इसलिये अगर गलत काम हो रहा है तो हम उसका समर्थन करते जायेंगे ऐसी बात नहीं है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि हमारी यह इच्छा है कि जहां कहीं इस विभाग में या अन्य विभागों में कोई भूल दिखाई देती हो, जहां आप समझते हों कि सुधार की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता है, जहां कहीं आप समझ रहे हों कि कोई ग़लती हो रही है और उसे रोकने की जरूरत है तो निजी तौर से मेरे पास और हमारी विधान सभा के द्वारा भी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उसके लिये सुझाव हमें मिलें तो मैं आप को आश्वासन देना चाहता हूं कि उसके सुधार करने की चेष्टा करूंगा। आलोचनाओं से मैं घबराता नहीं हूं। उनसे मुझे लाभ होता है, किन्तु वह आलोचना साधार हो, सुनी-सुनाई और छपी-छपाई बातों के आधार पर अगर आलोचना करनी हैं तो उससे हमारी कोई सहायता नहीं हो सकती।

अब मैं माननीय सदस्य रामायणराय जी से प्रार्थना करूंगा, अनुनय-विनय और नम्रता-पूर्वक उनसे विनय करूंगा कि एक रुपया ४७ लाख में से न लें क्योंकि उससे आपको क्या मिल जायगा? हां, हमारी इस गरीबी में एक मुद्रा कम हो जायगी।

श्री रामायणराय---श्रीमन्, जो मैंने विचार व्यक्त किये थे वह किसी से बायस्ड होकर नहीं, बल्कि जो कुछ हम अपनी दृष्टि से उचित समझते थे उसको हमने सदन के सामने रखा। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि मुझे बहुत क्षोभ हुआ...

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये।

श्री रामायणराय---जी।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जायें और आप कह रहे हैं "जी"। आप बैठ जाइये।

(श्री रामायणराय के बैठ जाने पर।)

इस समय या तो आप कोई परसनल एक्स्प्लेनेशन दे सकते हैं कि ऐसी बात कही गई है जो आपने नहीं कही थी या कटौती के प्रस्ताव के बारे में कह सकते हैं कि आप उसे वापस लेते हैं या नहीं। दो बातों के अलावा और तीसरी बात आप नहीं कर सकते।

श्री रामायणराय---श्रीमन्, हमारे मंत्री जी ने कहा कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया जाय तो इसके ऊपर ही मैं अपना विचार रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप का क्या इरादा है? क्या आप इसको वापस ले रहे हैं?

श्री रामायणराय---मैं इसे वापस ले रहा हूं। मैंने यह कटौती का प्रस्ताव सुझाव देने के लिये और विवाद करने के लिये रखा था।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०---सूचना संचालन कार्यालय--लेखा शीर्षक ४७---विविध विभाग के अन्तर्गत ४७,४६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरथ बहादुरशाह (जिला खीरी)---मुझे एक प्रस्ताव उपस्थित करना है कि आज सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय और अनुदान संख्या १६---जेल पर उस समय में विचार हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---इस पर किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(किसी के न बोलने पर)

तो यह निश्चय हुआ कि आज हम ५ के बजाय ६ बजे तक बैठेंगे।

## अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियां

**समाज सुरक्षा मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन )**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १,४४,८०,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

**श्री सुरथ बहादुर शाह**--प्वाइंट आफ आर्डर, यह महामान्य किसके लिये है ?

**श्री उपाध्यक्ष**--यदि वह राज्यपाल के लिये कोई आदरसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

**श्री मुजफ्फर हसन**--उपाध्यक्ष महोदय, जिस अनुदान की मांग मैंने सदन के सामने रखी है उसकी तफसील में मैं जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझता, इसलिये कि यह अनुदान ऐसा है कि यह सदन खर्च की जो मदें हैं उसको हमेशा ही अपनी उदारता से मंजूर करता आया है। जो कुछ उसमें कमी बेशी हुई है, या कोई नयी मद आयी है उसका ब्यौरा बजट के पन्नों में मौजूद है। उसे दोहरा कर मैं इस सदन का बेशकीमती वक्त लेना नहीं चाहता। इसी के साथ जिस नीति को सामने रख कर जेल का बन्दोबस्त चलाया जाता है या पिछले कुछ सालों में जो उसमें बड़े-बड़े सुधार हुये हैं उसकी तफसील भी यहां रखना कोई जरूरी नहीं मालूम होता, इसलिये कि इस संबंध में जो साहित्य सदन के सामने आ चुका है उसमें वह सब ब्यौरा मौजूद है।

जनरल डिस्कशन के मौके पर कुछ माननीय सदस्यों ने जेल के सम्बन्ध में कुछ अपनी रायों का इजहार किया था, मैं उन्हीं के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। यहां जो कुछ रायें जाहिर की गईं करीब-करीब वे सब ऐसी थीं कि जिनका संबंध सोशलिस्ट सत्याग्रही बंदियों से था। इसलिये इस के सम्बन्ध में मैं कुछ पहले ही बता देना चाहता हूं। १० मई, १९५७ से यह सत्याग्रह शुरू हुआ। उस वक्त से ले कर १८ अगस्त तक १९७१ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए जिनमें से ५६७ सत्याग्रही १५ अगस्त के मौके पर छोड़े गये। ४४६ ऐसे हैं कि जिन्होंने माफी मांगी और रिहा किये गये। १८ अगस्त के बाद जो लोग जेल में बाक़ी हैं उनकी संख्या ५५३ है और इसके अलावा बाक़ी लोग ड्यू कोर्स में जेल से छूट चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सत्याग्रह जारी हुआ उसके बाद से जो सत्याग्रही जेल में आये उनके साथ शुरू से ही कुछ रियायत का बरताव होता रहा। उन्हें गर्मी में बाहर सोने की इजाजत दी गयी। जहां जेल में १५ या उससे ज्यादा सत्याग्रही थे उनको मौका दिया गया कि वह अपना खाना खुद पकावें और उसके लिये बरतन वगैरह का इन्तजाम हुआ। आमतौर पर उनको एक साथ और दूसरे कैदियों से अलग रखा गया। उनको जेल के अन्दर जो मशक्कत दी गयी वह हलकी और मामूली किस्म की थी और इसके साथ यह भी हिदायत थी कि जेल के अन्दर बेड़ी, तनहाई या टाट के कपड़े उनको न दिये जायं। साथ ही साथ उनमें से जिन-जिन खास आदमियों ने इसकी ख्वाहिश जाहिर की कि वे जेल में जा कर जेल का मुआयना करें उस की भी इजाजत दी गयी। मसलन् हमारे उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी....

**श्री उपाध्यक्ष**--मैं समझता हूं यहां पर उपाध्यक्ष का जिक्र नहीं होना चाहिये कोई और विशेष बात हो तो कहें।

**श्री मुजफ्फर हसन**--श्रीमन्, मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी का ही जिक्र कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि जब आप कुछ कहेंगे तो दूसरे सदस्य भी इसको बहस में ले लेंगे। अगर आप किसी विशेष बात के बारे में कहना चाहें तो मेरा नाम लिये बगैर उस बात को कह सकते हैं। जब मैं इस समय चेयर पर हूं तो मेरी दूसरी हैसियत नहीं है।

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने आज ही आप का बयान अखबार में पढ़ा है....

श्री उपाध्यक्ष---आप ने फिर इस पर विवाद शुरू कर दिया है अगर आप दूसरी बात कहें तो अच्छा है।

श्री मुजफ्फर हसन---बहरसूरत मैं उस जिक्र को छोड़ देता हूं। इस सिलसिले में सब से बड़े जो इनके लीडर हैं लोहिया साहब उन्होंने भी ४, ५ जेलों का दौरा किया और मुआयना किया। उनको भी इस तरह की इजाजत दी गई। इसके अलावा और भी १, २ एम० एल० ए० ऐसे हैं जिनको जेल का मुआयना करने की इजाजत दी गयी और मुआयने की जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की उनको भी इजाजत दी गयी। इस सिलसिले में मैं जिक्र करना चाहता था उस खत का जो श्री रामनारायण त्रिपाठी ने मुझे लिखा था। अगर वह इसको भी उसी जुमरे में समझें तो मैं इसको छोड़ देता हूं। अलबत्ता मुझे यह शिकायत जरूर है कि यह रियायत जो दी गई और यह सहूलियत जो दी गयी उसका गलत फायदा उठाया गया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, मेरा यह वैधानिक प्रश्न है और मैं आप की व्यवस्था इस विषय पर चाहता हूं कि यहां पर आप के नाम से उनका कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब इस हैसियत से कहीं किसी जगह जाते हैं तब उनको इसका जिक्र करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब किसी कार्य के लिये अपने व्यक्तित्व को रखते हुये जांय तो उस तरीके पर क्या उनके सम्बन्ध में कहना कोई आपत्ति की वस्तु है?

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी व्यवस्था कई बार माननीय राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में मांगी गयी है। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में उनका जिक्र तब तक जब तक उससे इस बात की सम्भावना न हो कि कोई वादविवाद उठ जायगा, किया जा सकता है। लेकिन अगर इस बात की आशंका हो या सरकार यह समझती हो कि उनके साथ कोई विशेष प्रकार की रियायत की गई है इन सब बातों का जिक्र यहां नहीं हो सकता है कि कोई दूसरे माननीय सदस्य कहना शुरू कर दें कि माननीय मंत्री वगैरह तो जेल का निरीक्षण सरकार की तरफ से करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी जेल का निरीक्षण किस अधिकार से करते हैं, अपने पद के अधिकार से या विधान सभा के सदस्य की हैसियत से। मुझे दुःख है कि अभी इस राज्य में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के बारे में कोई परम्परा कायम नहीं हो सकती है। मैं इस प्रश्न को ले रहा हूं। मैं नेता सदन से और भी माननीय नेताओं से इस सम्बन्ध में बातें करूंगा। मिसाल के तौर पर अभी तक यह तय नहीं है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जिले का दौरा करने के समय जिलाधिकारियों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। इसलिये जब तक यह सब तय न हो जाय तब तक मेरी व्यवस्था कायम रहेगी।

श्री मुजफ्फर हसन---सुविधा का, मुझे अफसोस है, कुछ गलत फायदा भी उठाया गया। जेलों में नारे लगाये गये और वहां ऐसी तकरीरें भी हुईं जिनमें जेल के कर्मचारियों को धमकियां दी गईं। यहां तक हुआ कि बाहर से रुपये, पैसे, चिट्ठी-पत्री और पार्टी के कुछ पैम्फलेट्स भी जेल में बांटे गये। खैर, मंशा तो यह था कि हम जो अच्छा बर्ताव सत्याग्रहियों के साथ कर रहे हैं उसे लोग अपने आप से खुद देख लें और अपने को मुतमइन कर लें कि वहां उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। मुझे खुशी है कि ज्यादातर आदमियों में से मैंने ऐसा किसी का जाब्ते का बयान नहीं सुना जो कि उस बर्ताव के बारे में कोई शिकायत रखता हो।

जो शिकायतें सदन में रखी गयीं उनमें मुख्यतः दो ही बातें कही गईं। एक तो यह कि उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा है और दूसरे यह कि उनको अच्छी गिजा नहीं दी जा रही है, कच्ची रोटियां होती हैं। ठीक पकी हुई नहीं होती हैं। मैं बर्ताव और खाने-पीने की सहूलियत के बारे में बता चुका हूं। फिर भी जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में इस सदन में शिकायत की थी उनके बारे में उन जिलों से रिपोर्ट मांगी गई हैं, न सिर्फ जेल के अधिकारियों से बल्कि जिला मैजिस्ट्रेट से भी। उनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि उनमें से ज्यादातर निराधार बातें कही गयी हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह जो कि अपना बयान देने के बाद खीरी जेल का दौरा कर आये हैं...

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, मेरा यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन है....

श्री मुजफ्फरहसन---वह शायद अपने को समझ रहे हैं, मैं साफ़ कर दूं, श्री अवधेश प्रताप सिन्हा ने यह बात कही थी कि वहां सत्याग्रहियों को इनफलुएंजा की शिकायत हुई और वह इस कारण हुई कि बिल में कोई चूहा मर गया था। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि सत्याग्रहियों को यह आप्शन दिया गया था कि वह खुद अपना खाना पका सकें, लेकिन उन्होंने खुद तो पकाना मंजूर नहीं किया और यह कहा कि उनके आदमी वहां देखेंगे। इसलिये उनके दो आदमियों की देखभाल में खाना बना। दुनिया भर में इनफलुएंजा फैला, और किस वजह से हुआ, इस पर बहुत सी रायें हैं, लेकिन यह एक नई राय निकली कि अगर दाल में चूहा पक जाय तो उससे इन्फ़लूएंजा हो जाता है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि लोगों को पानी की तकलीफ है, एक एक सत्याग्रही को केवल १ घड़ा पानी दिया जाता है जिसमें वह नहाना-धोना सब काम करता है। मेरे पास रिपोर्ट यह है कि एक घड़ा पानी तो फ़ी सत्याग्रही सिर्फ़ पीने के लिये दिया गया। यह जरूर है कि उस जेल में पम्प कुछ बिगड़ गया और उनके लिये दूसरी जगह से भर-भर कर पानी पहुंचाया गया।

एक माननीय सदस्य बेचनरामजी ने शिकायत की थी कि जिसमें खास बात यह थी कि सत्याग्रहियों को जानवरों की तरह से बन्द कर दिया गया है थोड़ी सी जगह में। बनारस जेल से पूछा गया। यह मालूम हुआ कि ८२ सत्याग्रही उस जेल में हैं और वे २ बैरक्स में रखे गये हैं जिनकी कैपेसिटी १०० आदमियों की है। श्री सीताराम शुक्ल ने दो तजवीजें सदन के सामने रखी थीं। एक तो यह कि उनको बाहर सोने का मौका होना चाहिये। इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरी उनकी तजवीज यह थी कि उनको बी क्लास दिया जाय। इस संबंध में मुझे इतना अर्ज करना है कि अब जेल में ए० बी० और सी० क्लास नहीं रहे हैं। सिर्फ २ क्लास हैं, एक सुपीरियर और दूसरा आर्डिनरी। सुपीरियर क्लास मैजिस्ट्रेट के द्वारा या जज के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने सोशल स्टेटस, एजूकेशन, रहन-सहन की आदत, अपने कैरेक्टर और कुछ हद तक जुर्म की नौइयत को देखकर दिया जाता है। इसमें भी कुछ शर्तें सत्याग्रहियों के लिये कम कर दी गईं। मसलन् माली हालत के लिये था कि २५० रुपये की आमदनी वाले को ही दिया जाय। लेकिन यह सख्ती से सत्याग्रहियों के केस में नहीं बरती गई, इसलिये कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। यह सवाल कि पोलीटिकल कैदियों के लिये एक अलग क्लास हो, यह बड़ी पुरानी बहस है। यहां नान-आफिशल तजवीज भी आ चुकी है, इसमें बहुत-सी कठिनाइयां हैं। यह मौजूदा हालत में मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने यह जरूर कोशिश की कि ज्यादातर पब्लिक वर्कर्स को सुपीरियर क्लास हासिल करने में सहूलियत हो। मुख्तसर तौर से जो शिकायतें की गयीं उनके बारे में मैंने सदन के सामने बयान कर दिया। अब मैं उन सुधारों और नयी तजावीज के बारे में जो हमारे सामने हैं, जिक्र करूंगा और जिनका जिक्र न तो उस साहित्य में है जो सदन के मेम्बरों को बांटा गया है और न बजट में ही है।

[श्री मुजफ्फर हसन]

एक तजवीज तो हमारी यह है कि अगले दो-तीन महीनों के अन्दर हम बंदियों की एक कांफ्रेन्स करना चाहते हैं जिनमें कैम्प्स के और जेलों के छटे हुए कुछ लोग होंगे तथा कुछ और भी जो इस वक्त जेलों में हैं, वे होंगे। उनको शामिल करके हम उनकी सलाह और मशविरे से फायदा उठाना चाहते हैं। वहां के तजुरबे से उनके जो सुझाव उस कांफ्रेन्स में होंगे उनको हम जानना चाहते हैं और इस प्रकार का उनको हम मौका देना चाहते हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सदन के लोगों को भी उसमें रक्खा जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन---दूसरी चीज यह है कि सपूर्णानन्द कैम्प्स चल रहे हैं उनके बारे में सदन के सदस्यों को थोड़ी-बहुत वाकफियत है। डेवलपमेंट के कामों में कुछ बंदियों को रखा जाता है और उनको वहां मजदूरी दी जाती है। इस वक्त हम वहां एक बड़ा अमला रखते हैं और उनके खाने, पीने और कपड़े का जो खर्चा होता है, वह उनकी मजदूरी में से काट लिया जाता है। इससे उनके खाने-पीने का स्टेटस जरूर कुछ ऊंचा हो जाता है लेकिन कुछ ज्यादा रकम उनसे कट जाती है। अब यह फैसला किया गया है कि उनकी हिफाजत के लिये जो पी० ए० सी० की बटेलियन रखी जाती थी वह न रखी जाय। फिलहाल ५० बंदी का एक बैच सरकारी कृषि फार्म पर काम करने के लिये भेजा जायगा। वह बिलकुल स्वतंत्र मजदूर की तरह से काम करेंगे। न तो जेल का कोई अमला होगा और न पी० ए० सी० की कोई बटेलियन ही उनकी देख-रेख के लिये होगी। कभी-कभी यह देख लिया जायगा कि जितने आदमी काम करने के लिये भेजे गये थे वे काम कर रहे हैं या नहीं। उनको वह तमाम मजदूरी मिलेगी जो दूसरे मजदूरों को मिलती है। अगर इस प्रयोग में कामयाबी हुई तो इसको ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।

मैं सदन को एक सूचना और देना चाहता हूं वह यह है कि हमने जेल के रिकार्ड्स से पोलीटिकल सफरर्स (फाईटर्स आफ फ्रीडम मूवमेंट) की एक फेहरिस्त तैयार करायी है। वह इस वक्त प्रेस में जा चुकी है। लेकिन उसमें हमें बहुत-सी खामियां महसूस होती हैं। मैं इस सदन में उसकी चर्चा यूं कर रहा हूं कि हम उन कापियों को उन लोगों को जो इस सदन में पोलीटिकल पार्टीज के हैं या जिनके लोगों ने उस स्ट्रगिल में हिस्सा लिया है उनको जिलेवार कापी देकर, उनसे इस संबंध में सलाह लेना चाहते हैं और कब्ल इसके कि वह मुकम्मल हो, उसमें जो कमियां हैं उनको मालूम करना चाहते हैं।

इसी के साथ-साथ एक यह भी योजना है कि खास-खास जेलों में जो खास-खास व्यक्ति रहे हैं उनके नामों की एक तख्ती उन जेलों में लगा दी जाय और साथ ही उस जमाने का जो रिकार्ड है, जो इन लोगों से ताल्लुक रखताहै, उसको एक जगह इकट्ठा करके किसी एक जेल में म्यूजियम बनाकर रखने का इरादा है।

इन चन्द शब्दों के साथ में अपनी डिमांड को सदन के सामने पेश करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि सदन उसको इत्तफाक राय से पास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस अनुदान के लिये भी पूर्व अनुदान की तरह ही समय का विभाजन हो, लेकिन कोई खास माननीय सदस्य अगर दिलचस्पी लेंगे और मुझसे निवेदन करेंगे तो मैं उस समय समय बढ़ा दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अनुदान संख्या १६--जेल-लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी ने जो वित्तीय वर्ष सन् १९५७-५८ के लिये अनुदान मांगा है, उसमें १ रु० की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। इसका लक्ष्य है अपनी ओर से सुझाव देना और एक सुदृढ़ वाद-विवाद प्रस्तुत करना।

श्रीमन्, अभी हाल में माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जिस समय आम बहस हो रही थी, उस सिलसिले में बहुत सी बातों का जिक्र किया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि उन दिनों मैं माननीय मंत्री जी के जेल में था, यहां नहीं था। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने आज जो-जो प्रश्न हमारे आदरणीय सदन के सदस्यों ने उठाये थे उन पर जो अपने भावों को व्यक्त किया, उनमें उन्होंनें हमारे सोशलिस्ट सत्याग्रह के सम्बन्ध में काफी विवरण प्रस्तुत किया। मैं तो यही समझता था कि माननीय मंत्री जी पहले अपना लेखा-जोखा पेश करेंगे और बाद में सोशलिस्ट सत्याग्रह के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, श्रीमन्, कि सत्याग्रही जो जेलों में रहे उसका उनके ऊपर इतना असर पड़ा कि पहले लेखा-जोखा का हिसाब न पेश करके उन्होंने पहले सत्याग्रहियों की फ़िक्र करके उनके विषय में अपना मत और अपनी सूचना देना उचित समझा। श्रीमन्, उन्होंने फरमाया कि पूरे प्रदेश में १९७१ सत्याग्रही बन्द थे। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्यगण याद रखते हों तो जैसा कि मुझे खयाल है कल ही हमारे माननीय गृह मंत्री ने जेलों में बन्द सत्याग्रहियों की संख्या २९७१ बतलायी थी। मगर माननीय मंत्री जी ने ····

श्री मुजफ्फर हसन——अगर मैंने १९७१ कहा हो तो २९७१ कर लें।

श्री उग्रसेन——मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने उसे ठीक कर दिया। श्रीमन्, ५६७ ऐसे सत्याग्रही रहे, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बतलाया, जो १५ अगस्त को छोड़े गये। श्रीमन्, मैं बतलाना चाहता हूं कि जितने सत्याग्रहियों २० मई के अन्दर सत्याग्रह किया, उनकी सजा काफी बीत चुकी थी, एकाध रोज ही बाकी थी, उन्हीं को १५ अगस्त को छोड़ा गया है। अगर माननीय मंत्री जी का संकेत कहीं पर रेमिशन से हो तो उसमें ऐसी बात नहीं है। श्रीमन्, वहां माफीनामा भी खूब लिखवाया गया है। यह मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि जेल से आने के बाद मुझे अवसर मिला कि मैं यह कटौती का प्रस्ताव पेश कर सकूं। श्रीमन्, जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश की जेलों में माफीनामा लिखवाया गया है वैसे माफीनामे का उदाहरण तो अंग्रेजी जमाने की जेलों में भी नहीं मिलता, बम्बई, कलकत्ता और दूसरी जेलों में भी नहीं मिलता। श्रीमन्, देवरिया जिले का किस्सा मैं आपको बतलाऊं कि २२ औरतों को वहां के जेलर साहब ने अपने पास बुलवाया और वहां पर माफीनामे का बिल-कुल प्लेन परफारमा स्त्री सत्याग्रहियों को देकर कहा गया कि इस कागज पर दस्तखत कर दो। इसके सबूत भी मौजूद हैं। वे ही स्त्रियां बाहर आने पर सत्याग्रह करके फिर जेल गयीं और देवरिया जेल में एक-एक महीने की सजा भुगत रही हैं। इसी तरह से गोरखपुर, फतेहगढ़, की प्रतापगढ़ जेलों में जेल अधिकारियों द्वारा जितने जुल्म और यातनायें हुईं, मैं समझता हूं कि यह रामराज्य या समाजवादी राज्य बनाने वाले राज्य के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। जो सुधार जेल में किये गये हैं मुझे दुख है कि वह नहीं के बराबर हैं और वहां कोई भी खास सुधार नहीं हुआ है। एक बात जरूर हुई कि पहले जेल में जो लाठी चार्ज होता था वह किसी खास बिना पर होता था, लेकिन गोरखपुर जेल में जो लाठीचार्ज हुआ आज तक सरकार उसका पता लगा पाई या नहीं, हमारे सामने बात नहीं आई कि उसका क्या कारण था। वहां पर कामरेड रामचन्द्र शुक्ल जैसे विद्वान् और पढ़े-लिखे आदमी मौजूद थे, उन्होंने हर तरह की मिन्नतें कीं लेकिन डंडे बरसाये गये। इसी तरह से प्रतापगढ़ में रामचन्द्र नाम के सत्याग्रही को अस्पताल में बेड पर पीटा गया। इटावे के उस बहादुर सत्याग्रही साथी राम सिंह को आगरा जेल में रखा गया था और वहां के अत्याचारों से वे शहीद हुए और उनको दवा तक नहीं मिल सकी।

आज सन ५७–५८ में जेल की यह प्रशासन-व्यवस्था सन्तोषजनक कही जा सकती है? जिस सरकुलर का मंत्री जी ने जिक्र किया मैंने भी उसको देखा था, उस होम डिपार्टमेंट के सरकुलर में लिखा था कि अगर किसी जेल में १५ से ज्यादा सोशलिस्ट सत्याग्रही हों, वह कम्यु-निस्टों के लिए नहीं था, तो उनके लिये बर्तनों का प्रबन्ध जरूर किया, जाय लेकिन शर्त यह है कि उसकी एक्स्ट्रा कास्ट न हो यानी अतिरिक्त धन का व्यय न हो तो बर्तनों का इंतजाम किया जाय

[श्री उग्रसेन]

लेकिन सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ने उसका भी यह इन्टरप्रिटेशन किया कि अगर १५ भी हों तो वह भी न लाये जायं। यह तो वही बात हुई कि 'ए पाउन्ड आफ फलेश बट नो ब्लड।' इस तरह का सरकुलर गया और उसके लिये मंत्री जी फरमाते हैं कि सबके लिये सोने और खाने का इंतजाम कर दिया गया था। जो सोशलिस्ट नहीं थे उनको कम्युनिस्ट कैदियों की बस्ती (बैरक) में बन्द किया जाता था। जो भाई जेल से लौट कर आये हैं उन्होंने वहां की हालत भी मुझे बताई। वहां पर १८ नम्बर तक के मिक्सचर हैं आगे नहीं हैं। १-२-३-१४ मिक्सचर हैं बाकी नहीं हैं। वहां चारपाई पहुंचे साल भर हुआ लेकिन बिस्तरे नहीं पहुंचे। पारसाल बाढ़ के सम्बन्ध में हम वहां गये थे तो देखा था कि बेहद वहां पर बदइंतजामी है। गन्दगी भी बहुत है और उसके कारण इंफलुऐंजा और हैजे की बीमारी देवरिया में हुई जिससे उसमें गरीब कैदी मरते-मरते बचे। दवादारू का यह प्रबन्ध है कि हमारा रामसिंह साथी आगरा जेल में हमसे बिछुड़ गया। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप ऐसा क्लासीफिकेशन कीजिये कि एक क्लास राजबन्दियों की ४-६ आने की डायट वाली ही बना दीजिये, अंग्रेजी राज्य में राजनीतिक बंदियों की एक क्लास थी लेकिन जब से हमारे उस जमाने के साथी सरकार में बैठे हैं, वह नहीं है, पहले उन की एक बंधी हुई डायट थी लेकिन अब कोई खास राजनीतिक कैदियों के लिये व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह कम से कम राजनीतिक बंदियों के लिये कुछ आने की एक ऐसी डायट बना दें जिससे मालूम हो कि यह चीज राजनीतिक बंदियों के लिये है क्रिमिनल्स के लिये नहीं है। श्रीमन्, जेलों के सिलसिले में बहुत कुछ बातें कहीं गयीं। यह भी कहा गया कि बहुत-सी शिकायतें जब जिलाधीश महोदय ने जांच कीं तो निराधार निकलीं। शिकायतें तो इतनी हैं कि हमारे सत्याग्रही जो जेलों से छूट कर आये हैं, अगर उन पर किताब लिखें तो माननीय सूचना मंत्री जी के विभाग को बड़ी परेशानी होगी उनको छापने में। मैं क्या बताऊं, कानून यह है, कि जेल का फल जेल की प्रापर्टी है। अगर सुपरिन्टेन्डेन्ट भी खाता है तो डाली का दाम दे दे, तभी वह खाये। लेकिन श्रीमन्, सारे आम, कटहल जेल के अधिकारी खा गये और पता नहीं रजिस्टर की जांच कराने की व्यवस्था की गयी है या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि अभी तीन महीने के अन्दर इस फसल के अन्दर आम, कटहल, जामुन जितने फल उत्तर प्रदेश के जेलों में थे उनका क्या उपयोग हुआ? यदि वह बेचे गये तो कितना धन उससे राजस्व में जमा हुआ। क्या बताऊं, जितना अन्न आता है, कैसा आता है। माननीय मंत्री जी ने फरमाया अवधेश कुमार सिनहा ने चूहे की बात कही। हमारे यहां तींगुर पड़ा था और केचुआ पड़ गया था। डाक्टर सिनहा ने जेल से निकलने के बाद सीतापुर में अपना बयान दिया कि उनके यहां चूहा पड़ गया था। मुझे संदेह होता है कि कहीं हाथी और घोड़े न पड़ जायं, क्योंकि यह चक्कर है और चक्कर का मामला बड़ा बुरा होता है।

जेलों के भंडारों में जो उनके दलाल होते हैं वे ही रखे जाते हैं। फ्रांस में और जब यहां पर राजे-महाराजे और हिज हाईनेस थे तो हरम में एक अविश्वास का वातावरण पैदा होता था। वैसा मैंने उत्तर प्रदेश की जेलों में देखा। आज भी सुबह से शाम तक एक-दूसरे की शिकायत और उनकी दलाली की जिन्दगी है, भंडारी दलिया और तरकारी चाटते रहते हैं। मेरा एक सुझाव है और आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से मैं यह अर्ज करूंगा कि वह लिख करके भी माननीय मंत्री जी को दें कि जेल का जो भंडारा है उसमें स्थायी कर्मचारी जरूर रखे जायं ताकि वह अपनी कुछ जिम्मेदारी महसूस करें और जेलर साहब की दलाली न करने पायें। जेल के अस्पतालों में, वह जेल, जहां सुपरिन्टेन्डेन्ट हास्पिटल इंचार्ज है उन जेलों की व्यवस्था का क्या कहना। माननीय मंत्री जी को यह जान कर बड़ी परेशानी हुई कि एक बैरक जिसमें ५०-६० आदमी रहते थे उसमें ८०-१०० आदमी रखे गये। यही नहीं, ४० की बैरक में १२० बन्द हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं दो मिनट चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---बोलिए ।

श्री उग्रसेन---जहां तक जेल के कर्मचारियों का सवाल है मुझे यह अर्ज करना है कि जेल के उच्चाधिकारी जहां दो हजार रुपये पाते हैं जेल का वार्डर ३०-१-४५ के वेतनक्रम में है । २४३ ऐसे कर्मचारी हैं जो अस्थायी है । उनको स्थायी किया जाय । उनसे काम ८ घंटे नहीं १२ घंटे लिया जाता है । ६-६ घंटे की दो बार ड्यूटी ली जाती है ।

कंजरवेंसी की हालत बड़ी खराब है । उसे देख कर हमें मुंह बन्द करना पड़ता है । जेल मंत्री जी जरूर इसका खयाल रखेंगे । जेल में फार्म्स हैं । श्रीमन्, मैं कुछ आंकड़े देता हूं । १९५४ में ३ हजार १७ मन अनाज हुआ और १९५५ में ३ हजार ३ सौ ९९ मन हुआ । भूसे में भी कुछ हजार का फर्क पड़ गया । जेल के फार्मों में भ्रष्टाचार है । माननीय मंत्री जी उस पर भी ध्यान रखें ।

जेलों में जो चीजें बनती हैं, इंडस्ट्री के लिए माननीय मंत्री जी ने अनुदान में कम पैसा मांगा है । उसमें ज्यादा पैसा होना चाहिए और ज्यादा शिक्षा कैदियों को दी जाय ।

बाहर जो कैदियों की बस्तियां हैं उनकी इनसैनिटरी कंडीशंस हैं, उनके रहन-सहन की हालत भी बहुत खराब है । उधर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें । डाक्टर सम्पूर्णानन्द कैम्प, चुर्क में इनफ्लुएंजा की बीमारी हुई और उन पर जुरमाना हुआ है । ६० प्रति कमाई खाने और जुरमाने में वसूल कर लिया गया वहां कर देने की हवालात बना कर कैदियों को अफसरान ने उसमें खड़ा कर दिया ।

ये हैं हमारे आदर्श कैम्प । मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इन आदर्श कैम्पों को देखें । श्रीमन्, मेरा समय हो गया मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे २, ४ सुझावों पर जरूर गौर करेंगे और राजनीतिक कैदियों की डायट की एक सीमा जरूर बांधने का कष्ट करेंगे ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उग्रसेन जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों के जमाने से आज की जेलों का वातावरण अवश्य कुछ परिवर्तित हुआ है । इस प्रांत की कई जेलों को देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में काफी लम्बे अरसे तक जेलों में रह चुका हूं । मुझे निश्चित रूप से इस बात की अनुभूति हुई है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ परिवर्तन हुआ है । आदर्श जेलों की स्थापना सम्पूर्णानन्द शिविर में कैदियों से काम लिया जाना या दूसरे कुछ नये ऐक्सपेरीमेंट्स यह सरकार कर रही है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं । लेकिन आज के बोलने का जो मेरा मुख्य विषय है वह है राजनीतिक बन्दी वर्ग बनाने का । आपको उपाध्यक्ष महोदय, याद होगा कि ५ वर्ष पहले इस सदन में वादविवाद तीन दिन तक हो चुका है । वे सारे तर्क जो यहां उस समय दिये गये थे उनकी पुनरावृत्ति करने का यहां अवसर नहीं है । लेकिन मैं तब से और शायद पहले से भी और आज भी इस बात को महसूस करता हूं कि इस सरकार को अपनी हठधर्मी और जिद को छोड़कर पोलिटिकल प्रिजनर्स क्लास की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिये, और उसको मानना चाहिये । पोलिटिकल प्रिजनर्स कौन हों और कौन न हों, यह विवाद का विषय है लेकिन इस पर कोई न कोई रूपरेखा सरकार को बनानी होगी । इस विषय पर जो उसके कानूनी अधिकारी हैं उनसे वह राय ले सकती है, अगर वह उचित समझती है तो विरोधी पार्टीज के लोगों से भी इसमें राय ली जा सकती है क्योंकि हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने से इस प्रकार की एक परम्परागत मांग रही है और आज भी की जाती है ।

[श्री झारखंडे राय]

हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र की प्रणाली स्वीकार कर ली गई है और आज इसी हिन्दुस्तान में एक प्रदेश केरल में एक पार्टी की हुकूमत है और दूसरे सूबों में दूसरी पार्टी की। तो ऐसी हालत में जब कि सरकार की टक्करें कुछ पोलिटिकल पार्टियों से है, जिसमें हम विश्वास करते हैं, सरकार एक खास प्रकार की सामाजिक प्रणाली देश में स्थापित कर रही है। यह सरकार हमको अपना पोलिटिकल विरोधी मानती है तो उस हालत में जनता की आर्थिक और राजनीतिक मांगों को ले करके इस सरकार से टक्करें होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, आज भी हो रही हैं, भूत में भी हुई हैं और कल को भी होंगी। इस अनिवार्य सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालत में जब विशिष्ट पोलिटिकल पार्टीज अलग-अलग अथवा संयुक्त मोर्चे के रूप में सरकार से कुछ आर्थिक मांगों को लेकर या राजनीतिक मांगों को लेकर टक्कर में आती हैं और उनके कार्यकर्त्ता जेल में जाते हैं तो उनके साथ क्या वही बर्ताव होगा जो मामूली साधारण कैदियों के साथ होता है या खास बर्ताव होगा? यह मेरा मुख्य विषय है और ५ वर्ष पहले भी इस पर एक गैर-सरकारी विधेयक द्वारा विशेष रूप से ध्यान में खींच चुका हूं। यही सरकार १९४७ में मदहे सहाबा और तबर्रा आन्दोलन के बंदियों के साथ विशेष बर्ताव कर चुकी है, उनके लिये अलग प्रकार की व्यवस्था कर चुकी है, यही लोग जो आज हुकूमत में हैं तब भी थे? तो क्या उन साम्प्रदायिक संस्थाओं के आन्दोलन करने वाले लोगों से बदतर हालत राजनीतिक बंदियों की हो? मैं समझता हूं इसको दूर करने की तरफ सरकार को कदम बढ़ाना चाहिये। जब सरकार मानती है कि एक समय आ सकता है, और नमूना भी आज हमारे सामने केरल में पेश हो गया, कि यहां के लोग वहां बैठ गये, अगर सरकार इस तरह की पोलिटिकल प्रिजनर्स क्लास बनाती है तो मैं समझता हूं उनके लिये भी लाभप्रद होगा। इसलिये इस स्थिति को स्वीकार करके पोलिटिकल प्रिजनर्स क्लास बनाने की तरफ सरकार को अब आगे बढ़ना चाहिये। वे ही तमाम तरह के तर्क जो अंग्रेज दिया करते थे, जब हम सब मिल कर आन्दोलनों में हिस्सा लिया करते थे, जबकि अमर शहीद यतीन्द्र नाथ दास और विजयाफुंगी ने लम्बी-लम्बी भूख हड़तालें करके अपनी जानें कुरबान कर दीं और इस देश के कोने-कोने में जेलों में राजबंदियों द्वारा लम्बी-लम्बी भूख हड़तालें हुईं, उसी प्रकार के तर्क आज भी कांग्रेस सरकार द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। यह एक बड़े अफसोस की बात है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पोलिटिकल प्रिजनर्स क्लास बनाने में कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? तीन दिन की बहस के समय भी मेरी समझ में यह बात नहीं आई और आज भी नहीं आई। मैंने उस समय यह प्रस्ताव पेश किया था और माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब गृह मंत्री थे तो मैंने कहा था कि खुदा के नाम पर आप पोलिटिकल प्रिजनर्स क्लास को बनाना स्वीकार कर लें। हम कम्युनिस्ट्स को उसमें से निकाल दें और नान कम्युनिस्ट पोलिटिकल प्रिजनर्स को ही यह क्लास दे दें और अगर हम में दम खम होगा तो हम उस क्लास को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस चीज को आप सिद्धांतः स्वीकार कर लें।

आज मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह में वह चीज उभाड़ कर सतह पर ले आई गई है। अब वह सैद्धांतिक प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि व्यावहारिक प्रश्न हो गया है। जो दिक्कतें जेलों में हुई हैं, जो दिक्कतें सोने में होती हैं, थोड़ी जगह में अधिक आदमियों को ठूंस देने में होती है उसे देख कर आज यह केवल सैद्धांतिक प्रश्न तक ही सीमित नहीं रहता, इस व्यावहारिक सिद्धांत को हम सरकार से मनवा नहीं सके हैं, सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। इस स्थिति से आंख मूंदना, इससे इन्कार करना इस बात का परिचायक होगा कि सरकार जिद और दुराग्रह पर अड़ी हुई है वरना एक प्रांत व्यापी आन्दोलन हो जाने के बाद, जो आन्दोलन कि आर्थिक मांग को लेकर चलने के बजाय मुख्यतः पोलिटिकल मांग को लेकर चला उसके लिये जेलों में पोलिटिकल प्रिजनर्स क्लास को खोलने की मांग को अब नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। मैं माननीय गृह मंत्री से इस बात का आग्रह करूंगा कि हमने जो चीज ५ वर्ष पहले उठाई थी और जो बीच में अनेक बार उठाई

जा चुकी है और जब कि इस प्रश्न को एक सत्याग्रह आन्दोलन ने एक स्तर पर उभार कर हमारे सामने व्यावहारिक रूप में रखा है तो असलियत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और उस पोलिटिकल प्रिजनर क्लास को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये। जब राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रजातंत्र देश है तो राज्य सरकारें बदलती रहेंगी। जो परम्परा आज अपना ली जायगी वही आगे बहुत समय तक भी कायम रहेगी। पोलिटिकल प्रिजिनर क्लास का फायदा आज हमको होगा तो कल उनको (कांग्रेस जनों को) भी हो सकता है।

*श्री रामलक्षण (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जेल के मंत्री महोदय ने जो बजट उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात की खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत दिनों से हमारे भीतर व्याप्त भावनाओं को स्वयं महसूस किया और उन्होंने अपने बजट के भाषण के समय इस बात पर घोषणा की कि हम स्वतंत्रता के सैनिकों की सूची तैयार करा रहे हैं। उन्होंने जेल के कैदियों के सुधार के लिये भी बहुत सारी योजनायें अपने वक्तव्य में पेश कीं उसके लिये भी मैं उनको बधाई देता हूं।

साथ ही साथ मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बैठ कर किसी एक जेल की घटना या किसी व्यक्ति के ऊपर बीती हुई बातों को ले कर आज इस बजट के अवसर पर विचार करना शुरू करेंगे तो वे स्वयं अपने को धोखे में डालेंगे और इस सदन को भी दूसरे रास्ते पर ले जाने के भागी कहे जा सकते हैं। ऐसी घटनायें जहां पर प्रबन्ध चल रहा है, हो सकता है कि हो गयी हों, लेकिन इन घटनाओं का अपना अलग स्थान है, जिन पर अलग विचार किया जा सकता है यहां तो जेल का बजट पेश है।

जेल में जुर्म करने वालों को बन्द किया जाता है। क्यों वे बन्द किये जाते हैं, उनको किस प्रकार से रखा जाना चाहिये, उनके रख-रखाव में क्या कमी है, जिस उद्देश्य के लिये उन्हें जेलों के अन्दर बन्द किया जाता है उसकी पूर्ति जेल में बन्द रह कर माननीय मंत्री महोदय के शासन में होती है या नहीं होती, हमें आज इस पर विचार करने की आवश्यकता थी। मैं समझता हूं, जेल में जुर्म करने वालों को आज केवल इसलिये बन्द किया जाता है कि हम उसे जेल में रख कर के समाज से अलग करें, उसको इस प्रकार की शिक्षा और दीक्षा दें जिससे वह समाज के लिये उपयोगी बन सके, हम उसको सुधार सकें, हम उसके भीतर छुपी हुई बुराइयों को दूर कर सकें। हम इसलिये जेल में किसी को बन्द नहीं करते जिससे उसको कष्ट हो और उस कष्ट से वह घबरा करके कुछ और बातें सोचना शुरू करे? तो जो उद्देश्य आज दंड देने का है वह वहां कहां पूरा होता रहा है, हमें आज उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं नहीं जानता, जेल के कर्मचारियों को स्वयं इस उद्देश्य से मंत्री महोदय अवगत करा पाये हैं या नहीं कि जेल में जिसको बन्द करके रखा जाता है, उसको दंडित करने के लिये नहीं रखा जाता, बल्कि उसका सुधार करके उसको आदमी बनाने के लिये रखा जाता है। अगर उनके कर्मचारी और उनके जेल के शासन चलाने वाले लोगों का मस्तिष्क साफ होगा, वह अपने इस उद्देश्य को ठीक प्रकार से समझ लिये होंगे तो जेल के भीतर बन्द कैदियों का अवश्य ही सुधार होगा, और अगर इसमें वह पिछड़े हुये होंगे, तो मेरा विश्वास है कि यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा, जुर्म बढ़ता जायगा, नये जुर्म करने वाले पुराने जुर्म करने वालों के साथ जेलों में मिलेंगे, वहां पर षड़यंत्र करेंगे, वहां पर नयी-नयी चीजें सीखेंगे और बाहर आ करके वह नये-नये तरीकों को अपना करके ज्यादा कष्ट देने वाले साबित होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम लक्ष्मण]

जेल में खाने पीने का कोई महत्व नहीं होता। "ए" क्लास "बी" क्लास, "सी" क्लास के द्वारा लोगों को भौतिक पदार्थों के उपलब्ध करने में थोड़ी सी सुविधा या असुविधा हो जाया करती है, किन्तु जेल में भौतिक पदार्थों की कमी या बाहुल्यता का कोई भी असर जेल के कैदियों पर नहीं पड़ता। हम स्वयं भी जेल में रहे हैं और जेल में हर तरह की मुसीबतें झेली हैं। छोटी क्लास से लेकर उच्च क्लास तक में रहे हैं, लेकिन हमने महसूस किया है कि इनसान इससे जिन्दा नहीं रहता कि उसको क्या खाना दिया जा रहा है, बल्कि वह उससे जिन्दा रहता है कि वह किस महान उद्देश्य के लिये जेल में आया है। अगर जेल में ठीक काम के लिये गया है तो उसको एक उल्लास रहता है, एक आनन्द की अनुभूति रहती है और उसी आनन्द की अनुभूति में वह जेल को महसूस नहीं करता। लेकिन जो आदमी बुरा कर्म करके जाता है, उसको एक ग्लानि होती है और उस ग्लानि के बाद वह सुधार का रास्ता बनाने की चेष्टा करता है। अगर इस तरह के पाप करने वाले की वहां जाकर प्रवृत्ति नहीं होती, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को जेल देना बिलकुल ही बेकार साबित होगा।

बहुत सी बातें विवाद के अवसर पर दूसरे पक्षों से कही गयीं। उन तमाम चीजों पर सुझाव के रूप में जो बातें कही गयी हैं, मंत्री महोदय स्वयं विचार करेंगे। मैं केवल इतना ही उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो जेलों की योजनायें चल रही हैं उनमें जेलों को स्वावलंबी बनाने की चेष्टा करना भी एक बहुत ही आवश्यक कार्य हो सकता है। जितने भी बन्दी जेलों में बन्द रहते हैं, उनसे काम लिया जाता है, लेकिन उनका जो काम है वह कितना हमें फल देता है, इसका बहुत ही ध्यानपूर्वक लेखा-जोखा लेने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, मैं आज इस सदन के समक्ष आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस मौलिक प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इस विवाद का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---सदन ने अपने पहले प्रस्ताव पर पुनः विचार किया और यह तय किया कि सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय। माननीय सदस्य अब पांच-पांच मिनट बोलें तो आसानी होगी क्योंकि कई माननीय सदस्यों के नाम बोलने के लिये आये हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, इस मौलिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप यह न भूलें कि इसी भारतवर्ष में एक समय था जब कि अंग्रेज हुकूमत करता था और जब कि आप आन्दोलन करते थे तो आपके दृष्टिकोण से ठीक था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन अंग्रेज के नुक्ते नजर से वह हाई ट्रेजन था और वह क्षम्य नहीं था। यही कांग्रेसी सरकार मदे साहबा और तबर्रा के समय बहुत सी सुविधायें दे सकी है। महात्मा जी के हत्याकांड के समय जब गिरफ्तारियां हुईं तो उनके साथ वही सहूलियत बरती गईं जो कि बाद में आप कम्युनिस्टों को देने में, सोशलिस्टों को देने में और प्रजा शोसलिस्टो को देने में या किसी भी विरोधी दल को देने में हिचकते हैं।

मान्यवर, यह कहना विवादग्रस्त हो सकता है कि पोलिटिकल प्रिजनर कौन हो? लेकिन यह सिद्धांत कि उसको एक अलग क्लास दी जाय जो क्रिमिनलस् से अलग हो, माना जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में दो रायें नहीं हो सकती हैं। आज मुख्य मंत्री जी हम से एक ट्रूस चाहते हैं, एक समझौता चाहते हैं और हम उनको आमंत्रित करते

हैं कि जिस पार्टी से उनको भय है वह इस दायरे से बाहर निकल जायगी और उसको यह कहने का मौका रहेगा कि हम अपना त्याग करते हैं और इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाय।

यह बात मैं मानता हूं कि पोलिटिकल प्रिजनर्स के लिये आपके पास पहले की सी ए०, बी०, सी० क्लासेज नहीं हैं। सिर्फ दो क्लास हैं एक सुपीरियर और दूसरी आर्डीनरी आपको इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि आप उनको चार आने या छै आने जैसा भी बाजार रेट हो खाने की कीमत निर्धारित कर दें, जो उनको दी जाय। आप भले ही उनको सुपीरियर क्लास न दें। इससे उनकी तकलीफें दूर हो सकेंगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि एक तरफ आपने रूल्स रिलेक्स कर दिये हैं कि जिनकी आमदनी २५० रुपये नहीं है उनको भी सुपीरियर क्लास दिला रहे हैं। दूसरी जगह यह तकलीफ देही है कि आपको आपत्ति है, घोर आपत्ति है कि यह सुविधायें और बढ़ा दी जायं। अगर आप इस सिद्धांत पर कायम रहे होते और किसी के साथ कोई सहूलियत न दिये होते तब तो बात दूसरी थी। लेकिन जब एक मर्तबा आप सुविधा दे चुके हैं तो मैं दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब आपने वह मार्ग अपना लिया है तो ऐसे सत काम में न तो कोई आपकी हंसी है और न कोई फाल्स नोशन आपके मन में आना चाहिये। सरकार के सामने हर प्रश्न पर उसकी प्रेस्टीज का, उसके स्वाभिमान का सवाल आ जाता है। लेकिन आप यह न भूलें कि वस्तुस्थिति के विरुद्ध चल कर आप बहुत दिनों तक अपनी जगह पर सुरक्षित नहीं रह सकते।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—थोड़ा सा समय और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—सदन ने अपना समय सवा ६ बजे तक रखा है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, सदन को आपत्ति नहीं है मेरे बोलने पर तो आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हां, अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मैं बैठ जाऊं नहीं तो मैं बोलता रहूं और आप और सदन सुनते रहें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह चाहता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी का इसमें प्रतिनिधित्व हो जाय और सदन समय की सीमा सवा ६ बजे तक का बांध चुका है। तो उसके आगे मैं जा नहीं सकता। इसलिये मैं कैसे आपको अधिक समय दूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मेरी विशेष परिस्थिति यह है कि मैं स्वतंत्र हूं। मैं सबकी नुमाइन्दगी कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—एक आध मिनट आप और ले लें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर मुझे आज सरकार का ध्यान जुविनाइल डेलिन्क्वेंसी की ओर विशेष रूप से दिलाना है। आप इस दिशा में कुछ कदम उठा चुके हैं और उन्नति भी की है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां पर आपके जूनियर हाईस्कूल हैं उसमें आप सकेंडरी हाई स्कूल रखिये जैसे कि बरेली में एक जगह है। आज जुविनाइल डेलिन्क्वेन्सी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह किस तरह से दूर की जा सकती है इस पर सरकार और आपोजीशन ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें जिससे भविष्य में इन बच्चों को हम एक सुन्दर नागरिक के रूप में परिणित कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उग्रसेन जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और उसके समर्थन में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे बड़ा दुःख और अफसोस है कि माननीय जेल मंत्री ने अपने भाषण में गोरखपुर, प्रतापगढ़ तथा फतेहगढ़ की जिला जेलों में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर जो लाठी चार्ज किया गया था उसका जरा भी तजकिरा नहीं किया। इस माने में मैं माननीय गृह मंत्री को अच्छा समझूंगा कि उन्नाव के दो पुलिस कांस्टेबिलों के दुर्व्यवहार को उन्होंने अपने सिर पर रखा और सदन में उसके लिये माफ़ी मांगी और खेद प्रकट किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि माननीय जेल मंत्री महोदय ने जेल में लाठी चार्ज का हवाला तक नहीं दिया। मैं जानता हूं कि ये बातें छिपाने की कोशिश की जाती हैं और ये होती इसलिये है कि जेल अथारिटीज के एटीट्यूड में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा व्यवहार अंग्रेजों की हुकूमत में उनका था वही आज भी है। राजनीतिक बन्दियों के साथ जिस तरह का अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यवहार ब्रिटिश काल में होता था वही आज कांग्रेस की हुकूमत में भी हो रहा है। जेल के अन्दर बिला कारण राजनीतिक बन्दियों पर लाठी वर्षा करना, उनको घसीटना और उनके बदन पर चोट पहुंचाना, यह इन्सानियत के परे है और मैं चाहूंगा कि कम से कम मंत्री महोदय जब जवाब देने खड़े हों तो जरूर इसका हवाला दें या तो वे इन्कार कर दें कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ और अगर हुआ है तो उसके लिये इस सदन में खेद प्रकट करें और माफ़ी मांगे।

श्रीमन्. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी तारीफ अपनेजेल के इंतजाम के बारे में की है। एक जिन्दा मिसाल है। नटवरलाल, चीट, मंत्री जी की हुकूमत में, उनके इंतजाम में जेल से भाग जाता है यह इंतजाम का सब से बड़ा दिवालियापन साबित करता है। डिमोक्रेसी का माना हुआ सिद्धान्त है कि ऐसे इंसीडेंट पर, ऐसी घटना पर विभाग के मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये था। जेल के जो हाकिम हैं उनके व्यवहार में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज देश स्वतंत्र है। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि कानून के अन्तर्गत जो सुविधायें जेल में कैदियों को मिलनी चाहिये वह भी नहीं मिल रही है। खास तौर से राजनीतिक बन्दियों के लिये कहना चाहता हूं। हमारे मन्त्री जी ने बड़े नाज से कहा कि उन्होंने सोशलिस्ट सत्याग्रहियों को हवालात तथा बैरकों के बाहर सोने की इजाजत दे दी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपने कानूनों को बदलना होगा। आप कोई रियायत न दिखाइये, पूरे जेल मैनुअल को, जेल रूल्स को और जेल ऐक्ट को मौजूदा हालात की बिना पर सब को तबदील करिये। जेल में चाहे कोई हो, सत्याग्रह करके, कानून तोड़ कर जेल में रहने के लिये जाता है तो यह बात आप क्यों भूल जाते हैं कि वह आप की जेलों की चहारदीवारी कूद कर भाग नहीं जायेगा। यहकोई बड़ी मेहरबानी नहीं है जो आपने उन्हें बाहर सोने का अधिकार दे दिया। फिर हैसियत की कसौटी बना रखी है राजनीतिक बन्दियों को सुपीरियर और आर्डिनरी क्लास में रखने के लिये। मुझे बहुत अफसोस है और दुःख इस बात का है कि आज सोशलिस्ट सत्याग्रह के सिलसिले में कुछ ऐसे इज्जतदार और रेस्पेक्टेबिल व्यक्ति हैं, कांग्रेस राज्य के जेलों में जिनकी हैसियत के बारे में कोई संदेह कर नहीं सकता और कोई विवाद नहीं हो सकता। उनको भी आज आर्डिनरी क्लास में रखा गया है। श्री गोपाल नारायण सक्सेना तथा श्री राजनारायण, जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं और इस आदरणीय सदन के बहुत से और भी सदस्य जो सोशलिस्ट सत्याग्रह के सिलसिले में जेलों में हैं उनको आपने आर्डिनरी क्लास में रखा है जिनको नहीं रखना चाहिये था।

**श्री उपाध्यक्ष**---(श्री देवनारायण भारतीय से) मैं आपको इस शर्त पर समय द रहा हूं कि माननीय उग्रसेन जी जो कटौती के प्रस्तावक हैं वे भी कुछ अपने समय से आपके लिये रियायत करेंगे।

**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, माननीय सुरक्षा मंत्री जी ने अपनी मांग पेश करते हुये सोशलिस्ट सत्याग्रह का ज्यादा जिक्र किया। मैं उस सत्याग्र का भक्तभोगी हूं और इसलिये अपने आपको विशेष अधिकारी समझता हूं कि उनकी कही हुई

बातों का जवाब दूं। माननीय मंत्री जी ने सब से पहले उन रियायतों और कृपाओं का जिक्र किया जो उन्होंने सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ जेलखाने जाने पर की हैं। मुझे इस बात को सुन कर के उतना ही क्लेश हुआ जितना कि जले पर नमक डालने से होता है। बाहर लेटने की आज्ञा जेलों में तब तक नहीं मिली जब तक उसके लिये सत्याग्रह नहीं किये गये। मैं ११ मई को गिरफ्तार हुआ था और १४ मई को नो लाक-अप सत्याग्रह किया। उधर से डंडे बरसने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन वहां के सुपरिन्टेंडेन्ट ने आकर मुझे आश्वासन दिया कि मैं कल आप के इस मामले को कलेक्टर साहब से तय कर लूंगा। तब तक हम लोग बंद कर दिये गये। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को इस बारे में पत्र लिखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आप के प्रश्न पर विचार कर रहा हूं परन्तु मेरे अधिकार में नहीं है, मैं गवर्नमेंट से इस बारे में लिखा-पढ़ी कर रहा हूं। वहां के सुपरिंटेंडेंन्ट ने पुलिस से मिल करके मुझे अगले दिन १५ को ही सीतापुर जेल ट्रान्सफर कर दिया। सीतापुर जेल पहुंच जाने पर १८ और १९ को हमने लगातार नो-लाक अप सत्याग्रह किया। हम पर डंडे बरसाने की तैयारी हुई और तब २० मई को हमको बाहर लेटने की आज्ञा मिली। हम इसको माननीय मंत्री जी की कृपा समझें अथवा अपनी जान पर खेल जाने के निश्चय का परिणाम? मैं इसका उत्तर माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि उन्होंने आज्ञा दे दी थी कि १५ राजनीतिक कैदी जहां कहीं भी हो जायं उनको भोजन की विशेष सुविधा दी जाय। विशेष प्रबन्ध कर दिया जाय और उनके भोजन का दूसरे कैदियों से अलाहिदा प्रबन्ध कर दिया जाय। मैं अपने अनुभव के आधार पर, एक भुक्त भोगी की हैसियत से दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका यह कथन सत्य नहीं है। मैं शाहजहांपुर जेल में ११ मई से १५ मई तक ८९ कैदियों में रहा था। हमारा भोजन जेलखाने के भंडारे में ही बनता रहा। उसके बाद १५ मई से पहली अगस्त, जब कि मैं छूटा हूं, उसके अधिकांश भाग में मैं सीतापुर जेल में रहा और मैं यह कह सकता हूं कि हम लोगों को बावजूद इसके कि हमारी संख्या २०० से ऊपर थी कभी यह सुविधा नहीं दी गई और हम लोगों का भोजन बड़े भंडारे में, जहां सब कैदियों का भोजन बनता था वहीं बनता रहा, कभी यह हमसे नहीं कहा गया कि आप अपना भोजन अलाहिदा बना सकते हैं अथवा उसका प्रबन्ध कर सकते हैं।

माननीय मंत्री जी ने श्रीमन्, यह भी कहा कि हम लोगों के एकोमोडेशन के लिये काफी अच्छा प्रबन्ध था। रहने की जगह काफी थी। मैं निहायत अदब से श्रीमन्, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर जिले में जिस बैरक में ४० आदमियों की जगह थी वहां हम ८९ साथी बन्द रहे और सीतापुर जेल में जिस बैरक में ६४ आदमियों की जगह थी उस में हम १३० आदमी बन्द रहे। पानी बरसने पर अथवा किसी और कारण से जब हमको बाहर लेटने की आज्ञा मिल गई थी, उस समय जब कभी अन्दर आना पड़ता था तो हम आपस में लड़ते थे इसलिये कि हमको अपने बैरक के अन्दर अपना फट्टा बिछाने तक की जगह नहीं मिलती थी। यह श्रीमान् की एकोमोडेशन की कृपा है।

क्लासीफिकेशन का जहां तक सवाल है, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सभी आन्दोलनों में शरीक होने का। मैं सन् २१ से लेकर सन् ४५ तक करीब-करीब ८,९ साल जेल में रहा हूं और प्रायः सभी समय पर जब-जब जेल में रहा हूं तब-तब मैं सुपीरियर क्लास में रहा हूं, लेकिन अब की मर्तबा जिलाधीश ने मेरे साथ यह शर्त लगायी कि जब तक आप प्रार्थना-पत्र नहीं देंगे तब तक हम आप का कोई क्लासीफिकेशन नहीं करेंगे। मैं शाहजहांपुर जेल में जब तक रहा तब तक मैं साधारण कैदी की हैसियत में रहा, जब मैं सीतापुर जेल में था अपने छूटने के १५ दिन पहले, उस समय मेरे क्लासीफिकेशन की मंजूरी गवर्नमेंट से गई

[श्री देवनारायण भारतीय]

और क्लासीफिकेशन हो जाने के बाद भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। केवल भोजन में कुछ थोड़ी बहुत सुविधा मुझे मिली और कुछ सामान ज्यादा मिलने लगा बाकी जैसे मैं इससे पहले आपके साधारण साथियों के साथ रहता था वैसे ही रहता रहा।

मैं अस्पताल की सुविधा के बारे में आप के द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जेल में मेरा १५ पौंड वजन घट गया लेकिन अस्पताल की ओर से किसी प्रकार की औषधि अथवा भोजन में दूध आदि की सुविधा मुझे नहीं दी गई। छूटने के समय तक कोई विशेष सुविधा मुझे नहीं मिली ।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहूंगा। माननीय मंत्री जी ने माफी मांगने वालों की संख्या का बड़े अहंकार और नाज के साथ जिक्र किया है। मैं माफी मांगने के बारे में अपना अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे सामने शाहजहांपुर जेल में ६ आदमियों से माफी मंगवाई गई। मेरे सामने सीतापुर जेल में भी ७ साथियों से माफी मंगवाई गई। उसके लिये जो हथकंडे प्रयोग में लाये गये वह अंग्रेजी शासन काल को भी बहुत पीछे डाल देते हैं। वे लोग बीमार करके अस्पताल में बुलाये गये और जो वाकई बीमार थे उनको अस्पताल में नहीं रखा गया। उनके लिये वहां जगह नहीं थी। लेकिन जिन साथियों को किसी जरिये से कमजोर कर लिया गया उनको अस्पताल में बुलाया गया। वहां उनके माता-पिता और बहन को बुलाकर मुलाकात कराई गई। उन पर जोर दिया गया। सीतापुर जेल में शाहजहांपुर जिले से उनके घरवालों को जेल के अधिकारियों ने बुलवा कर हमारे साथियों से माफी मंगवाई। क्या यह वह तरीका है जिसके जरिये मंत्री जी बड़े जोर से माफी मांगने की बात कहते हैं।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जेलों में दाल केवल एक छटांक दी जाती है । मैं अपने अनुभव पर और प्रत्येक प्राणी के अनुभव पर कह सकता हूं कि एक छटांक दाल दोनों समय के लिये यानी आधी छटांक एक समय के लिये अपर्याप्त है। आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रतिदिन दी जाने वाली दाल का वजन एक छटांक से १।। छटांक बढ़ा दें जिससे आम कैदियों को पेट भर रोटी खाने का सहारा हो जावे।

श्री उग्रसेन—मैं पहले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है और विशेषकर झारखंडेराय जी, पद्माकर लाल जी और देवनारायण भारतीय जी का जिन्होंने हमारे कटौती के प्रस्ताव पर सुझाव दिये हैं मैं उनका आभारी हूं । मैं तो माननीय मंत्री जी से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब जेलों के अन्दर इतने जुल्म हुये कि जिसकी आवाज कोने-कोने से आयी तो मैं बड़ा गौरवान्वित अपने को समझता हूं। तिवारी जी ने जो यह कहा कि कैदियों को जेल में रखकर जुल्म नहीं करना चाहिये बल्कि सुधार की दृष्टि से उनको रखना चाहिये तो मैं समझता हूं कि कम से कम माननीय मंत्री जी इस बात को जरूर मान लेंगे।

माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा है कि १९७१ तक यह संख्या है तो मेरी सूचना के अनुसार वह संख्या ५ हजार तक थी। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वह माननीय मंत्री जी की निगाह में इस वजह से नहीं आयी कि २-८-५७ को बनारस में बहुत से सत्याग्रही पकड़े गये। फिर बाद में मालूम हुआ कि १४४ नहीं लगा था तो शाम को उनको छोड़ दिया गया। इसी प्रकार से देवरिया और गोरखपुर में भी ५०,५० आदमी पकड़े गये और शाम को उनको छोड़ दिया गया। इस प्रकार से वे दिन भर तो कैदी रहे लेकिन शाम को छोड़ दिये गये।

श्री मुजफ्फर हसन—उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं उन २ जेलों के बारे में कुछ अर्ज करूंगा जिसकी चर्चा हमारे दो माननीय सदस्यों ने की है यानी गोरखपुर जेल और प्रतापगढ़ जेल और थोड़ा सा जिक्र रामसिंह जी के बारे में करूंगा जिनकी मृत्यु आगरा जेल में हुई है। एक सवाल इस सदन के सामने आया था जिसमें गोरखपुर जेल के वाकयात सदन के सामने आ चुके थे और वह यह है कि गोरखपुर जेल में जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई उसने यह फैसला किया कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। साथ ही जो बल का प्रयोग हुआ वह जरूरी था और उसके बगैर वहां व्यवस्था नहीं रह सकती थी। वाकया वहां का यह है कि एक दिन सवेरे, जो इतवार का दिन था, जब वहां पर लोग दलिया लेकर बांटने गये तो उसको बगैर चखे हुये लेने से इन्कार कर दिया और कहा गया कि उसमें वैसा मीठा नहीं है जैसा होना चाहिये। यह मतालबा किया गया कि सुपरिन्टेंडेंट जेल को बुलाया जाय। कब्ल इसके कि सुपरिंटेंडेंट जेल को इत्तला हो, एक वार्डर जो वहां एक मेहतर को लेकर जा रहा था, उसने जैसे ही इनक्लोजर खोला वैसे ही उसको पकड़ कर धक्का दिया गया। न सिर्फ यह कि वे सरकिल के अन्दर आगये बल्कि दूसरे फाटक पर चपरासी से यह कह कर बाहर आ गये कि उनको बाहर बुलाया गया है। बाहर आकर इकट्ठा हो गये। बहुत कुछ कहा गया कि अन्दर जाओ लेकिन तरह-तरह के नारे लगाते रहे और किसी तरह से भी वापिस नहीं हुये। करीब ही में एक बैरक में कुछ और सत्याग्रही थे जो ८–९ की तादाद में थे, उनको भी जाकर निकाल लाया गया। जेलर उस वक्त सुपरिंटेंडेंट जेल के पास गया हुआ था उसको यह खबर बताने के लिये जब टेलीफोन हुआ और वह लौट कर आये तो उन्होंने दरख्वास्त की कि आप लोग अपनी बैरेक्स में वापिस जायें। दूसरी बैरेक के लोग तो चले गये लेकिन उन्होंने वापिस जाने से इंकार कर दिया और शोर मचाते रहे। उस वक्त मजबूरी से बल का प्रयोग करना पड़ा। उनको पकड़ कर अन्दर ले जाया गया और बैरेक में ले जाकर उनकी गिनती हुई इस सिलसिले में उन पर बैटन का, जो एक छोटा सा डंडा होता है, इस्तेमाल जरूर हुआ। इसमें न सिर्फ सत्याग्रहियों को ही चोट आयी बल्कि वार्डर्स को भी चोट आयी।

श्री उग्रसेन—अस्पताल में कौन गया? सत्याग्रही या वार्डर?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई नहीं। यह सवाल सदन के सामने आ चुका था इसलिये इसको दुहराने की जरूरत नहीं थी।

श्री सुरथबहादुर शाह—आन ए प्वाइन्ट आफ इनफारमेशन, वह बैटन था या बूमरेंग।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि वह बैटन था या बूमरेंग जो चलाये जाने पर लौट कर वापिस आ जाता है। इसका आप उत्तर देना चाहें तो दें।

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, बैटन था। यह वाकया ऐसा है कि जिससे कोई भी आदमी समझ सकता है कि जेल में इस तरीके के बरताव से किस प्रकार से डिसिप्लिन कायम रह सकता है और फिर यह शोर करना और कहना कि जेल में लाठी चार्ज हुआ है, यह बिलकुल गलत बात है। इसमें जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई वह मैंने सदन के सामने पेश की।

आगरे के श्री रामसिंह का मामला भी एक सवाल की शक्ल में (अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की शक्ल में) आ चुका था। मैंने उस वक्त भी अफसोस जाहिर किया था कि उनका जो असली मर्ज था वह मरते वक्त तक न जाना जा सका। मैंने वायदा किया था कि उसमें एक मेडीकल एन्क्वायरी होगी और उस एन्क्वायरी का जो नतीजा होगा उस पर जरूर कार्यवाही की जायगी। यह एन्क्वायरी आई० जी० के सुपुर्द है और आई० जी० जो कि खुद भी एक मेडिकलमैन हैं, वे उसकी एन्क्वायरी जल्दी ही करके

[श्री मुजफ्फर हसन]

पेश करने वाले हैं। उनकी रिपोर्ट पर विचार करके अगर कोई उसमें कसूरवार समझा गया तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह मैं पहले दिन भी गुजारिश कर चुका था और आज फिर उसकी एआदा करता हूं।

प्रतापगढ़ की जो रिपोर्ट हमारे पास है, वह यह है कि जेल में अलावा रोटियों के हफ्ते में दो वक्त चावल देने का दस्तूर है। वह कोई लाजिमी जुज नहीं है उस गिजा का। लेकिन सुपरिंटेंडेंट इसको एलाऊ कर सकता है, गरमी के जमाने में। इत्तफाक से १८ जुलाई को वहां चावल का स्टाक खत्म हो गया और उनको चावल का राशन नहीं दिया जा सका। एकाएक पहली तारीख को उन्होंने शोर मचा कर सुपरिंटेंडेंट के सामने शिकायत की। उन्होंने उनको बतलाया कि ग्रेन परचेजिंग कमेटी की मीटिंग ९ तारीख को होगी और उसमें खरीदारी हो जायगी तो चावल जारी कर दिया जायगा। इस पर वे मुतमइन नहीं हुये। जितने कैदी थे उन्होंने अपने को दो ग्रुप्स में बांट लिया और थाली, तसले, जो बर्तन उनके पास थे उसको उन्होंने बजाना शुरू किया और उसे रात को भी जारी रखा। एक बैच पहले बजाता था और दूसरा बैच बाद में बजाता था। उस काम को वे बराबर करते रहे। दूसरे दिन सुपरिंटेंडेंट जेल आये उनके सामने भी वे बजाते रहे। उन्होंने फिर उनको परसुएड किया। जब वे नहीं माने तो उन्होंने यह हुक्म दे दिया कि इनसे ये बर्तन वापस ले लिये जायं और उसी वक्त इनको ये बर्तन दिये जायं जिस वक्त कि खाने का वक्त हो और खाना खाकर फिर वापस ले लिये जायं। बर्तन वापस लेने के बाद वे सब के सब इकट्ठे हो गये। दूसरे दिन दूसरी तारीख थी। एक साथ मिल कर वे बैठ गये और नारे लगाते रहे, गालियां देते रहे। फिर सुपरिंटेंडेंट जेल ने उनसे दरख्वास्त की कि आप बैरक में चले जायं लेकिन वे नहीं गये। तब उनको पकड़-पकड़ कर बैरेक के अन्दर कर दिया गया। न तो कोई लाठी चार्ज हुआ, न कोई बैटन चार्ज हुआ बल्कि दूसरे दिन सुपरिंटेंडेंड ने बगैर इसके कि ग्रेन परचेजिंग कमेटी की मीटिंग होती, खुद बाजार से चावल मंगा कर राशन जारी किया।

अब यह खयाल करने की चीज है कि इतनी जरा सी बात को लेकर इतना तूफान उठाना और इस हद तक चले जाना, यह कहां तक मुनासिब बात थी। बहरसूरत कोशिश करके ९ तारीख को ग्रेन परचेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई और सुपरिंटेंडेंट ने खुद बाजार से चावल खरीद कर उनको चावल का राशन जारी कर दिया जब कि चावल देना कोई लाजिमी राशन का जुज नहीं था।

हमारे उग्रसेन जी ने जेल इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहा। वह तो मुनासिब बात है और सदन जानता है कि इस सिलसिले में एक जेल इंडस्ट्रीज इनक्वायरी कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसके एक दो आइटम्स को लेकर हमने लागू भी कर दिया है। मसलन, अम्बर चर्खा की स्कीम को इस बजट में ले लिया गया है और बाकी तजवीज गवर्नमेंट के विचाराधीन है। जैसे-जैसे वह मंजूर होती जायगी वैसे-वैसे उस काम को हम बढ़ाते जायेंगे। उन्होंने जेल वालों को जो बड़े लम्बे अरसे तक काम करना पड़ता है उसके बारे में भी जिक्र किया। यह बात सही है कि बहुत से वार्डर्स और बहुत से आफिशियल्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा घंटे तक काम करना पड़ता है और आप देखेंगे कि इस बजट में भी हमने इसकी शुरुआत थोड़ी सी कर दी है कि कुछ तादाद वार्डरों की बढ़ा दी जाय और आहिस्ता-आहिस्ता उन से ८ घंटे से ज्यादा काम न लिया जाय। रुपये की कमी की वजह से एक साथ वह काम नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने इस तरह का सुझाव दिया।

माननीय उग्रसेन ने चुर्क कैम्प का भी जिक्र किया। मैं कहूंगा कि उनको शायद इसकी वाकफियत नहीं है। उनका यह कहना कि कैदियों को सजा दी जाती है या उल्टा टांगा जाता है यह बिलकुल बेबुनियाद बात है, उसमें कोई असलियत नहीं है। असलियत यह है कि इस कैम्प में कैदी बहुत अच्छा काम करते हैं और वह २ रुपये २ आना जो मजदूरी की दर है उससे भी ज्यादा वह वहां कमाते हैं और बहुत अच्छी तरह से वहां रहते हैं। श्री रामलखन तिवारी जी ने कहा कि जेल में कैदियों का रिफार्म करने का उसूल मान लिया जाय।

(किसी सदस्य के खड़े होने पर )

श्री उपाध्यक्ष--आप जरा बैठ जायें मैं समझता हूं अब दो तीन मिनट ही बाकी हैं, अगर मंत्री जी को ४-५ मिनट और बोलने में लग जायं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री मुजफ्फर हसन--तो इस उसूल को जब से सम्पूर्णानन्द कैम्प कायम हुये हैं हम मान रहे हैं और शुरू से ही मान रहे हैं और बड़ी सफलता इस में हमें मिली है। जो लोग जेल से बाहर आये हैं और जैसा कि श्री झारखंडेराय जी ने कहा कि इस तरफ अब बहुत बड़ा झुकाव हो गया है। हम हमेशा इस पहलू पर जोर देते हैं और हमें खुशी है कि इस महकमे में काम करने वाले उसको एक बड़ी तादाद में अपनाते जा रहे हैं और अब उनका आउटलुक यह हो गया है कि जेल सजा देने के लिये नहीं है बल्कि वह सुधार के लिये है।

एक बात पोलिटिकल क्लास बनाने के बारे में भी कही गई। श्री झारखंडेराय की तजवीज थी और वह एक नानआफिशियल बिल भी इस संबंध में ला चुके हैं लेकिन हमारी बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे जितने कानून हैं उनमें से हम एक ही दो के बारे में कह सकते हैं कि वह पोलिटिकल कानून हैं, बाकी जिन दफात में सजा दी जाती है वह वही हैं कि जिनमें और लोगों को भी सजायें होती हैं, लोग डाका डाल कर जाते हैं लेकिन उन को भी पोलिटिकल कैदी कहलाने पर जोर दिया जाता है, लोग कत्ल करके जाते हैं वह भी राजनीतिक कैदी कहे जाते हैं और जोर दिया जाता है कि उनको राजनीतिक कैदी माना जाय। तो इस तरह से सिर्फ नियत को बुनियाद बनाकर किस तरह से दो क्लास बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा अदालत के सामने जो मामला जाता है उसमें सब पहलुओं पर गौर करके सजा दी जाती है और उसमें जो सुपीरियर क्लास और इनफीरियर क्लास का क्लासिफिकेशन है उसके लिये भी तमाम पहलुओं पर गौर किया जाता है और उसके मुताबिक अमल किया जाता है। किसी भी मुल्क में इस तरह का पोलिटिकल क्लास नहीं है इसलिये यहां पर एक नई बात करने पर जोर देना कोई मुनासिब काम नहीं है। लेकिन कहीं भी पोलिटिकल क्लास जेलों में हो ऐसी मिसाल कोई झारखंडे राय जी पेश करें तो मैं उस पर विचार करूंगा। बहरसूरत हमने अपनी बातें रख दी हैं और कई छोटी-मोटी बातें कही गयी हैं जिनका ताल्लुक जांच करने से है। उसमें अगर कोई असलियत मालूम होगी तो उस पर जरूर विचार किया जायगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इस मतालबे को मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६ की धनराशि में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६-जेल-लेखा शीर्षक: २८-जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १,४४,८०,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--४९,

विपक्ष में--२० ।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर २३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२३ अगस्त, १९५७ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

### सूची

१—सेन्ट ऐन्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर।

२—महाराना प्रताप कालेज, गोरखपुर।

३—शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।

४—सतीश चन्द्र कालेज, बलिया।

५—टाउन डिग्री कालेज, बलिया।

६—तिलकधारी कालेज, जौनपुर।

७—बुद्ध कालेज, कुशीनगर, देवरिया।

८—देवरिया महाविद्यालय डिग्री कालेज, देवरिया।

९—महरानी लाल कुंवर कालेज, बलरामपुर (गोंडा)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७९ पर)

### जिला खीरी की विभिन्न यूनियन द्वारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट आफिस सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, राष्ट्रीय योजना ऋण और ४ प्रतिशत राज्य डेवलपमेंट ऋण की १५-६-५७ तक की सूची

| क्रम-सं० | केन डेवलपमेंट यूनियन का नाम | ५ वर्षीय ने० से० स० | ७ वर्षीय ने० से० स० | १० वर्षीय ने० से० स० | १२ वर्षीय ने० से० स० |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रु० | रु० | रु० | रु० |
| १ | केन डेवेलपमेंट यूनियन गोंडा | ३०० | २,६९५ | .. | १८,००० |
| २ | केन डेवेलपमेंट सोसाइटी, पलिया .. .. | .. | .. | .. | १,२६,२५० |
| ३ | केन सोसाइटी, फरधान .. | .. | .. | .. | १८,६५४ |
| ४ | केन एसोसिएशन, लखीमपुर | .. | .. | .. | २३,१०० |
| ५ | केन यूनियन, अरिखाना .. | .. | .. | .. | .. |
| ६ | केन यूनियन, जंगबहादुरगंज | .. | .. | .. | ५,००० |
| ७ | केन सोसाइटी, ऐरा .. | .. | .. | .. | ३६,५७५ |
| | योग .. | ३०० | २,६९५ | .. | २,२७,५७९ |

### नत्थी 'ख'—(क्रमागत)

| क्र०-सं० | केन डेवलपमेंट यूनियन का नाम | पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट | | | ट्रेजरी सेविंग सार्टिफिकेट्स | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डिपाजिट | विदड्राल | नेट | डिपाजिट | विद्ड्राल | नेट |
| | | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| १ | केन डेवेलपमेंट यूनियन, गोंडा | १,६७,५०० | .. | १,६७,५०० | .. | .. | .. |
| २ | केन डेवेलपमेंट सोसाइटी, पलिया .. .. | ५,७९,९९० | .. | ५,७९,९९० | .. | .. | .. |
| ३ | केन सोसाइटी, फरधान .. | ३९,४५० | .. | ३९,४५० | .. | .. | .. |
| ४ | केन एसोसिएशन, लखीमपुर | ३८,००० | .. | ३८,००० | .. | .. | .. |
| ५ | केन यूनियन, अरिखाना .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ६ | केन यूनियन, जंगबहादुरगंज | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ७ | केन सोसाइटी, ऐरा .. | ७६,६६६ | .. | ७६,६६६ | .. | .. | .. |
| | योग .. | ९,०१,६०६ | .. | ९,०१,६०६ | .. | .. | .. |

## नत्थी 'ख'—(समाप्त)

| क्रम-सं० | केन डेवलपमेंट यूनियन का नाम | नेशनल प्लान लोन | ४ प्रतिशत स्टेट डेवलपमेंट लोन | ग्रान्ड टोटल | रिमार्क्स |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रु० | रु० | रु० | |
| १ | केन डेवलपमेंट यूनियन, गोंडा | .. | २५,००० | २,१३,४९५ | |
| २ | केन डेवलपमेंट सोसाइटी, पलिया .. .. | ४८,६०० | ३४,८२५ | ७,८९,६६५ | |
| ३ | केन सोसाइटी, फरधान .. | ९,९५० | .. | ६८,०५४ | |
| ४ | केन एसोसिएशन, लखीमपुर | १५,६०० | ४३,६०० | १,२०,३०० | |
| ५ | केन यूनियन, अरिखाना .. | ५,००० | ५,००० | १०,००० | |
| ६ | केन यूनियन, जंगबहादुरगंज | .. | .. | ५,००० | |
| ७ | केन सोसाइटी, ऐरा .. | .. | .. | १,१३,२४१ | |
| | योग .. | ७९,१५० | १,०८,४२५ | १३,१९,७५५ | |

संसद सदस्य पर्यवेक्षण संस्था

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५–३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर)

### तालिका

| | औषधालय का नाम | | १९५६-५७ | | १९४०-४१ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीतापुर | | |
| | | | रु० | | रु० |
| १ | बिसवां .. | .. | २,००० | | १९० |
| २ | खैराबाद .. | .. | २,३३० | | ४०५ |
| ३ | सिधौली .. | .. | ९५० | | ११५ |
| | | | उन्नाव | | |
| १ | पुरवा .. | .. | १,५८० | | ७०७ |
| २ | सफीपुर .. | .. | १,४७० | | ६०४ |
| | | | लखनऊ | | |
| १ | मलिहाबाद | .. | ८०६ | | सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय के कागजात जिला बोर्ड के दफ्तर में नहीं मिल रहे हैं। |
| २ | काकोरी .. | .. | ६८५ | | |
| ३ | सालेमपुर (गंगागुंज) | .. | १,०९१ | | |
| | | | हरदोई | | |
| १ | सन्डीला .. | .. | २,८४१ | | सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय के कागजात जिला बोर्ड के दफ्तर में उपलब्ध नहीं हैं। |
| २ | शाहाबाद .. | .. | १,५२१ | | |
| ३ | बिलग्राम .. | .. | १,०५७ | | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८८ पर)

## प्रतिलिपि बोर्ड प्रस्ताव संख्या ३६२; दिनांक २८-६-१९५६

३६२—श्री गोपीचन्द जी व श्री रामेश्वर दत्त जी सदस्य ने आपत्ति की कि सरकारी मरदाने शफाखाने के डाक्टर के विरुद्ध बहुत दिनों से शिकायत सुन रहे थे कि उनका बर्ताव जनता के साथ अच्छा नहीं है। बहुत लालची आदमी हैं और जब यह कस्बे में किसी मरीज को देखने जाते हैं तो नियमित फीस से अधिक लेते हैं और अक्सर मियाद से ज्यादा दवाई मरीजों के जरिये बाजार से खरीदवा कर मंगा लेते हैं। चुनांचे अब हमारे साथ भी वाकया हुआ है कि मैं अपने लड़के रमेश चन्द गोयल का ओवरसियर के दाखिले के लिए डाक्टर सार्टिफिकेट बनवाने के लिए अस्पताल गया। डाक्टर साहब ने फार्म पर लड़के का नाम लिखने के बाद कहा कि पांच रुपये फीस दो। मैंने कहा कि फीस ज्यादा है इस पर डाक्टर ने सार्टिफिकेट बनाने से इन्कार कर दिया। मजबूरन ५ रुपये देकर सार्टिफिकेट हासिल किया। ऐसी ही बातें श्री रामेश्वर दत्त जी ने प्रस्तुत की और कहा कि मैं भी एक आदमी का सार्टिफिकेट बनवाने गया था। उपरोक्त डाक्टर ने हमारे से भी ५ रुपये फीस सार्टिफिकेट देने की ली। इस पर बोर्ड ने सर्व सम्मति से निश्चय किया कि श्रीमान सिविल सर्जन मे० नगर को इसकी एक प्रतिलिपि भेजकर मालूम किया जावे कि Medical certificate of fitness की फीस सरकारी डाक्टर के लिए ५ रुपये हैं या वाकई इस से कम है और यह भी प्रार्थना की जावे कि श्रीमान सिविल सर्जन महोदय इस मामले की छानबीन करके उचित कार्रवाई करें, तथा उसका नतीजा बोर्ड को सूचित करें।

---

उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

### जिला जालौन में सन् १९५६--५७ में अधिक अन्न उपजाने हेतु किए गए कार्यों का ब्यौरा

| क्रम-सं० | कार्य का नाम वितरण (मनों में) | कार्य--पूर्ति |
|---|---|---|
| १ | (१) गेहूं .. .. .. | ४१,४१४ |
| | (२) चना .. .. .. | २६,४२७ |
| | (३) मटर .. .. .. | ४५० |
| | (४) अन्य .. .. .. | २८४ |
| | (५) धान .. .. .. | ५६९ |
| | (६) ज्वार .. .. .. | ५०० |
| | (७) अन्य .. .. .. | १०६ |
| २ | रासायनिक एवं अन्य खादों का वितरण (मनों में)--- | |
| | (१) अमोनियम सल्फेट .. .. .. | २,४२३ |
| | (२) सुपर फास्फेट .. .. .. | ५२४ |
| | (३) हड्डी की खाद .. .. .. | ८९ |
| | (४) अन्य खादें .. .. .. | ८९९ |
| | (५) प्रीफर्टिलाइजर .. | |
| | (अ) अमोनियम सल्फेट .. .. | ८ |
| | (ब) यूरिया .. .. .. | २९ |
| | (स) अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट .. .. | १२६ |
| | (द) सुपर फास्फेट .. .. .. | १३९ |
| | (य) मिश्रित खाद .. .. .. | १६७ |
| ३ | भूमि संरक्षण (एकड़ में)-- | |
| | (१) बन्धियां .. .. .. | ८८३ |
| | (२) डोल बन्धी .. .. .. | १,६१८ |
| | (३) वन विकास .. .. .. | ५० |
| ४ | कृषि प्रदर्शन (संख्या) -- | |
| | (१) बीजों के किस्म सम्बन्धी .. .. | ४५५ |
| | (२) जुताई .. .. .. | ५२८ |
| | (३) खाद .. .. .. | ५७४ |
| | (४) कृषि यन्त्र .. .. .. | ४८६ |
| | (५) फसलों के हेर फेर .. .. .. | ५९४ |
| | (६) अन्य .. .. .. | ३३२ |
| ५ | उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूं की खेती का क्षेत्रफल ३९२ एकड़ | |
| ६ | फसल प्रतियोगिता-- | |
| | (१) जोनल जिला व गांव स्तर पर .. .. | २,१८० |
| | (२) आलू की फसल प्रतियोगिता .. .. | ९ |

विधान सभा

## नत्थी 'ङ'--(समाप्त)

| क्रम-सं० | कार्य का नाम वितरण (मनों में) | कार्य पूर्ति |
|---|---|---|
| ७ | बीज गोदाम चालू किये गये (संख्या) .. .. | १ |
| ८ | कृषि क्षेत्र खोले गये-- .. .. .. | एकड़ |
| | (अ) बागी (क्षेत्रफल) .. .. .. | ७९.४५ |
| | (ब) गिरथान .. .. .. | ३३.५० |
| | (स) जखौली .. .. .. | ३१.२५ |
| ९ | हरी खाद जोती गयी (एकड़ में)-- | |
| | (१) सनई .. .. .. | ७५८ |
| | (२) ढैंचा .. .. .. | १० |
| | (३) मूंग टी० १ .. .. .. | १०० |
| १० | नई फसलों का उगाना (एकड़ में)-- | |
| | (१) बरसीम .. .. .. | १.५ |
| | (२) कपास .. .. .. | ८.५ |
| | (३) अन्य .. .. .. | १९ |
| ११ | भूमि सुधार एकड़ में-- | |
| | (१) बेकार भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाना .. | ३६९ एकड़ |
| १२ | नये उद्यानों की संख्या-- | |
| | (१) सामूहिक एवं व्यक्तिगत .. .. | १२८ |
| | (२) उद्यानों हेतु बढ़ा हुआ क्षेत्रफल .. .. | १९२एकड़ |
| | (३) लगाये गये फलदार वृक्ष .. .. | ३०,७२६ |
| | (४) ईंधन वाले वृक्ष लगाये गये .. .. | ४५,४२९ |
| | (५) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण .. .. | १० मील ४ फर्लांग |
| १३ | क्षेत्र जिसमें पौधों को रोग-ग्रस्त होने से बचाया .. | ७६ एकड़ |
| १४ | खेतों में चूहों को पकड़ना .. .. .. | ६५ एकड़ |
| १५ | कृषि इन्जीनियरिंग-- | |
| | (१) पक्के कुएं .. .. .. | ३६ |
| | (२) टूटे-फूटे कुओं की मरम्मत .. .. | ४ |
| | (३) पक्के कुओं का बोरिंग .. .. | ४९ |
| | (४) रहट .. .. .. | १ |
| | (५) पम्पिंग सेट .. .. .. | ७ |

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ११२ एल० ए०--१९५७--७९६ ।

मध्यप्रदेश विधान सभा